सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

का

31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर प्रतिवेदन

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

बिहार सरकार

वर्ष 2018 का प्रतिवेदन संख्या-1

दिनांक को विधानसभा में प्रस्तुत की गई

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

का

31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर प्रतिवेदन

बिहार सरकार

वर्ष 2018 का प्रतिवेदन संख्या–1

विषय–सूची

विवरण	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
प्रस्तावना	-	v-vi
विहंगावलोकन	-	vii – xvi
अध्याय–1		
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का क्रियाकलाप	1	
परिचय	1.1	1–2
उत्तरदायित्व रूपरेखा	1.2–1.3	2
बिहार सरकार का अंश	1.4	2
राज्य सा0क्षे0उ0 में निवेश	1.5–1.8	2–5
लेखाओं के अन्तिमीकरण के बकायें	1.9–1.11	5–7
पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रस्तुतीकरण	1.12	7–8
अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार सा0क्षे0उ0 का कार्य–निष्पादन	1.13–1.16	8–9
अकार्यशील सा0क्षे0उ0 का समापन	1.17	10
लेखाओं पर टिप्पणियाँ	1.18	10–11
लेखापरीक्षा पर सरकार की प्रतिक्रिया	1.19	11
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर उत्तरवर्त्ती क्रिया	1.20–1.22	12–13
राज्य के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप सा0क्षे0उ0 की पुनर्संरचना	1.23	13–14
उज्जवल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) के तहत ऊर्जा क्षेत्र में सुधार	1.24	14–15
अध्याय–2		
सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित निष्पादन लेखापरीक्षा	**2**	
बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड पर निष्पादन लेखापरीक्षा	**2.1**	17–38
बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा शैक्षणिक आधारभूत संरचना के विकास पर लेखापरीक्षा	**2.2**	39–54

विवरण	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
अध्याय–3		
अनुपालन लेखापरीक्षा के प्रेक्षण		
सरकारी कम्पनियाँ		
बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड		
कम्पनी अधिकारियों की संदिग्ध मिलीभगत द्वारा आपूर्तिकर्त्ता को अनुचित लाभ	3.1	55–57
बिहार मेडिकल सर्विसेज एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड		
बैंक जमा पर ब्याज की अनावश्यक हानि	3.2	57–58
बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड		
दंड तथा परामर्श शुल्क का अनावश्यक भुगतान	3.3	58–59
बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, बिहार राज्य बेवरेजेज निगम लिमिटेड, बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड, बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड तथा बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड		
उपहार पर परिहार्य व्यय	3.4	59–60
बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड एवं बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड		
ब्याज का परिहार्य भुगतान	3.5	60
बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड		
परिहार्य व्यय	3.6	61
नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड		
उपभोक्ताओं को अनुचित लाभ	3.7	62
नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड		
कम्पाउडिंग शुल्क जमा नहीं किया जाना	3.8	62–63

विवरण		संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
परिशिष्ट			
1.1	31 मार्च 2017 को राज्य सा0क्षे0उ0 के अंश, अदत्त ऋण एवं प्रत्याभूतियाँ	1.1 एवं 1.5	65–72
1.2	31 दिसम्बर 2017 को सा0क्षे0उ0 (जिनके लेखें तीन वर्षों से ज्यादा बकाया नहीं है) की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणाम	1.1	73–74
1.3 (अ)	बिहार के कार्यशील सा0क्षे0उ0 के निदेशक पर्षद में शामिल निदेशकों की विवरणी	1.9	75–81
1.3 (ब)	अधिकारियों के नाम जो एक से ज्यादा सा0क्षे0उ0 में निदेशक है, जिनके लेखें बकाया है	1.9	82
1.4	31 दिसम्बर 2017 को कार्यशील एवं अकार्यशील सा0क्षे0उ0 जिनके लेखें बकाया है	1.9	83–85
1.5	31 दिसम्बर 2017 को सा0क्षे0उ0 जिनके लेखे बकाये में है, में राज्य सरकार द्वारा दी गई अंश पूँजी, ऋण, अनुदान एवं प्रत्याभूतियाँ	1.11	86–87
1.6	अद्यतन अन्तिमीकृत विवरणियों के अनुसार सा0क्षे0उ0 (जिनके लेखें तीन वर्षों से ज्यादा बकाया नहीं है) की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणाम	1.13	88–92
2.1.1	2012–13 से 2016–17 के दौरान बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड की मुख्य परियोजनाओं (प्रारम्भ, पूर्ण एवं प्रगतिशील) की विवरणी	2.1.12	93–94
2.2.1	31 मार्च 2017 को बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा प्रारम्भ किये गये कार्यों की वित्तीय विवरणी	2.2.13	95–97

प्रस्तावना

यह प्रतिवेदन बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड पर निष्पादन लेखापरीक्षा, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा शैक्षणिक आधारभूत संरचना के विकास पर लेखापरीक्षा एवं आठ कंडिकाएँ जो 13 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सा0क्षे0उ0) के अनुपालन लेखापरीक्षा पर आधारित है, को सम्मिलित करता है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 के धारा 139 एवं 143 की प्रावधानों के अन्तर्गत सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी0ए0जी0) द्वारा की जाती है। कम्पनी अधिनियम के तहत सी0ए0जी0 द्वारा नियुक्त सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा प्रमाणित लेखाओं की अनुपूरक लेखापरीक्षा, सी0ए0जी0 द्वारा, की जाती है जिस पर सी0ए0जी0 अपनी टिप्पणी देते हैं अथवा सांविधिक अंकेक्षक (सनदी लेखाकार) के प्रतिवेदनों का अनुपूरण करते हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (2) के अन्तर्गत, सी0ए0जी0 तीन वैधानिक निगमों की लेखापरीक्षा करते है। पथ परिवहन निगम अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत सी0ए0जी0, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के एकमात्र लेखापरीक्षक है। राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत सी0ए0जी0 को निगम द्वारा नियुक्त चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा की गई लेखापरीक्षा के अतिरिक्त बिहार राज्य वित्तीय निगम के खातों के लेखापरीक्षा करने का अधिकार है। बिहार राज्य भण्डारण निगम अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत सी0ए0जी0 को राज्य सरकार द्वारा नियुक्त चार्टर्ड एकाउंटेंटस द्वारा की गई लेखापरीक्षा के अतिरिक्त बिहार राज्य भण्डारण निगम के खातों के लेखापरीक्षा करने का अधिकार है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19–क के अन्तर्गत सी0ए0जी0, बिहार विधान सभा के पटल पर उपस्थापित करने हेतु सरकारी कम्पनी एवं सांविधिक निगम की लेखाओं के सम्बन्ध में प्रतिवेदन सरकार को सुपुर्द करती है।

इस प्रतिवेदन की मुख्य बातें निम्नलिखित है :

1. बिहार में 74 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में से 65 सा0क्षे0उ0 के पास 1977–78 के बाद से लेखें बकाया थे। लेखें में विलम्ब/लेखें नहीं बनाए जाने के कारण तथ्यों की मिथ्या प्रस्तुति, धोखाधड़ी एवं गबन की संभावनाएं प्रबल हो जाती है।
2. 18 सा0क्षे0उ0 जिन्होंने पिछले तीन वर्षों में अपने खातों का अन्तिमीकरण किया था, का 8.49 प्रतिशत की औसत ऋण लागत के विरूद्ध निवेश पर औसत नकारात्मक प्रतिफल 6.14 प्रतिशत था, जिसके परिणामस्वरूप पिछले तीन वर्षों में राजकोष को ₹ 1,159.75 करोड़ का कुल नुकसान हुआ। शेष 56 सा0क्षे0उ0 जिनके लेखें अन्तिमीकृत नहीं हुए थे, के हानि का आकलन नहीं किया जा सकता है।
3. राज्य सरकार ने किस आधार पर बिना लेखें के सात कार्यशील सा0क्षे0उ0 को ₹ 4,431.54 करोड़ और 10 अकार्यशील सा0क्षे0उ0 को ₹ 1,007.23 करोड़ की बजटीय सहायता प्रदान की, यह स्पष्ट नहीं है।
4. तीन सरकारी कम्पनियों और एक निगम में कमियाँ इतनी गंभीर है कि सी0ए0जी0 ने लेखों पर अपना मंतव्य देने से इंकार कर दिया है।

5. तत्कालिन बिहार राज्य के पुनर्गठन के 17 साल बाद भी राज्य सरकार सात सा0क्षे0उ0 की सम्पत्तियों और देनदारियों का विभाजन पूरा नहीं कर सकी है।

6. उज्जवल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) के अन्तर्गत विद्युत कम्पनियों (डिस्कॉम) ने अपने वित्तीय लक्ष्यों को तो काफी हद तक प्राप्त किया, लेकिन कार्य सम्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रही।

7. बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड जिसके पास पिछले पाँच वर्षों में ₹ 3,371.99 करोड़ की परियोजनाएँ थीं, में आरम्भ से ही (एक बार छोड़कर) ना तो कोई पूर्णकालिक प्रबन्ध निदेशक है, और ना हीं इसमें आंतरिक लेखापरीक्षा अनुभाग या मुख्य सतर्कत्ता अधिकारी है। इन कमियों के परिणामस्वरूप योजना और निष्पादन के सभी चरणों में अत्यधिक विलम्ब और कमियाँ आईं। बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड के लेखापरीक्षा में इसी तरह की विलम्ब और कमियों को देखा गया।

8. ₹ 285.81 करोड़ के अनुबन्ध में मिली भगत, ₹ 5.43 करोड़ की बैंक से ब्याज की हानि, अनावश्यक जुर्माना का भुगतान, सलाहकार शुल्क और उपहार पर अनावश्यक व्यय ₹ 53.77 करोड़, आयकर के ब्याज के रूप में ₹ 1.07 करोड़ का परिहार्य व्यय, ऊर्जा शक्ति के क्रय के समझौते के अनुचित संशोधन के कारण ₹ 61.70 करोड़ की हानि, टैरिफ दरों के गलत भारित करने के कारण ₹ 5.24 करोड़ की हानि और ₹ 2.04 करोड़ का कम्पाउन्डिंग शुल्क सरकार को जमा नहीं होना, प्रतिवेदित किया गया है।

लेखापरीक्षा का संचालन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा एवं लेखें के विनियमन तथा लेखापरीक्षा मानक के अनुरूप किया गया है।

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में निम्नलिखित अध्याय है :

अध्याय–1 : राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सा0क्षे0उ0) के क्रिया–कलाप की सामान्य जानकारी।

अध्याय–2 : बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड का निष्पादन लेखापरीक्षा और बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा शैक्षणिक आधारभूत संरचना के विकास पर लेखापरीक्षा।

अध्याय–3 : सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर आठ अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाएँ।

लेखापरीक्षा प्रेक्षाओं का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 370.25 करोड़ है।

1. राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सा0क्षे0उ0) का क्रियाकलाप

31 मार्च 2017 को बिहार में 74 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है, जिसमें से मात्र 27 सरकारी कम्पनियाँ और तीन सांविधिक निगम कार्यशील है। शेष सभी 44 अकार्यशील सा0क्षे0उ0 सरकारी कम्पनियाँ है।

74 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में से सिर्फ 18 सा0क्षे0उ0 ने पिछले तीन वर्षों में अपने खातों का अन्तिमीकरण किया तथा 65 सा0क्षे0उ0 के लेखें 1977–78 के बाद से बकाया थे। लेखें में विलम्ब/लेखें नहीं बनाए जाने के कारण तथ्यों की मिथ्या प्रस्तुति, धोखाधड़ी एवं गबन की संभावना प्रबल हो जाती है।

18 सा0क्षे0उ0 के नवीनतम अंतिम लेखा के अनुसार, 10 सा0क्षे0उ0 ने ₹ 278.18 करोड़ का लाभ अर्जित किया, सात सा0क्षे0उ0 में ₹ 1,437.93 करोड़ की हानि हुई और शेष एक सा0क्षे0उ0 जो होल्डिंग कम्पनी है, बिना लाभ हानि के आधार पर कार्य कर रही है। इन सा0क्षे0उ0 ने ₹ 11,277.70 करोड़ का टर्नओवर दर्ज किया।

इन 18 सा0क्षे0उ0 ने राज्य सरकार के निवेश पर 6.14 प्रतिशत का नकारात्मक प्रतिफल अर्जित किया, जो वर्ष 2014–15 से 2016–17 के बीच ली गई उधारी लागत दर 8.49 प्रतिशत से काफी कम रहा। इस प्रकार, 18 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के विगत तीन वर्षों के अंतिमीकृत लेखाओं के अनुसार उनमें निवेश के परिणामस्वरूप राजकोष को लगभग ₹ 1,159.75 करोड़ की हानि हुई। शेष 56 सा0क्षे0उ0, जिनके द्वारा लेखाओं का अंतिमीकरण नही किया गया है, की हानि यदि हो तो, का आकलन नहीं किया जा सका।

(कंडिकाएँ 1.1 एवं 1.9)

राज्य सा0क्षे0उ0 में निवेश

31 मार्च 2017 को, 74 सा0क्षे0उ0 में ₹ 53,891.59 करोड़ का निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण) था। तत्कालीन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के 2012 में पाँच कम्पनियों में विभाजन के फलस्वरूप पिछले पाँच वर्षों के दौरान सा0क्षे0उ0 में राज्य सरकार के निवेश का जोर ऊर्जा क्षेत्र (₹ 39,492.32 करोड़) में था।

(कंडिकाएँ 1.5 एवं 1.6)

लेखाओं के अन्तिमीकरण के बकायें

कम्पनी अधिनियम, 2013 यह नियत करता है कि कम्पनियों के वार्षिक वित्तीय विवरणी का अंतिमीकरण प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के समापन के छः महीने के अन्दर, अर्थात सितम्बर माह के अंत तक कर लेना है। ऐसा न होने पर दण्डात्मक प्रावधान लगाए जा सकते है जिसके अंतर्गत दोषी कम्पनी के सभी अधिकारियों को एक साल तक के कारावास की सजा या न्यूनतम ₹ पचास हजार तक जुर्माना जो ₹ पाँच लाख तक बढ़ाया जा सकता है या दोनों हो सकते है।

30 कार्यशील सा0क्षे0उ0 में से केवल नौ सा0क्षे0उ0 ने वर्ष 2016–17 के अपने लेखाओं को अंतिमीकृत किया था तथा शेष 21 सा0क्षे0उ0 के 142 लेखाएँ 31 दिसम्बर 2017 को एक से 23 वर्षों की अवधि से अंतिमीकरण को बकाया थे। 44 अकार्यशील सा0क्षे0उ0 में पाँच सा0क्षे0उ0 समापन की प्रक्रिया में थे एवं शेष 39 सा0क्षे0उ0 के 1,029 लेखाएँ बकाये थे, जिनकी अवधि एक से 40 वर्षों तक थी। राज्य सरकार ने 10 सा0क्षे0उ0 में ₹ 4,476.54 करोड़ की बजटीय सहायता (अंश, ऋण, अनुदान और उपभोक्ताओं को सब्सिडी, इत्यादि) दी जिनके लेखाओं का अंतिमीकरण नहीं हुआ था। इसमें से ₹ 2,467.06 करोड़ की सहायता सात कार्यशील सा0क्षे0उ0 को दिया गया जिनके लेखाएँ 2014–17 के दौरान तीन वर्षों से ज्यादा से बकाया थे। राज्य सरकार ने सा0क्षे0उ0 के लिए कोई लाभांश नीति तैयार नहीं की। 2014–17 के दौरान लाभ कमाने वाले 10 सा0क्षे0उ0 में से केवल दो सा0क्षे0उ0 ने अपने अंतिमीकृत लेखाओं के अनुसार ₹ 4.05 करोड़ का लाभांश प्रस्तावित किया।

(कंडिकाएँ 1.9, 1.10, 1.11 एवं 1.15)

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रस्तुतीकरण

तीन निगमों के एक से 32 वर्षों तक के पृथक लेखपरीक्षा प्रतिवेदन (पृ0ले0प0प्र0) राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत नहीं किए गए। यह वैधानिक निगमों पर विधायी नियंत्रण को कमजोर करता है तथा वैधानिक निगमों की वित्तीय जवाबदेही को भी कम करता है।

बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (बि0रा0प0परि0नि0) की वित्तीय जवाबदेही में इतनी खामियाँ थी कि सी0ए0जी0 ने बि0रा0प0परि0नि0 के वर्ष 2003–04 से 2005–06 के लेखाओं पर, जो मई 2014 से सितम्बर 2015 तक अंतिमीकृत किए गए थे, मंतव्य देने से मना कर दिया। राज्य सरकार ने 2006–17 के दौरान, बि0रा0प0परि0नि0 को ₹ 775.01 करोड़ का ऋण दिया, जब उसके लेखाएँ बकाया थे तथा निगम की वित्तीय क्षमता का मूल्यांकन किया जाना संभव नहीं था। बि0रा0प0परि0नि0 ने 2010–11 से न ही ऋण के ₹ 775.01 करोड़ चुकाए और न ही देय ब्याज के ₹ 407.63 करोड़ का भुगतान किया।

(कंडिका 1.12)

अकार्यशील सा0क्षे0उ0 का समापन

44 अकार्यशील सा0क्षे0उ0 में से पाँच सा0क्षे0उ0[1] ने पाँच से 18 वर्षों के दौरान समापन प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी थी, जो अधिकारिक परिसमापक, पटना एवं राँची उच्च न्यायालय के पास लम्बित थें। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा 12 सा0क्षे0उ0 की समापन प्रक्रिया को प्रारंभ करने के आदेश दे दिए गए थे लेकिन संबंधित अधिकारी द्वारा अंतिम कार्यवाई किया जाना अभी तक लम्बित है।

(कंडिका 1.17)

[1] कुमारधुबी मेटल कास्टिंग एवं इंजिनियरिंग लिमिटेड, बिहार राज्य चर्म उद्योग विकास निगम लिमिटेड, बिहार राज्य फिनिस्ड लेदर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, बिहार राज्य लघु उद्योग निगम लिमिटेड तथा बिहार राज्य निर्यात निगम लिमिटेड।

लेखाओं पर टिप्पणियाँ

कम्पनियों के लेखाओं की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है। 25 कम्पनियों के 52 लेखाओं पर सांविधिक अंकेक्षकों ने सशर्त प्रमाण पत्र दिया। कम्पनियों द्वारा लेखांकन मानकों का अनुपालन खराब रहा और 12 कम्पनियों के 19 लेखाओं पर 85 मामलों में लेखांकन मानकों का अनुपालन नहीं किया गया। इसके अलावा तीन कम्पनियों[2] के कार्यकलापों, जिनके लेखा का अंतिमीकरण 2016–17 में हुआ था, पर सी0ए0जी0 ने गंभीर कमियों के कारण मंतव्य देने से मना कर दिया था।

(कंडिका 1.18)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर उत्तरवर्ती क्रिया

वर्तमान अनुदेशों के अनुसार, प्रशासकीय विभागों द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित कंडिकाओं/समीक्षाओं का उत्तर/स्पष्टीकरण इसके विधायिका में प्रस्तुतीकरण के तीन माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करना चाहिए। यह प्रेक्षित किया गया कि 77 कंडिकाओं/निष्पादन लेखापरीक्षाओं, जो विगत पाँच वर्षों में राज्य विधायिका में प्रस्तुत की गईं, में से 15 विभागों की 47 कंडिकाओं/निष्पादन लेखापरीक्षाओं के स्पष्टीकरण टिप्पणियाँ प्रतीक्षित थे (दिसम्बर 2017)।

(कंडिका 1.20)

सा0क्षे0उ0 की पुनर्संरचना

15 नवम्बर 2000 से तत्कालीन बिहार के बिहार एवं झारखण्ड राज्यों के रूप में पुनर्गठन के फलस्वरूप तत्कालीन 12 सा0क्षे0उ0 के सम्पत्तियों एवं दायित्वों को विभाजित करना (दिसम्बर 2005) तय हुआ था। हालाँकि यह प्रक्रिया दिसम्बर 2017 तक मात्र पाँच सा0क्षे0उ0 के संदर्भ में पूरी की गई थी।

(कंडिका 1.23)

उज्जवल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) के अन्तर्गत ऊर्जा क्षेत्र में सुधार

ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार तथा बिहार सरकार एवं दो राज्य डिस्कॉम–साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड तथा नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के बीच योजना के क्रियान्वयन हेतु चिन्हित वित्तीय और परिचालन लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु समझौते पर हस्ताक्षर (फरवरी 2016) हुए। यद्यपि दोनों डिस्कॉम द्वारा वित्तीय लक्ष्य तो प्राप्त किए गए परन्तु परिचालन लक्ष्यों की प्राप्ति विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, संतोषजनक नहीं थी।

(कंडिका 1.24)

अनुशंसाओं का सार

- **चूँकि अकार्यशील एवं हानि वहन करने वाले सा0क्षे0उ0 के अस्तित्व में बने रहने से राजकोष से काफी अधिक मात्रा में राशि की बर्बादी होती है, राज्य सरकार द्वारा (i) सभी हानि वहन करने वाले सा0क्षे0उ0 के**

[2] बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड का वर्ष 1991–92 से 1993–94 के लिए, बिहार राज्य एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड का वर्ष 2008–09 से 2015–16 के लिए तथा बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड का वर्ष 2001–02 से 2002–03 के लिए।

क्रियाकलाप एवं (ii) अकार्यशील सा0क्षे0उ0 की स्थिति तथा उनके समापन के प्रक्रिया के शुरूआत की समीक्षा की जा सकती है।

- वित्त विभाग और सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य सा0क्षे0उ0 अपने लेखों को अद्यतन करने के लिए शीघ्र कदम उठायें ताकि इन सा0क्षे0उ0 के निदेशक कम्पनी अधिनियम तथा राज्य सांविधिक निगम के सम्बन्धित अधिनियम का निरन्तर उल्लंघन नहीं करें।
- वित्त विभाग तथा संबद्ध प्रशासनिक विभागों को सुनिश्चित करना चाहिए कि बजटीय सहायता का विस्तार सिर्फ उन सा0क्षे0उ0 के लिए किया जाए जिनके लेखें अद्यतन है।
- वित्त विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सांविधिक निगमों के पृ0ले0प0प्र0 विधानमंडल में तत्काल उपस्थापित किए जाए तथा ऐसा होने तक इन निगमों को अग्रेत्तर बजटीय सहायता न दी जाए।
- वित्त विभाग बि0रा0प0परि0नि0 के क्रियाकलापों पर विचार कर सकता है जहाँ सी0ए0जी0 ने निगम के लेखाओं पर मंतव्य देने से मना कर दिया था।
- वित्त विभाग तथा संबद्ध प्रशासकीय विभाग 25 कम्पनियों के क्रियाकलाप पर विचार कर सकते है जहाँ संबंधित अंकेक्षकों ने सशर्त प्रमाण–पत्र दिए तथा उन तीन कम्पनियों पर जहाँ सी0ए0जी0 ने मंतव्य देने से मना कर दिया।
- वित्त विभाग लाभ अर्जित करने वाले सा0क्षे0उ0 में अंश निवेश पर निर्दिष्ट लाभांश के भुगतान हेतु उत्तर प्रदेश सरकार (अंश पूँजी का पाँच प्रतिशत) और मध्य प्रदेश सरकार (कर के बाद लाभ का 20 प्रतिशत) के परिपाटी के आधार पर लाभांश नीति तैयार कर सकती है।

2.1 बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड पर निष्पादन लेखापरीक्षा

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड (कम्पनी), भवन निर्माण विभाग, बिहार सरकार के प्रशासकीय नियंत्रण के अन्तर्गत काम करती है। कम्पनी ने उप संविदाकर्त्ता के माध्यम से बिहार सरकार के 27 उपयोगकर्त्ता विभागों/सा0क्षे0उ0/एजेंसियों के निर्माण परियोजनाएँ कार्यान्वित की। 2012–17 के दौरान कम्पनी ने ₹ 3,371.99 करोड़ का कार्य प्रारम्भ किया तथा ₹ 1,692.44 करोड़ का कार्य पूर्ण किया।

कम्पनी के क्रियाकलापों पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नलिखित है :

मानव संसाधन प्रबंधन

2010 में कम्पनी के गठन के बाद से ही पूर्णकालिक प्रबंध निदेशक (एक बार छोड़कर) नहीं है। रिक्तियों के समेकित विज्ञापन के जगह टुकड़ों में विज्ञापन देने के कारण, मानवशक्ति के 428 स्वीकृत बल के विरूद्ध मार्च 2017 में मात्र 132 उपलब्ध थे। इन रिक्तियों के कारण योजनाओं के कार्यान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा तथा इसके परिणामस्वरूप कार्य भार का असमान/अतार्किक वितरण हुआ।

(कंडिका 2.1.5)

वित्तीय प्रबंधन

संचय और आधिक्य जो 2012–13 के (–) ₹ 0.03 करोड़ से बढ़कर 2016–17 में ₹ 57.39 करोड़ हो गये, में दो उपयोगकर्ता विभागों से बिना अनुमोदन के अनियमित रूप से लिए गए सेन्टेज शुल्क के तौर पर ₹ 47.52 करोड़ भी सम्मिलित थे।

(कंडिका 2.1.6)

2012–14 के दौरान, शुरूआती वर्षों में काम नहीं कर पाने के कारण कम्पनी ने ₹ 181.92 करोड़ का प्रत्यर्पण किया।

(कंडिका 2.1.7)

कम्पनी ने विभिन्न परियोजनाओं में अपने निधि से ₹ 55.44 करोड़ खर्च किए तथा उपयोगकर्ता विभागों से ब्याज के ₹ 4.55 करोड़ का दावा करने में विफल रहा।

(कंडिका 2.1.8)

परियोजना प्रबंधन

योजना

699 कार्यों के नमूना जाँच में से 361 कार्यों में विभिन्न कारणों से कार्य प्रारंभ होने में एक से 21 महीनों का विलम्ब हुआ। विलम्ब के कारणों में योजना प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों के लिए समय सीमा तय न होना सम्मिलित था, जिसके कारण प्राक्कलन बनाने में प्रक्रियात्मक विलम्ब, तकनीकी स्वीकृति देने में विलम्ब, निविदा देने में विलम्ब, इत्यादि हुए।

(कंडिका 2.1.13)

कम्पनी ने उपयोगकर्ता विभाग के प्रशासनिक स्वीकृति या निदेशक मंडल के स्वीकृति के बिना और उपयोगकर्ता विभाग के मौखिक अनुदेशों पर सात प्री–फेब्रीकेटेड गोदामों का निर्माण किया। ₹ 1.28 करोड़ खर्च करने के बाद निधि की कमी के कारण, अप्रैल 2016 के बाद से कार्य रूके हुए थे।

(कंडिका 2.1.14)

101 बुनियाद केन्द्रों के प्राक्कलन में सलाहकार ने गलती से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क को सम्मिलित कर लिया जबकि विश्व बैंक से सहायता प्राप्त ऐसे परियोजनाओं पर शुल्क में छूट मिलती है। इसके फलस्वरूप, कम्पनी ₹ 5.25 करोड़ के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का छूट लेने में विफल रही।

(कंडिका 2.1.16)

निविदा

बिहार वित्तीय नियमावली का उल्लंघन कर कम्पनी ने बिना निविदा आमंत्रित किए ₹ 19.48 करोड़ के 88 कार्यों के अतिरिक्त कार्य, प्रत्येक कार्य जो ₹ 10 लाख से अधिक के थे, को नामांकन के आधार पर उन्ही संवेदकों को दिए जिन्होनें मूल कार्य सम्पन्न किया था।

(कंडिका 2.1.18)

कम्पनी द्वारा अयोग्य अनुभव प्रमाण–पत्र के आधार पर बोलीकर्त्ता को ₹ 125.66 करोड़ मूल्य के 60 प्री–फेब्रीकेटेड गोदामों के निर्माण के लिए पाँच संविदाएँ दी गई।

(कंडिका 2.1.19)

बोली क्षमता के आकलन के दौरान, कम्पनी, संवेदक के विद्यमान कार्यों के मूल्य को मानक बोली दस्तावेज के अनुसार घटाने में विफल रही। इसकी वजह से अपर्याप्त बोली क्षमता वाले संवेदक को ₹ 34.41 करोड़ मूल्य के नौ प्री–फेब्रीकेटेड गोदामों के निर्माण का कार्य दे दिया गया। संवेदक नौ मे से किसी भी गोदाम को पूर्ण करने में असफल रहा।

(कंडिका 2.1.20)

कम्पनी ₹ 22.12 करोड़ मूल्य के आठ गोदामों के निर्माण कार्य को देने के पहले स्थानीय प्रशासन से अनापत्ति प्रमाण–पत्र लेने में विफल रहा। इस वजह से संविदा देने के नौ से 26 महीने बीत जाने के पश्चात् भी कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया था।

(कंडिका 2.1.21)

परियोजना कार्यान्वयन

215 गोदाम, 75 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सी0एच0सी0) तथा 42 अन्य कार्य एक से 33 महीनों के विलम्ब से पूर्ण हुए। विवाद रहित जमीन की अनुपलब्धता, कार्य का धीमा निष्पादन, इत्यादि कारणों से 111 गोदाम, 11 सी0एच0सी0 तथा 41 अन्य कार्य एक से 36 महीने के विलम्ब के बावजूद अपूर्ण थे। इसके फलस्वरूप :

- 6,82,950 एम0टी0 भंडारण क्षमता वाले 326 गोदामों के इस्तेमाल में देरी के कारण 2014–17 के दौरान किराए पर लिए गए गोदामों पर ₹ 9.72 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।
- 86 सी0एच0सी0 के पूर्ण होने में विलम्ब के कारण लोगों को उन्नत स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने के वांछित लाभ देने में विलम्ब हुआ।

(कंडिका 2.1.24)

84 गोदामों के हस्तांतरण में एक से 30 महीने का विलम्ब तथा छः पूर्ण गोदामों के हस्तांतरण में विलम्ब (12 से 33 महीने तक) के कारण 2014–17 के दौरान उपयोगकर्त्ता (बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम) ने किराए पर लिए गए गोदामों पर ₹ 76.95 लाख का परिहार्य व्यय किया।

40 सी0एच0सी0 के हस्तांतरण में एक से 22 महीनों का विलम्ब तथा छः सी0एच0सी0 के तीन से 18 महीनों तक हस्तांतरण न होने के कारण उन्नत स्वास्थ्य सेवाएँ मिलने में विलम्ब हुआ।

(कंडिका 2.1.25)

दो अनुबंधों में कम्पनी ने संवेदकों को वास्तविक दूरी की जगह लम्बी दूरी के दर पर ढुलाई भाड़ा दिया जिसके कारण ₹ 5.37 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ। 358 मामलों में, यद्यपि संवेदकों द्वारा गिट्टी तथा खुरदरा बालू के ढुलाई के साक्ष्य के तौर पर अपेक्षित फॉर्म जमा नहीं किए गए, तब भी कम्पनी द्वारा ₹ 50.43 करोड़ संवेदकों को ढुलाई भाड़ा का भुगतान स्वीकृत किया गया।

(कंडिकाएँ 2.1.27 एवं 2.1.28)

अनुशंसाओं का सार

- कम्पनी को पूर्णकालिक प्रबंध निदेशक नियुक्त करना चाहिए।
- कम्पनी को अपने मानवशक्ति संरचना की समीक्षा करनी चाहिए जिससे यह ज्ञात किया जा सके कि कम्पनी अनावश्यक पदों को समाप्त करने तथा कम संख्या वाले एक असरदार संस्था के निर्माण के अपने उद्देश्य में सफल है।
- कम्पनी को अपने निधि प्रबंधन में तत्परता दिखानी चाहिए।
- विभिन्न योजना कार्यों हेतु समय–सीमा के पालन का ध्यान कम्पनी को रखना चाहिए।
- उपयोगकर्त्ता विभागों द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद ही कम्पनी को कार्य प्रारंभ करना चाहिए।
- कम्पनी सलाहकार द्वारा तैयार आकलन के जाँच हेतु तकनीकी स्कंध में एक समर्पित प्रकोष्ठ के स्थापित करने पर विचार कर सकती है।
- बिहार वित्तीय नियमावली के अनुसार कम्पनी को ₹ 10 लाख से ऊपर के सारे कार्यों हेतु खुली निविदा करनी चाहिए।
- सभी संविदाओं को मानक बोली दस्तावेज तथा सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
- कम्पनी को कार्य शुरू करने के लिए संविदा देने से पूर्व संबद्ध प्राधिकारियों से अनापत्ति प्रमाण–पत्र लेना चाहिए।
- कम्पनी को संवेदको के क्रियाकलाप का अनुश्रवण एवं निरीक्षण पर जोर देना चाहिए तथा विलंबित योजना को प्राथमिकता देते हुए एवं बाधाएँ, यदि कोई है, तो हटाते हुए पूर्ण करना चाहिए।
- कम्पनी को पूर्ण कार्यों को ससमय हस्तांतरित करना चाहिए।
- कम्पनी को प्राक्कलन के समय ही ढुलाई भाड़ा के भुगतान हेतु संभावित न्यूनतम दूरी का आकलन करना चाहिए ताकि अतिरिक्त भुगतान से बचा जा सके।

2.2 बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा शैक्षणिक आधारभूत संरचना के विकास पर लेखापरीक्षा

बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (कम्पनी) बिहार में हर प्रकार के सरकारी शैक्षणिक आधारभूत संरचना का निर्माण तथा रख–रखाव करती है। 2012–17 के दौरान, कम्पनी ने ₹ 6,196.61 करोड़ की स्वीकृत राशि के 5,082 कार्यों समेत 60 परियोजनाओं/योजनाओं पर कार्य आरंभ किया और मार्च 2017 तक ₹ 3,617.06 करोड़ (58.37 प्रतिशत) का व्यय किया।

2012–17 के दौरान कम्पनी के कार्य निष्पादन पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्न है :

वित्तीय प्रबंधन

2012–13 से 2015–16 के दौरान कम्पनी का कुल लाभ ₹ 5.24 करोड़ से ₹ 70.51 करोड़ तक बढ़ा। हालांकि वर्ष 2016–17 में कम्पनी की लाभप्रदत्ता घटकर ₹ 22.96

करोड़ हो गई जिसका मुख्य कारण कार्य का धीमा निष्पादन तथा राज्य सरकार द्वारा जनवरी 2016 से सेन्टेज शुल्क में कटौती रहा।

ऑटो स्वीप सुविधा का चयन न कर, 2012–17 की अवधि के दौरान ₹ 293.84 करोड़ से ₹ 866.32 करोड़ की आधिक्य परियोजना राशि बचत बैंक खाता में रखने के कारण कम्पनी अपने वित्तीय हितों की रक्षा करने में विफल रही। इससे परियोजना निधि में ₹ 62.30 करोड़ के ब्याज के आय की हानि हुई।

कम्पनी ने अप्रैल 2015 से सितम्बर 2016 की अवधि के दौरान सेवा कर का देर से भुगतान किया जिसके कारण ब्याज राशि के रूप में ₹ एक करोड़ के अनुचित दायित्व का सृजन हुआ।

(कंडिकाएँ 2.2.5 एवं 2.2.6)

योजना

विभिन्न राज्य प्राधिकारियों/उपयोगकर्त्ता विभाग से विवाद रहित जमीन मिलने में देरी के कारण, कम्पनी सात विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 240 कार्यों का प्रारम्भ, प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के 16 से 73 महीनों के विलम्ब के बावजूद भी नहीं कर सकी।

कम्पनी 297 मॉडल स्कूलों के प्राक्कलन में फर्नीचर तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं को शामिल करने में विफल रही। 71 मॉडल स्कूलों के मामले में जमीन की अनुपलब्धता के कारण निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया। इसके फलस्वरूप, मॉडल स्कूल योजना पूर्ण रूप से विफल रहा और ₹ 555.69 करोड़ के व्यय के बाद भी योजना के अन्तर्गत शैक्षणिक लाभ नहीं मिल पाया।

(कंडिकाएँ 2.2.10 से 2.2.11)

परियोजना कार्यान्वयन

फर्जी बोली क्षमता वाले संवेदक के चयन के कारण संवेदक को अनुचित लाभ का विस्तार हुआ तथा ₹ 36.82 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

(कंडिका 2.2.16)

यद्यपि कम्पनी ने ₹ 9.08 करोड़ मूल्य के छः कार्यों को कार्य की धीमी प्रगति के कारण निरस्त कर दिया, तथापि कम्पनी ₹ 59.68 लाख मूल्य के निष्पादन बैंक गारंटी (पी0बी0जी0) को यथासमय नवीनीकरण कराने में विफल रही, जिसके कारण इसे भुनाया नहीं जा सका। अग्रेत्तर 36 कार्यों के अपूर्ण होने के बाद भी कम्पनी ₹ 2.91 करोड़ मूल्य के पी0बी0जी0 के नवीनीकरण कराने में विफल रही।

(कंडिका 2.2.17)

कम्पनी छः कार्यों की प्रगति पर निगरानी रखने में विफल रही तथा चार वर्ष बीत जाने पर धीमी प्रगति के कारण संविदा को निरस्त कर दिया। इसके अतिरिक्त, दो कार्य बीच में ही परित्यक्त हो गए क्योंकि प्राधिकारियों ने गैर–बाधा मुक्त निर्माण स्थल पर निर्माण रोक दिया। इसके फलस्वरूप, इन आठ कार्यों पर ₹ 3.10 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

(कंडिका 2.2.18)

कम्पनी भवन निर्माण विभाग के एस0ओ0आर0 में उपलब्ध 500 एम0एम0 व्यास के पाईल कार्य पर विशिष्ट दर घटक को ध्यान में रखने में विफल रही, जिसकी वजह से संवेदक को ₹ 3.72 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त भुगतान हुआ।

(कंडिका 2.2.19)

कम्पनी, कोड के प्रावधानों (बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता, कान्ट्रैक्टर पंजीकरण नियम, 2012 तथा मानक बोली दस्तावेज) का 59 कार्यों में पालन करने में विफल रही जिसके कारण ₹ 5.93 करोड़ का अनियमित भुगतान/विमुक्त हुआ।

(कंडिका 2.2.20)

अनुशंसाओं का सार

- **कार्यों के त्वरित कार्यान्वयन, ऑटो स्वीप सुविधाओं का इस्तेमाल (बचत बैंक खातों में जमा करने की जगह) और करों का समय पर भुगतान कर कम्पनी को अपने निधि प्रबंधन में तत्परता दिखानी चाहिए।**
- **राज्य सरकार तथा कम्पनी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि डिजाईन और कार्य प्राक्कलन का अंतिमीकरण स्थानीय प्रशासन द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र मिलने के बाद ही हो।**
- **राज्य सरकार को निविदाकर्त्ता द्वारा समर्पित सभी प्रलेखों का सत्यापन एवं वैसे निविदाकर्त्ता व उनके सहभागियों जो जाली प्रमाण–पत्र समर्पित करते हैं, को काली–सूची में डालने एवं उन पर आपराधिक मुकदामा चलाने हेतु उचित प्रणाली विकसित करनी चाहिए।**
- **कम्पनी को पी0बी0जी का यथासमय नवीनीकरण सुनिश्चित करना चाहिए।**
- **कम्पनी को कार्य शुरू करने के पहले बाधा मुक्त जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए तथा गलती करनेवाले संवेदकों के विरूद्ध ससमय कार्रवाई करनी चाहिए।**
- **कम्पनी को श्रम तथा सामग्रियों के लिए उचित दर को बिहार एस0ओ0आर0 के अनुसार अपनाना सुनिश्चित करना चाहिए।**
- **कम्पनी को कोड के प्रावधानों तथा प्रयोज्य कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।**

3. अनुपालन लेखापरीक्षा के प्रेक्षण

महत्वपूर्ण अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाओं का सारांश नीचे वर्णित है :

बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड ने अनियमित रूप से आपूर्त्तिकर्त्ता को ₹ 128.45 करोड़ एवं ₹ 157.36 करोड़ मूल्य की संविदा प्रदान की, प्रेषित माल को बिना किसी निर्धारित गुणवत्ता की जाँच के स्वीकार किया, आपूर्त्तिकर्त्ता से सुरक्षा जमा राशि के रूप में ₹ 10.72 करोड़ कम लिए, भुगतान रोक कर रखने के स्पष्ट आदेशों के बावजूद निम्न गुणवत्ता वाले गनी बैग के लिए ₹ 15.75 करोड़ की राशि अनियमित रूप से जारी किये, इस जानकारी के बावजूद कि आपूर्त्तिकर्त्ता के द्वारा पहले वर्ष में आपूर्त्ति किये गये सामान निम्न गुणवत्ता के कारण जाँच के दायरे में है, उसी आपूर्त्तिकर्त्ता को दूसरे वर्ष की संविदा प्रदान की तथा आपूर्त्तिकर्त्ता को काली सूची में डालने के आदेशों की अवहेलना की।

(कंडिका 3.1)

बिहार स्टेट मेडिकल सर्विसेज एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा अपने बैंक जमाओं के निगरानी करने में विफल रहने के कारण ₹ 5.43 करोड़ का ब्याज अर्जित करने का अवसर खो दिया।

(कंडिका 3.2)

बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड ने सलाहकार के पूर्व में दिए गए प्रतिवेदन पर किसी प्रकार की कार्यवाही न किये जाने के बावजूद भी कम्पनी ने तीन साल तक सलाहकार की सेवाओं को अनावश्यक रूप से नवीनीकृत करते हुए ₹ 1.08 करोड़ का भुगतान किया, जिससे कम्पनी द्वारा चार वर्षों में किया गया कुल व्यय ₹ 1.44 करोड़ निष्फल रहा। सलाहकार की सिफारिशों पर कार्य करने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 50.27 करोड़ के परिहार्य दण्ड का भुगतान करना पड़ा।

(कंडिका 3.3)

ऊर्जा शक्ति के क्रय के एकरारनामा में संशोधन में **बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड** की अनुचित कार्रवाई के कारण ₹ 61.70 करोड़ की हानि।

(कंडिका 3.6)

नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा उपभोक्ताओं के अनुचित वर्गीकरण एवं तदनुसार कम दर पर विपत्रीकरण के फलस्वरूप ₹ 5.24 करोड़ की राजस्व की हानि।

(कंडिका 3.7)

अध्याय-1

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का क्रियाकलाप

अध्याय–1

1. राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का क्रियाकलाप

परिचय

1.1 31 मार्च 2017 को बिहार में राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सा0क्षे0उ0) जिसमें राज्य सरकार की कम्पनियाँ तथा सांविधिक निगमें सम्मिलित है, की कुल संख्या 74 थी ***(परिशिष्ट–1.1)***, जो नीचे दर्शाया गया है :

तालिका सं0 1.1 : 31 मार्च 2017 को सा0क्षे0उ0 की संख्या

सा0क्षे0उ0 का प्रकार	कार्यशील सा0क्षे0उ0	अकार्यशील सा0क्षे0उ0[1]	कुल
सरकारी कम्पनियाँ[2]	27	44	71
सांविधिक निगमें	3	–	3
कुल	30	44	74

31 दिसम्बर 2017 तक 30 कार्यशील सा0क्षे0उ0 तथा 44 अकार्यशील सा0क्षे0उ0 में से मात्र 16 कार्यशील सा0क्षे0उ0 तथा दो अकार्यशील सा0क्षे0उ0[3] ने वर्ष 2014–15 से 2016–17 के लिए अपने लेखाओं का अन्तिमीकरण किया था ***(परिशिष्ट 1.2)***। इन 18 सा0क्षे0उ0 के अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार, इनमें से 10 सा0क्षे0उ0 ने ₹ 278.18 करोड़[4] का लाभ कमाया, सात सा0क्षे0उ0 ने ₹ 1,437.93 करोड़[5] की हानि उठाई तथा शेष एक[6] सा0क्षे0उ0 बिना लाभ या हानि का रहा। अपने अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार इन सा0क्षे0उ0 ने 31 दिसम्बर 2017 तक ₹ 11,277.70 करोड़ का टर्नओवर दर्ज किया।

इन 18 सा0क्षे0उ0 ने राज्य सरकार के विनियोग पर 6.14 प्रतिशत का नकारात्मक प्रतिफल अर्जित किया। यह वर्ष 2014–15 से 2016–17 के बीच ली गई उधार की औसत लागत दर 8.49 प्रतिशत से काफी कम रहा। इस प्रकार, विगत तीन वर्षों में अपने लेखाओं को अंतिम रूप देने वाले 18 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में निवेश के परिणामस्वरूप राजकोष को लगभग ₹ 1,159.75 करोड़ की हानि हुई। शेष 56 सा0क्षे0उ0, जिनके द्वारा लेखाओं का अंतिमीकरण नही किया गया है, की हानि यदि हो तो, का आकलन नहीं किया जा सका।

31 मार्च 2017 तक राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में 16,533 कर्मचारी थे (28 कार्यशील सा0क्षे0उ0 में 15,751 तथा 20 अकार्यशील सा0क्षे0उ0 में 782)। अकार्यशील सा0क्षे0उ0 में तीन वर्षों से अधिक से कोई क्रियाकलाप नहीं था और उनमें ₹ 751.06 करोड़ का निवेश था।

[1] सा0क्षे0उ0 जहाँ विगत तीन वर्षो से अधिक से कार्यकलाप बंद है।

[2] सरकारी सा0क्षे0उ0 में वे कम्पनियाँ भी शामिल है जो कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45), 139(5) तथा 139(7) मे संदर्भित है।

[3] बिहार एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा स्काडा एग्रो बिजनेस कम्पनी लिमिटेड जिन्होंने अपने लेखाओ का क्रमशः 2015–16 तथा 2014–15 तक का अंतिमीकरण किया।

[4] ***परिशिष्ट–1.1*** का क्रम सं0 अ7, अ8, अ10, अ11, अ12, अ13, अ17, अ20, अ23, तथा स2।

[5] ***परिशिष्ट–1.1*** का क्रम सं0 अ5, अ16, अ18, अ19, अ 26, ब1 तथा स6।

[6] बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड के व्ययों की प्रतिपूर्ति, सहायक कम्पनियों, जिनके लिए वह मुख्यतः कार्य करती है, द्वारा की जाती है।

अनुशंसा

चूँकि अकार्यशील एवं हानि वहन करने वाले सा0क्षे0उ0 के अस्तित्व में बने रहने से राजकोष से काफी अधिक मात्रा में राशि की बर्बादी होती हैं, राज्य सरकार द्वारा (i) सभी हानि वहन करने वाले सा0क्षे0उ0 के क्रियाकलाप एवं (ii) अकार्यशील सा0क्षे0उ0 की स्थिति तथा उनके समापन के प्रक्रिया के शुरूआत की समीक्षा की जा सकती है।

उत्तरदायित्व रूपरेखा

1.2 सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 139 तथा 143 द्वारा अधिशासित है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी0ए0जी0) द्वारा सनदी लेखाकारों (सी0ए0) की नियुक्ति सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में की जाती है और स्वयं इन कम्पनियों की पूरक लेखापरीक्षा की जाती है।

सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनसे सम्बन्धित विधानों द्वारा नियन्त्रित होती है, जिसका विवरण नीचे तालिका सं0 1.2 में दर्शाया गया है :

तालिका सं0 1.2 : सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा हेतु विधान

क्र0 सं0	सांविधिक निगम का नाम	सी0ए0जी0 को लेखापरीक्षा हेतु प्राधिकार	लेखापरीक्षा व्यवस्था
1	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	पथ परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 33 (2) के अंतर्गत	एकमात्र सी0ए0जी0 के द्वारा लेखापरीक्षा
2	बिहार राज्य वित्तीय निगम	राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 37 (6) के अंतर्गत	सनदी लेखाकारो द्वारा लेखापरीक्षा एवं सी0ए0जी0 द्वारा पूरक लेखापरीक्षा
3	बिहार राज्य भंडार निगम	राज्य भंडार निगम अधिनियम, 1962 की धारा 31 (8) के अंतर्गत	सनदी लेखाकारो द्वारा लेखापरीक्षा एवं सी0ए0जी0 द्वारा पूरक लेखापरीक्षा

सी0ए0जी0 के प्रतिवेदन, सी0ए0जी0 (कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्त्तें) अधिनियम 1971, के अन्तर्गत सरकार को समर्पित की जाती है जिसे विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

1.3 बिहार सरकार सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों द्वारा इन सा0क्षे0उ0 के मामलों पर नियंत्रण रखती है जिनके मुख्य कार्यपालक एवं निदेशक पर्षद में निदेशकों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है।

बिहार सरकार का अंश

1.4 सा0क्षे0उ0 में राज्य सरकार की हिस्सेदारी तीन व्यापक श्रेणियों के अन्तर्गत आती है, यथा–अंशपूँजी एवं ऋण, उपभोक्ताओं को अनुदान एवं अर्थसहाय्य के रूप में विशिष्ट बजटीय सहायता तथा सा0क्षे0उ0 द्वारा वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋणों की प्रत्याभूति।

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में निवेश

1.5 31 मार्च 2017 को, 74 राज्य सा0क्षे0उ0 में राज्य सरकार, केन्द्र सरकार एवं अन्य के द्वारा ₹ 53,891.59 करोड़ के निवेश (अंश पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण) का विवरण नीचे तालिका सं0 1.3 में दिया गया है (विस्तृत विवरण ***परिशिष्ट–1.1*** में दर्शाया गया है)।

तालिका सं0 1.3 : 31 मार्च 2017 को सा0क्षे0उ0 में कुल निवेश

(₹ करोड़ में)

सा0क्षे0उ0 का प्रकार	अन्तिमीकृत लेखों की विवरणी	पूँजी			दीर्घावधि ऋण			कुल योग
		राज्य सरकार	अन्य[7]	योग	राज्य सरकार	अन्य[8]	योग	
कार्यशील सा0क्षे0उ0	2014–15 से 2016–17[9]	21,264.44	20,419.88	41,684.32	1,141.50	6,336.38	7,477.88	**49,162.20**
	2014–15 से पूर्व	263.59	31.30	294.89	3,324.03	359.41	3,683.44	**3,978.33**
योग		**21,528.03**	**20,451.18**	**41,979.21**	**4,465.53**	**6,695.79**	**11,161.32**	**53,140.53**
अकार्यशील सा0क्षे0उ0	2014–15 से 2016–17	5.12	2.50	7.62	12.60	0.00	12.60	**20.22**
	2014–15 से पूर्व	150.96	38.15	189.11	503.43	38.30	541.73	**730.84**
योग		**156.08**	**40.65**	**196.73**	**516.03**	**38.30**	**554.33**	**751.06**
कुल योग		**21,684.11**	**20,491.83**	**42,175.94**	**4,981.56**	**6,734.09**	**11,715.65**	**53,891.59**

स्रोत : लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार/सा0क्षे0उ0 द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना।

1.6 31 मार्च 2017 को, राज्य सा0क्षे0उ0 में प्रक्षेत्रवार निवेशों का संक्षिप्त विवरण तालिका सं0 1.4 में दिया गया है :

तालिका सं0 1.4 : सा0क्षे0उ0 में प्रक्षेत्रवार निवेश

प्रक्षेत्र का नाम	कार्यशील सा0क्षे0उ0		अकार्यशील सा0क्षे0उ0		कुल	कुल निवेश (₹ करोड़ में)	अंतिम पाँच वर्षों में निवेश (₹ करोड़ में)
	तीन वर्षों के लेखा सहित	तीन वर्षों के लेखा बिना	तीन वर्षों के लेखा सहित	तीन वर्षों के लेखा बिना			
ऊर्जा	6	3	0	0	9	49,333.19	39,492.32
सेवा	2	3	0	1	6	3,174.41	1,978.12
वित्त	2	3	0	4	9	590.82	-14.84[10]
विनिर्माण	2	0	0	13	15	446.94	13.78
अन्य	4	5	2	24	35	346.23	47.46
कुल	**16**	**14**	**2**	**42**	**74**	**53,891.59**	**41,516.84**

स्रोत : लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार/सा0क्षे0उ0 द्वारा दी गई सूचना।

[7] इसमें केन्द्र सरकार की अंश पूँजी तथा सात होल्डिंग कम्पनियों द्वारा ₹ 20,418.12 करोड़ का अपने 32 सहायक कम्पनियों में निवेश शामिल था।

[8] केन्द्र सरकार तथा वित्तीय संस्थाओं से ऋण शामिल।

[9] वर्ष 2014–15 तक के लेखाओं का न्यूनतम अन्तिमीकरण।

[10] निवेश में कमी का मुख्य कारण वित्त प्रक्षेत्र के सा0क्षे0उ0 द्वारा ऋणों का पुर्नभुगतान (अन्य में) रहा।

नवम्बर 2012 में तत्कालीन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बि0रा0वि0बो0) का पाँच कम्पनियों[11] में विघटन के परिणामस्वरूप सा0क्षे0उ0 में राज्य सरकार के निवेश का जोर ऊर्जा क्षेत्र में था। राज्य सरकार द्वारा की गई कुल निवेश ₹ 26,665.67 करोड़ (अंश में ₹ 21,684.11 करोड़ तथा ऋण में ₹ 4,981.56 करोड़) में से ₹ 15,180.19 करोड़ (अंश में ₹ 21,156.91 करोड़ तथा ऋण में (–) ₹ 5,976.72 करोड़) का निवेश वर्ष 2012–17 के दौरान किया गया था।

1.7 वित्त लेखें तथा सा0क्षे0उ0 के अभिलेखों में सरकार के अंशों एवं ऋणों में दर्शाये गये आँकड़ों के अन्तर को नीचे दिये तालिका सं0 1.5 में दर्शाया गया है[12] :

तालिका सं0 1.5 : 31 मार्च 2017 को लम्बित अंश तथा ऋण

(₹ करोड़ में)

निवेश	वित्त लेखें के अनुसार	सा0क्षे0उ0 के अभिलेखों के अनुसार	अन्तर[13]
अंश	15,254.21	21,684.11	(6,429.90)
ऋण	19,040.21	4,981.56	14,058.65

स्रोत : सा0क्षे0उ0 तथा वित्त लेखे, बिहार सरकार, 2016–17 द्वारा दी गई सूचना

वित्त लेखें के आँकड़ों तथा सा0क्षे0उ0 के अभिलेखों में राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों के अन्तर को नीचे तालिका सं0 1.6 में दर्शाया गया है :

तालिक सं0 1.6 : 31 मार्च 2017 को प्रत्याभूति बकाया

(₹ करोड़ में)

गारंटी बकाया	वित्त लेखें के अनुसार राशि	सा0क्षे0उ0 के लेखाओं के अनुसार राशि	अन्तर
	4,134.95	3,558.19	576.76

स्रोत : सा0क्षे0उ0 तथा वित्त लेखें, बिहार सरकार 2016–17 द्वारा समर्पित सूचना

अनुशंसा

प्रशासी विभागों तथा सा0क्षे0उ0 को समयबद्ध तरीके से लेखों में अन्तर का समाशोधन करने के लिए शीघ्र कदम उठाने चाहिए।

[11] बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड, बिहार स्टेट पावर जेनेरेशन कम्पनी लिमिटेड, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड।

[12] राज्य वित्त प्रतिवेदन, (2016–17) बिहार सरकार में विस्तार में उपलब्ध।

[13] अंतर का मुख्य कारण ₹ 8,923.96 करोड़, जिसमें ऊर्जा कम्पनियों में राज्य सरकार के ₹ 2,739.62 करोड़ की सरकारी अंश पूँजी का भूलवश सम्मिलित नही किया जाना शामिल है, एवं ₹ 14,107.19 करोड़ के सरकारी ऋण का बि0रा0वि0बो0 के पाँच अलग–अलग उर्जा कम्पनियों में पुनर्गठन सम्बन्धित अभिलेख वित्त लेखे में शामिल नही किया जाना है।

1.8 सा0क्षे0उ0 में सरकार के अंशदान की स्थिति नीचे वर्णित है :

तालिका सं0 : 1.7 सा0क्षे0उ0 में सरकार के अंशदान की स्थिति

(₹ करोड़ में)

विवरण	सा0क्षे0उ0 की संख्या	राशि
अकार्यशील सा0क्षे0उ0 में नाममात्र का[14] सरकारी अंशदान	23[15]	0.23
अकार्यशील सा0क्षे0उ0 जहाँ कोई व्यय नहीं है	38	0.00
अकार्यशील सा0क्षे0उ0 द्वारा 2015–16 एवं 2016–17 की अवधि में प्राप्त अंश, ऋण एवं अनुदान/सहायता	3[16]	71.61
सा0क्षे0उ0 की बकाया ऋणें जिन पर विगत पाँच वर्षों से ब्याज का भुगतान नहीं किया गया है	32	5,145.60

स्रोत : बिहार सरकार के वर्ष 2016–17 के वित्त लेखा एवं सा0क्षे0उ0 द्वारा प्रदान की गई सूचना

अनुशंसा

1. **बिहार सरकार को 27[17] अकार्यशील सा0क्षे0उ0 के समापन के लिए उनकी स्थिति की समीक्षा करनी चाहिए।**

2. **इसी तरह बिहार सरकार का सभी सा0क्षे0उ0 के समापन/विनिवेश के लिए समीक्षा करनी चाहिए जहाँ इसकी हिस्सेदारी नाममात्र की है। ऐसी कम्पनियों के कर्मचारियों को रिक्तियों वाले सरकारी विभागों को रिवर्स प्रतिनियुक्ति पर भेजा जा सकता है जैसा कि राजस्थान सरकार द्वारा किया गया है।**

3. **चूँकि 32 सा0क्षे0उ0 द्वारा मूलधन के पुर्नभुगतान की संभावना, जिनके द्वारा अभी तक ऋण पर ब्याज का भी भुगतान नहीं किया गया है, नगण्य है, अगर अस्तित्वहीन नहीं है तो राज्य सरकार को, पुराने ऋणों को अंश पूँजी में परिवर्तित करने एवं भविष्य में भुगतान, अगर कोई हो तो, उसे अनुदान के रूप में देने पर विचार करना चाहिए, जब तक कि इनमें से कुछ सा0क्षे0उ0 को बन्द करने की समीक्षा नहीं होती।**

लेखाओं के अन्तिमीकरण के बकाये

1.9 कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसार कम्पनियों के प्रत्येक वित्तीय विवरणी का अन्तिमीकरण सम्बन्धित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह के अन्दर अर्थात् सितम्बर के अंत तक करना होता है। ऐसा नहीं करने पर अधिनियम में दण्ड का प्रावधान है, जिसमें सम्बन्धित कम्पनी का प्रत्येक अधिकारी, जो ऐसा चूक करता है, को एक साल तक के कारावास की सजा या न्यूनतम ₹ पचास हजार तक जुर्माना, जो ₹ पाँच लाख तक बढ़ाया जा सकता है या दोनों हो सकती है।

[14] ₹ एक करोड़ से कम के अंश तथा ऋण।

[15] स2, स8, स9, स10, स11, स12, स13, स14, स21, स22, स23, स24, स25, स26, स28, स30, स35, स36, स37, स38, स39, स41 एवं स42 (*परिशिष्ट 1.1*) ।

[16] बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड, बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड तथा बिहार राज्य फल एवं सब्जी विकास निगम लिमिटेड।

[17] 44 अकार्यशील सा0क्षे0उ0 (घटाव) पाँच सा0क्षे0उ0 जिनको बंद किए जाने की प्रक्रिया आरम्भ हो चुकी है (घटाव) 12 सा0क्षे0उ0 जिनके लिए राज्य सरकार ने समापन आदेश निर्गत किया है।

संविधिक निगमों के मामले में उनके लेखाओं का अन्तिमीकरण, लेखापरीक्षा तथा विधायिका के समक्ष प्रस्तुतीकरण, उनसे सम्बन्धित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार होता है।

19 कार्यशील सा0क्षे0उ0 के निदेशक जो एक ही समय पर विभिन्न विभागों में विभिन्न पदों पर कार्यरत थे और कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार दण्ड के लिए उत्तरदायी है, तथा दो सांविधिक निगमों[18] के निदेशक जिन्होंने विधायिका के द्वारा बनाए गए सम्बन्धित निगमों के कानून का उल्लंघन किया है, की विवरणी ***परिशिष्ट–1.3 (क) एवं (ख)*** में दिया गया है।

31 दिसम्बर 2017 को 19 कार्यशील कम्पनियों एवं दो सांविधिक निगमों के लेखें क्रमशः 23 वर्ष एवं 11 वर्ष की अवधि के लिये बकाया थे, जो ***परिशिष्ट–1.4*** में वर्णित है। लेखाओं के अन्तिमीकरण में विलम्ब के परिणामस्वरूप एक निर्धारित समय के बाद महत्वपूर्ण रिकॉर्ड अनुपलब्ध हो जाते है अथवा नष्ट हो जाते है, जिसके कारण तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने, धोखाधड़ी और दुरूपयोग की सम्भावनाएँ रहती है।

30 कार्यशील सा0क्षे0उ0 में से नौ सा0क्षे0उ0[19] ने अपने वर्ष 2016–17 के लेखाओं का अन्तिमीकरण किया है एवं शेष 21 सा0क्षे0उ0 में 142 लेखाओं[20] का बकाया है। 21 सा0क्षे0उ0 में से तीन सा0क्षे0उ0 का लेखा एक वर्ष के लिए, 11 सा0क्षे0उ0 का दो से पाँच वर्षो के लिए एवं सात सा0क्षे0उ0 का पाँच वर्ष से ज्यादा के लिए बकाया थे जिसका विवरण ***परिशिष्ट–1.4*** में है।

1.10 उपर्युक्त के अतिरिक्त, 31 दिसम्बर 2017 को सभी अकार्यशील सा0क्षे0उ0 के लेखें बकाए थे। 44 अकार्यशील सा0क्षे0उ0 में से पाँच सा0क्षे0उ0 पाँच से 18 वर्षों[21] की अवधि से समापन की प्रक्रिया में थे, जिनके 101 लेखे पाँच से 26 वर्षों की अवधि के लिए बकाया थे। शेष 39 अकार्यशील सा0क्षे0उ0 के लेखें के बकाया की विवरणी तालिका सं0 1.8 में दी गई हैं :

तालिका सं0 1.8 : अकार्यशील सा0क्षे0उ0 के लेखाओं का बकाया

वर्ष	अकार्यशील सा0क्षे0उ0 की सं0	बकाया लेखें की सं0	अवधि जिनके लिए लेखा बकाया में थे	वर्षों की संख्या जिसके लिए लेखे बकाया थें
2014–15	35	935	1977–78 से 2014–15	10 से 38
2015–16	35	952	1977–78 से 2015–16	8 से 39
2016–17	39	1,029	1977–78 से 2016–17	1 से 40

1.11 राज्य सरकार ने 10 कार्यशील सा0क्षे0उ0 में ₹ 4,476.54 करोड़ [अंश : ₹ 27.28 करोड़ (तीन सा0क्षे0उ0), ऋण : ₹ 2,074.94 करोड़ (छः सा0क्षे0उ0), पूँजीगत अनुदान : ₹ 333.45 करोड़ (चार सा0क्षे0उ0) अन्य (अर्थसहाय्य) : ₹ 1,495.22 करोड़ (तीन सा0क्षे0उ0) तथा प्रत्यामूति : ₹ 545.65 करोड़ (चार सा0क्षे0उ0)] की बजटीय सहायता उन वर्षों में प्रदान किया था, जिन वर्षों में उनके लेखाओं का अन्तिमीकरण नहीं हुआ था जैसा कि ***परिशिष्ट–1.5*** में दिया गया है। इनमें से 2014–17 की अवधि में

[18] बिहार राज्य पथ परिवहन निगम एवं बिहार राज्य भंडारण निगम।

[19] ***परिशिष्ट–1.1*** का अ8, अ11, अ15, अ16, अ17, अ18, अ19, अ20 एवं ब1।

[20] एक लेखा प्रति वर्ष के आधार पर।

[21] कुमारधुवी मेटल कास्टिंग एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड 17.08.1999 से, बिहार राज्य चर्म उद्योग विकास निगम लिमिटेड 25.08.2008 से, बिहार राज्य फिनिस्ड लेदर्स निगम लिमिटेड 25.08.2008 से, बिहार राज्य लघु उद्योग निगम लिमिटेड 4.10.2012 से तथा बिहार राज्य निर्यात निगम लिमिटेड 4.10.2012 से।

₹ 2,467.06 करोड़ का निवेश सात कार्यशील सा0क्षे0उ0 में किया गया था जिनके लेखें तीन वर्षों से अधिक की अवधि के लिए बकाया थे, उसमें ₹ 1,414.79 करोड़ का निवेश पाँच सा0क्षे0उ0[22] में 2016–17 में किया गया था।

इसके अतिरिक्त, जैसा कि ***परिशिष्ट–1.5*** में दिया गया है, राज्य सरकार ने 10 अकार्यशील सा0क्षे0उ0 में ₹ 1,007.23 करोड़ (अंश : ₹ 45.12 करोड़, ऋण : ₹ 561.28 करोड़, पूँजीगत अनुदान : ₹ 32.33 करोड़, अन्य (अर्थसहाय्य) : ₹ 125.16 करोड़ एवं प्रत्याभूति : ₹ 243.34 करोड़) के बजटीय सहायता का विस्तार उन वर्षों में किया था, जिनके लेखाओं का अन्तिमीकरण नहीं हुआ था। इनमें से 2014–15 से 2016–17 की अवधि में ₹ 71.61 करोड़ का निवेश तीन अकार्यशील सा0क्षे0उ0[23] में किया गया था जिसमें से 2016–17 में ₹ 70.61 करोड़ का ऋण एवं अनुदान दो कम्पनियों बि0रा0ची0नि0लि0 (₹ 69.27 करोड़[24]) एवं बि0रा0नि0नि0लि0 (₹ 1.34 करोड़) को दी गई थी।

राज्य सरकार द्वारा उपर्युक्त सा0क्षे0उ0, जिनके लेखें बकाया थे, को बजटीय सहायता के विस्तार का निर्णय अविवेकपूर्ण था क्योंकि राज्य सरकार के पास इन सा0क्षे0उ0 के वित्तीय सुदृढ़ता को आकलित करने का कोई आधार नहीं था। उक्त तथ्य इससे भी स्पष्ट होता है कि जिन 32 सा0क्षे0उ0 द्वारा राजकीय ऋण प्राप्त किया गया था, उनके द्वारा ब्याज का भुगतान भी नहीं किया गया।

अनुशंसा

1. **वित्त विभाग और सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य सा0क्षे0उ0 अपने लेखों को अद्यतन करने के लिए शीघ्र कदम उठायें ताकि इन सा0क्षे0उ0 के निदेशक कम्पनी अधिनियम तथा राज्य सांविधिक निगम के सम्बन्धित अधिनियम का निरन्तर उल्लंघन नहीं करें।**
2. **वित्त विभाग तथा सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना चाहिए कि बजटीय सहायता का विस्तार सिर्फ उन्हीं सा0क्षे0उ0 के लिए किया जाए, जिनके लेखें अद्यतन है।**

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रस्तुतीकरण

1.12 सांविधिक निगमों के सम्बन्धित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, सी0ए0जी0 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को वार्षिक आम सभा में अनुमोदन के पश्चात् जल्द ही विधानमंडल के पटल पर उपस्थापित करने की जिम्मेदारी सरकार की है। लेकिन यह देखा गया कि राज्य सरकार तीन सांविधिक निगमों पर सी0ए0जी0 के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (पृ0ले0प0प्र0) को अधिनियम के इस प्रावधान के तहत उपस्थापित करने में विफल रही जैसा कि नीचे तालिका सं0 1.9 में दर्शाया गया है :

[22] बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लिमिटेड, बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड, बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड एवं बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम लिमिटेड।

[23] बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड (बि0रा0नि0नि0लि0), बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड (बि0रा0ची0नि0लि0) तथा बिहार राज्य फल एवं सब्जी विकास निगम लिमिटेड।

[24] बन्द चीनी मिलों के सेवानिवृत कर्मचारियों को बकाया वेतन के भुगतान के लिए विस्तारित।

तालिका सं0 1.9 : पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के विधानमंडल में प्रस्तुतीकरण की स्थिति

क्रम सं0	सांविधिक निगम का नाम	वर्ष जिसकी पृ0ले0प0प्र0 विधानमंडल में प्रस्तुत की गई	वर्ष जिसका पृ0ले0प0प्र0 विधानमंडल में प्रस्तुत नहीं की गई	
			पृ0ले0प0प्र0 का वर्ष	सरकार को जारी करने की तिथि[25]
1.	बिहार राज्य भंडारण निगम	2007–08	2008–09	28 फरवरी 2011
			2009–10	8 फरवरी 2014
			2010–11	20 जनवरी 2015
2.	बिहार राज्य वित्त निगम	2014–15	2015–16	16 दिसम्बर 2016
3.	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	1973–74	1974–75 से 2005–06 (32) *विवरण निम्नवत है*	
			2001–02	26 अक्टूबर 2007
			2002–03	25 जनवरी 2010
			2003–04	20 मई 2014
			2004–05	10 फरवरी 2015
			2005–06	29 सितम्बर 2015

विगत पाँच वर्षों में बिहार राज्य भंडारण निगम को राज्य सरकार ने ₹ 47.17 करोड़ का अनुदान इस तथ्य के बावजूद दिया कि इस निर्णय हेतु कोई लेखा नहीं थी। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (बि0रा0प0परि0नि0) के वित्तीय जवाबदेही में कमियाँ इतनी गम्भीर थी कि मई 2014 से सितम्बर 2015 तक में बि0रा0प0परि0नि0 के 2003–04 से 2005–06 तक के अन्तिमीकृत लेखाओं पर सी0ए0जी0 ने मंतव्य देने से मना कर दिया। राज्य सरकार ने 2006–17 के दौरान बि0रा0प0परि0नि0 को ₹ 775.01 करोड़ का ऋण दिया, जबकि उसके लेखें बकाया थे तथा निगम की वित्तीय क्षमता का मूल्यांकन किया जाना संभव नहीं था। आगे, बि0रा0प0परि0नि0 ने न ही ऋण चुकाया और न ही ब्याज के देय ₹ 407.63 करोड़[26] का भुगतान किया।

अनुशंसा

वित्त विभाग को सुनिश्चित करना चाहिए कि सांविधिक निगमों के पृ0ले0प0प्र0 विधानमंडल में यथाशीघ्र उपस्थापित किए जाए और ऐसा होने तक इन निगमों को अग्रेत्तर बजटीय सहायता का विस्तार ना किया जाए।

अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार सा0क्षे0उ0 का कार्य–निष्पादन

1.13 2014–15 से 2016–17 ***(परिशिष्ट–1.6)*** की अवधि के दौरान अपने लेखाओं को अन्तिम रूप देने वाले 18 सा0क्षे0उ0[27] के कार्य निष्पादन के आकलन हेतु उपयोग किये गये प्रमुख वित्तीय अनुपात तालिका सं0 – 1.10 में नीचे दिये गये है :

[25] राज्य निगमों ने लेखाओं के अन्तिमीकरण मे देर किया, जिसके कारण सम्बन्धित वर्षों के पृ0ले0प0प्र0 बनाने और प्रस्तुत करने मे विलम्ब हुआ।

[26] 2010–11 से 2016–17.

[27] अकार्यशील सा0क्षे0उ0 या वैसे सा0क्षे0उ0 जिनकी लेखाएँ बकाया मे है उनके वित्तीय अनुपात का आकलन नही किया जा सकता।

तालिका सं0 1.10 : कार्यशील सा0क्षे0उ0 के प्रमुख मापदण्ड					
विवरण	मुख्य मापदण्ड (प्रतिशत में)	2014–15	2015–16	2016–17	औसत
लाभकारी	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल[28]	9.62	3.63	1.31	4.85
	निवेश पर प्रतिफल[29]	9.62	3.63	1.31	4.85
	अंश पर प्रतिफल[30]	7.81	3.02	0.61	3.81
अलाभकारी	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल	–18.77	–8.89	–28.91	–18.86
	निवेश पर प्रतिफल	–9.18	–4.61	–15.10	–9.63
	अंश पर प्रतिफल	—[31]	–33.74	–18.06	–25.90
कुल	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल	–2.79	–1.42	–4.04	–2.75
	निवेश पर प्रतिफल	–1.97	–1.11	–3.16	–2.08
	अंश पर प्रतिफल	–18.16	–8.45	–9.51	–12.04
उधारी की लागत		**8.73**	**8.74**	**8.00**	**8.49**
स्रोत : सा0क्षे0उ0 के अंतिमीकृत लेखों के सूचना के अनुसार					

1.14 लाभ में योगदान देने वाले बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड (₹ 107.71 करोड़), बिहार स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (₹ 93.44 करोड़), बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड (₹ 28.51 करोड़) तथा बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (₹ 22.96 करोड़) थे। इन कम्पनियों का निवेश पर प्रतिफल 2014–17 के दौरान 18.94 से 106.82 के बीच था। अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार अधिक हानि वहन करने वाले सा0क्षे0उ0 में साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (₹ 905.36 करोड़) तथा नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (₹ 513.44 करोड़) थे।

1.15 राज्य सरकार ने सा0क्षे0उ0 के लिए कोई लाभांश नीति नहीं बनाई है। इसके फलस्वरूप, यद्यपि ₹ 7,810.59 करोड़[32] सरकारी अंश वाले 10 सा0क्षे0उ0 ने कुल ₹ 278.18 करोड़ का लाभ कमाया, परन्तु सिर्फ दो सा0क्षे0उ0, बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड तथा बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड ने क्रमशः ₹ तीन करोड़ तथा ₹ 1.05 करोड़ का लाभांश दिया, जो इन सा0क्षे0उ0 के कुल लाभ का 4.91 प्रतिशत था।

अनुशंसा

वित्त विभाग लाभ अर्जित करने वाले सा0क्षे0उ0 में निवेशित अंश पूँजी पर निर्दिष्ट लाभांश के भुगतान हेतु उत्तर प्रदेश सरकार (अंश पूँजी का पाँच प्रतिशत) और मध्य प्रदेश सरकार (कर के बाद लाभ का 20 प्रतिशत) के परिपाटी के आधार पर लाभांश नीति तैयार कर सकती है।

1.16 कम्पनी अधिनियम 2013 यह निर्धारित करता है कि प्रत्येक कम्पनी के निदेशक मंडल की एक वर्ष में कम से कम चार वार्षिक बैठक हो। हालाँकि यह देखा गया है कि 27 कार्यशील कम्पनियों में से 14 कम्पनियों ने 2014–17 के दौरान चार से कम बैठकों का आयोजन किया।

[28] नियोजित पूँजी पर प्रतिफल = (लाभांश कर तथा ब्याज से पूर्व लाभ)/नियोजित पूँजी।
[29] निवेश पर प्रतिफल (आर0ओ0आई0) = (लाभांश कर तथा ब्याज से पूर्व लाभ/हानि) / निवेश।
[30] अंश पर प्रतिफल (आर0ओ0ई0) = (करोपरान्त लाभ – पूर्वाधिकार लाभांश)/ अंशधारक निधि।
[31] अंश पर प्रतिफल की गणना नहीं की गई क्योंकि संचित हानि प्रदत्त पूँजी से अधिक थी।
[32] अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार शेयर धारकों की निधि।

अकार्यशील सा0क्षे0उ0 का समापन

1.17 31 दिसम्बर 2017 तक 44 अकार्यशील सा0क्षे0उ0 (सभी कम्पनियाँ) थी। इनमें से पाँच[33] सा0क्षे0उ0 ने विगत पाँच से 18 वर्षों के दौरान समापन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी थी, जो अधिकारिक परिसमापक, पटना एवं राँची उच्च न्यायालय के पास लम्बित है। इसके अलावा, राज्य सरकार द्वारा 12 सा0क्षे0उ0 की समापन प्रक्रिया को प्रारंभ करने के आदेश दिए गए है लेकिन सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अंतिम कार्यवाई अभी तक लम्बित है। इन 12 सा0क्षे0उ0 के समापन की प्रक्रिया की स्थिति निम्नानुसार है : (i) सितम्बर 2016 से नवम्बर 2017 के दौरान, चार सा0क्षे0उ0[34] के समापन की प्रक्रिया कम्पनी रजिस्ट्रार के पास उठाये गये थे, (ii) चार अन्य सा0क्षे0उ0[35] के समापन की प्रक्रिया विभिन्न न्यायालयों में लम्बित थे और (iii) अन्य चार सा0क्षे0उ0[36] के लेखाओं में विलम्ब था, जिसके कारण समापन प्रक्रिया के प्रारम्भ होने में विलम्ब हुआ। 2016–17 में किसी सा0क्षे0उ0 का समापन नहीं हुआ।

अनुशंसा

जिन चार सा0क्षे0उ0 की समापन प्रक्रिया लेखाओं में विलम्ब के कारण लम्बित है, उनसे सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग लेखाओं का शीघ्र अन्तिमीकरण सुनिश्चित करें।

लेखाओं पर टिप्पणियाँ

1.18 बीस[37] कार्यशील कम्पनियों ने 36 अंकेक्षित लेखाओं को 2016–17[38] के दौरान महालेखाकार को प्रेषित किया, जिसमें से 19 कम्पनियों की 1991–92 से 2016–17 की अवधि के लिए 27 लेखाओं को पूरक लेखापरीक्षा के लिए चयनित किया गया। सी0ए0जी0 द्वारा नियुक्त सांविधिक अंकेक्षकों तथा सी0ए0जी0 द्वारा पूरक लेखापरीक्षा के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में यह इंगित किया गया कि लेखाओं के संधारण की गुणवत्ता में सुधार की काफी जरूरत है। सांविधिक लेखा परीक्षक और सी0ए0जी0 के टिप्पणियों की कुल मौद्रिक मूल्य तालिका सं0 1.11 पर दी गई है।

[33] कुमारधुबी मेटल कास्टिंग एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड, 17.08.1999 से, बिहार राज्य चर्म उद्योग विकास निगम 25.08.2018 से, बिहार राज्य फिनिस्ड लेदर्स निगम लिमिटेड 25.08.2008 से, बिहार राज्य लघु उद्योग निगम लिमिटेड 04.10.2012 से एवं बिहार राज्य निर्यात निगम लिमिटेड 04.10.2012 से।

[34] बिहार राज्य डेयरी कॉरपोरेशन लिमिटेड, स्काडा एग्रो बिजनेस लिमिटेड, आरा, स्काडा एग्रो बिजनेस लिमिटेड, खगौल एवं स्काडा एग्रो वाणिकी कम्पनी लिमिटेड, खगौल।

[35] बिहार हिल एरिया लिफ्ट सिचाई कॉरपोरेशन लिमिटेड, बिहार राज्य एग्रो इंडस्ट्रीज विकास निगम, बिहार राज्य निर्माण निगम एवं बिहार राज्य जल विकास निगम लिमिटेड।

[36] बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड, बिहार स्टेट फार्मास्यूटिकल एवं केमिकल्स लिमिटेड, बिहार स्टेट टैनिन एक्सट्रैक्ट लिमिटेड एवं बिहार सोलवेन्ट एवं कैमिकल्स लिमिटेड।

[37] ***परिशिष्ट 1.1*** के क्रम सं0. अ2, अ4, अ5, अ6, अ7, अ8, अ10, अ11, अ13, अ15, अ16, अ17, अ18, अ19, अ20, अ24, अ25, अ26, अ27 तथा ब1।

[38] अक्टुबर 2016 से दिसम्बर 2017 की अवधि के दौरान।

तलिका सं0 1.11 : कार्यशील कम्पनियों के लेखाओं पर टिप्पणियों का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	विवरण	2014–15		2015–16		2016–17	
		घटित संख्या	राशि	घटित संख्या	राशि	घटित संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	2	692.89	7	35.23	5	25.61
2.	हानि में कमी	4	121.18	3	233.50	4	114.74
3.	महत्वपूर्ण तथ्यों का अप्रकटीकरण	2	401.37	1	0.70	7	107.49
4.	वर्गीकरण की त्रुटियाँ[39]	7	1,088.69	4	11,653.82	2	25.38

वर्ष के दौरान, सांविधिक अंकेक्षकों ने 25 कम्पनियों[40] द्वारा अन्तिमीकृत 52 लेखाओं[41] पर सशर्त प्रमाण पत्र दिए गए। कम्पनियों द्वारा लेखांकन मानकों का अनुपालन असंतोषजनक रहा क्योंकि 12[42] कम्पनियों के 19 लेखाओं पर 85 मामलों में लेखांकन मानकों का अनुपालन नहीं किया गया। अग्रेत्तर, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के वर्ष 1991–92, 1992–93 एवं 1993–94 के तीन लेखाओं, बिहार स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 2008–09 से 2015–16 के आठ लेखाओं तथा बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड के वर्ष 2001–02 एवं 2002–03 के दो लेखाओं पर सी0ए0जी0 ने गम्भीर खामियाँ होने के कारण मंतव्य देने से मना कर दिया।

अनुशंसा

वित्त विभाग तथा संबद्ध प्रशासनिक विभागों को तुरन्त उन 25 कम्पनियों के क्रियाकलापों की समीक्षा करनी चाहिए जहाँ सांविधिक लेखापरीक्षकों ने सशर्त प्रमाण–पत्र दिए थे तथा तीन कम्पनियों पर जहाँ सी0ए0जी0 ने मंतव्य देने से मना कर दिया था।

लेखापरीक्षा पर सरकार की प्रतिक्रिया

कंडिकाएँ

1.19 आठ लेखापरीक्षा कंडिकाओं को (मई 2017 से जुलाई 2017 तक) कम्पनी प्रबंधन तथा सम्बन्धित विभागों के प्रधान सचिव/सचिव को छः सप्ताह के अंदर उत्तर प्रेषित करने के निवेदन के साथ निर्गत किया गया। चार लेखापरीक्षा कंडिकाओं एवं एक लेखापरीक्षा कंडिका का जवाब क्रमशः प्रबंधन एवं उर्जा विभाग से प्राप्त हुआ जबकि चार लेखापरीक्षा कंडिकाओं एवं सात लेखापरीक्षा कंडिकाओं का जवाब अब तक (मार्च 2018 तक) क्रमशः प्रबंधन तथा विभाग से अप्राप्त था।

[39] तुलन पत्र, लाभ एवं हानि खाता के प्रारूप तथा लेखाओं के वर्गीकरण के नियमो मे बदलाव के कारण वर्ष 2014–16 मे वर्गीकरण की त्रुटियों की अधिकता थी।

[40] कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ (20) एवं अकार्यशील सरकारी कम्पनियाँ (5)।

[41] कार्यशील सरकारी कम्पनियो के लेखे (36) एवं अकार्यशील सरकारी कम्पनियाँ (16)।

[42] ***परिशिष्ट 1.1*** के क्रम सं0 अ2, अ4, अ10, अ15, अ16, अ17, अ18, अ19, अ24, अ27, ब1 तथा स6।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर उत्तरवर्ती क्रिया

लम्बित जवाब

1.20 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी0ए0जी0) के प्रतिवेदन लेखापरीक्षा जाँच की प्रक्रिया की परिणति को दर्शाता है। अतः यह आवश्यक है कि इनमें कार्यपालिका की उचित एवं ससमय प्रतिक्रिया परिलक्षित हो। वित्त विभाग, बिहार सरकार ने सभी प्रशासकीय विभागों को यह निर्देश दिया (अप्रैल 2015) कि कोपू के प्रश्नावली की प्रतीक्षा किए बिना भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित कंडिकाओं/समीक्षाओं का उत्तर/स्पष्टीकरण से सम्बन्धित टिप्पणियाँ निर्धारित प्रपत्र में विधायिका में प्रस्तुतीकरण के तीन माह की अवधि के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें। अप्राप्त स्पष्टीकरण टिप्पणी की स्थिति तालिका सं0 1.12 में दर्शाया गया है :

तालिका सं0 1.12 : अप्राप्त स्पष्टीकरण टिप्पणियाँ (यथा 31 दिसम्बर 2017 को)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष (सा0क्षे0उ0)	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के विधायिका में प्रस्तुतीकरण की तिथि	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में निष्पादन लेखापरीक्षा एवं कंडिकाओं की कुल संख्या		निष्पादन लेखापरीक्षा/कंडिकाओं की संख्या जिनका उत्तर/स्पष्टीकरण अप्राप्त थे	
		निष्पादन लेखापरीक्षा	कंडिकाएँ	निष्पादन लेखापरीक्षा	कंडिकाएँ
2011–12	01.08.2013	02	12	01	00
2012–13	15.07.2014	03	12	02	05
2013–14	07.04.2015	02	14	01	11
2014–15	18.03.2016	02	14	01	11
2015–16	27.03.2017	04	12	04	11
कुल		**13**	**64**	**09**	**38**

अनुशंसा

सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों को वित्त विभाग के निर्देशों (अप्रैल 2015) का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए तथा लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर जवाब/प्रतिक्रिया ससमय प्रेषित करना चाहिए।

कोपू द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर विचार विमर्श

1.21 31 दिसम्बर 2017 को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सा0क्षे0उ0) में उद्धृत एवं कोपू द्वारा विचार विमर्श की गई निष्पादन लेखापरीक्षा एवं कंडिकाओं की स्थिति को तालिका सं0 1.13 में दर्शाया गया है :

तालिका सं0 1.13 : लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उल्लेखित निष्पादन लेखापरीक्षाओं / कंडिकाएँ जिन पर परिचर्चा की गई (31 दिसम्बर 2017 तक)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	निष्पादन लेखापरीक्षा / कंडिकाओं की संख्या			
	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल		कंडिकाएँ जिनपर चर्चा हुई	
	निष्पादन लेखापरीक्षा	कंडिकाएँ	निष्पादन लेखापरीक्षा	कंडिकाएँ
2011–12	02	12	01	12
2012–13	03	12	01	07
2013–14	02	14	01	03
2014–15	02	14	01	03
2015–16	04	12	0	01
कुल	**13**	**64**	**04**	**26**

कोपू के प्रतिवेदनों का अनुपालन

1.22 अगस्त 2012 से मार्च 2016 की अवधि में राज्य विधायिका में कोपू[43] के चार प्रतिवेदनों की तीन कंडिकाओं से सम्बन्धित कार्यवाही टिप्पणियाँ, अप्राप्त (दिसम्बर 2017) थे जो तालिका सं0 1.14 में दर्शाई गई है :

तालिका सं0 1.14 : कोपू प्रतिवेदनों का अनुपालन

कोपू प्रतिवेदन का वर्ष	कोपू प्रतिवेदन की संख्या	कोपू प्रतिवेदन पर कुल अनुशंसाओं की संख्या	अनुशंसाएँ जिन पर कार्यवाही टिप्पणियाँ अप्राप्त थीं
2011–12	01	01	01
2012–13	–	–	–
2013–14	01	01	01
2014–15	–	–	–
2015–16	02	01	01
कुल	**04**	**03**	**03**

अनुशंसा

राज्य सरकार को कोपू प्रतिवेदनों पर कार्यवाही टिप्पणियाँ, शीघ्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करना चाहिए।

राज्य के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप सा0क्षे0उ0 की पुनर्संरचना

1.23 15 नवम्बर 2000 से पूर्व बिहार राज्य के बिहार और झारखण्ड राज्यों में पुनर्गठन के परिणामस्वरूप, 12 सा0क्षे0उ0[44] की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के बँटवारें का निर्णय (सितम्बर 2005) लिया गया था। तथापि, दिसम्बर 2017 तक इसका क्रियान्वयन मात्र पाँच सा0क्षे0उ0[45] के संबंध में ही पूरा किया गया है।

[43] उर्जा विभाग, बिहार सरकार से सम्बन्धित, जो सी0ए0जी0 के प्रतिवेदन वर्ष 1996–97 से 2008–09 में उद्धृत थे।

[44] ***परिशिष्ट 1.1*** के क्रम सं0 अ1, अ2, अ3, अ4, अ14, अ23, अ24, अ27, ब1, ब3, स5 तथा स20।

[45] बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड, बिहार राज्य जलविद्युत शक्ति निगम लिमिटेड, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, बिहार राज्य भण्डारण निगम एवं बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड।

अनुशंसा

चूँकि राज्य के पुनर्गठन को लगभग दो दशक बीत चुके है, इसलिए राज्य सरकार को झारखण्ड सरकार के साथ मिलकर उन सात सा0क्षे0उ0 के सम्पत्तियों एवं दायित्वों के त्वरित बँटवारे हेतु आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए जिसमें 15 नवम्बर 2000 तक राज्य सरकार का ₹ 132.36 करोड़ का निवेश था।

उज्जवल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) के अन्तर्गत ऊर्जा क्षेत्र में सुधार

1.24 राज्य बिजली वितरण कम्पनियों के परिचालन एवं वित्तीय कौशल में सुधार के उद्देश्य से उर्जा मंत्रालय, भारत सरकार ने बिजली वितरण कम्पनियों में वित्तीय बदलाव के लिए उदय योजना का शुभारंभ नवम्बर 2015 को किया।

चिह्नित किए गए वित्तीय एवं परिचालन लक्ष्यों के साथ योजना के कार्यान्वयन के लिए उर्जा मंत्रालय, भारत सरकार, बिहार सरकार एवं दो राज्य बिजली वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम), यथा साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (एस0बी0पी0डी0सी0एल0) एवं नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (एन0बी0पी0डी0सी0एल0) के बीच समझौता ज्ञापन (एम0ओ0यू0) (फरवरी 2016) हस्ताक्षरित हुआ।

31 दिसम्बर 2017 को एम0ओ0यू0 के अन्तर्गत निर्धारित वित्तीय एवं परिचालन लक्ष्यों के संबंध में हासिल की गई प्रगति एवं उपलब्धि को नीचे तालिका सं0 1.15 में वर्णित किया गया है :

तालिका सं0 1.15 : डिस्कॉम द्वारा उदय योजना का कार्यान्वयन

मापदण्ड	एम0ओ0यु0 के अनुसार लक्ष्य	लक्ष्य		उपलब्धि	
		एन0बी0पी0डी0सी0एल0	एस0बी0पी0डी0सी0एल0	एन0बी0पी0डी0सी0एल0	एस0बी0पी0 डी0सी0एल0
वित्तीय					
बिहार सरकार द्वारा बॉण्ड का निर्गमन	31 मार्च 2016	₹ 641.26 करोड़	₹ 913.26 करोड़	2016–17 में निर्गत	
	31 मार्च 2017	₹ 320.63 करोड़	₹ 456.63 करोड़	2016–17 में निर्गत	
डिस्कॉम द्वारा बॉण्ड का निर्गमन	31 मार्च 2017	₹ 320.63 करोड़	₹ 456.63 करोड़	2016–17 में निर्गत	
ए0टी0 एवं सी0 हानि [46] में कमी *(प्रतिशत में)*	2016–17	34 से कम	38 से कम	32.87 (प्राप्त)	42.75 (अप्राप्त)
	2017–18	28 से कम	30 से कम	34.34 (अप्राप्त)	38.35 (अप्राप्त)
ए0सी0एस0 – ए0सी0आर0 अंतर का उन्मूलन[47]	2016–17	₹ 1.25 प्रति इकाई से कम	1.39 प्रति इकाई से कम	₹ 0.53 प्रति इकाई (प्राप्त)	₹ 0.68 प्रति इकाई (प्राप्त)
	2017–18 (2018–19 तक उन्मूलन)	₹ 0.83 प्रति इकाई से कम	0.85 प्रति इकाई से कम	₹ 0.09 प्रति इकाई (प्राप्त)	₹ 0.37 प्रति इकाई (प्राप्त)
ससमय टैरिफ संशोधन		समय पर टैरिफ याचिका दाखिल की गई		विलम्ब नहीं	

[46] कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि, तकनीकी हानि, वाणिज्यिक हानि एवं विपत्र राशि की गैर प्राप्ति के कारण कमी का कुल योग है।

[47] आपूर्ति की औसत लागत (ए0सी0एस0) – औसत राजस्व उगाही (ए0आर0आर0) का अन्तर।

मापदण्ड	एम0ओ0यु0 के अनुसार लक्ष्य	लक्ष्य		उपलब्धि	
		एन0बी0पी0डी0सी0एल0	एस0बी0पी0डी0सी0एल0	एन0बी0पी0डी0सी0एल0	एस0बी0पी0 डी0सी0एल0
बिलींग क्षमता (प्रतिशत में)	2016–17	72 से ज्यादा	66 से ज्यादा	70.67 (अप्राप्त)	60.44 (अप्राप्त)
	2017–18	76 से ज्यादा	70 से ज्यादा	75.95 (अप्राप्त)	71.58 (प्राप्त)
संग्रहण क्षमता (प्रतिशत में)	2016–17	92 से ज्यादा	94 से ज्यादा	95.41 (प्राप्त)	88.85 (अप्राप्त)
	2017–18	95 से ज्यादा	100	86.45 (अप्राप्त)	86.13 (अप्राप्त)
परिचालन					
वितरण ट्रांसफॉरमर मिटरिंग (ग्रामीण) (संख्या में)	30 जुन 2017	54,724	43,789	0 (अप्राप्त)	0 (अप्राप्त)
फीडर मिटरिंग (ग्रामीण) (संख्या में)	30 जुन 2016	650	240	310 (अप्राप्त)	332 (प्राप्त)
ग्रामीण फीडर अंकेक्षण (संख्या में)	31 मार्च 2018	589	601	0 (कोई प्रगति नही)	0 (कोई प्रगति नही)
फीडर अलगाव (संख्या में)	31 मार्च 2018	0	396	0	0 (कोई प्रगति नही)
स्मार्ट मिटरिंग 200 के0डब्ल्यू0एच0 के उपर (संख्या में)	31 दिसम्बर 2019	38,433	2,35,985	0 (कोई प्रगति नही)	0 (कोई प्रगति नही)
विद्युत विहीन घरों तक बिजली की पहुँच (संख्या में)	2019–20	46.66 लाख	39.14 लाख	23.76 लाख (अप्राप्त)	28.10 लाख (अप्राप्त)
उजाला योजना के अंतर्गत एल0ई0डी0 का वितरण (संख्या में)		24.80 लाख	34 लाख	75.41 लाख (प्राप्त)	104.78 लाख (प्राप्त)

स्रोत : डिस्कॉम द्वारा दी गई/उदय के वेबसाईट पर उपलब्ध सूचना।

दोनों डिस्कॉम द्वारा, ए0टी0 एवं सी0 हानि में कमी और संग्रहन क्षमता को छोड़कर, समझौता ज्ञापन के अन्तर्गत निर्धारित वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति लगभग की गई। जहाँ तक परिचालन लक्ष्य की प्राप्ति की बात है, दोनों डिस्कॉम की स्थिति संतोषजनक नहीं थी, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में। अभी भी 33.94 लाख घरों में विद्युत आपूर्ति उपलब्ध नहीं है। स्मार्ट मीटरिंग, डी0टी0 मीटरिंग (ग्रामीण), ग्रामीण फीडर अंकेक्षण और फीडर अलगाव क्षेत्र में दोनों डिस्कॉम द्वारा, तथा फीडर मीटरिंग (ग्रामीण) क्षेत्र में एन0बी0पी0डी0सी0एल0 द्वारा कोई उपलब्धि दर्ज नहीं की गई।

अध्याय-2

सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित निष्पादन लेखापरीक्षा

2.1 बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड पर निष्पादन लेखापरीक्षा

2.2 बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा शैक्षणिक आधारभूत संरचना के विकास पर लेखापरीक्षा

अध्याय–2
सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित निष्पादन लेखापरीक्षा

2.1 बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड पर निष्पादन लेखापरीक्षा

परिचय

2.1.1 बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड (कम्पनी) (पूर्ववर्त्ती बिहार स्वास्थ्य परियोजना विकास निगम लिमिटेड) जिसका मुख्यालय पटना में है, भवन निर्माण विभाग (भ0नि0वि0) बिहार सरकार के प्रशासी नियंत्रण में है। कम्पनी का प्रबन्धन निदेशक पर्षद (बोर्ड) में निहित है, जिसमें प्रबन्ध निदेशक सहित नौ निदेशक है। प्रबन्ध निदेशक कम्पनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी है और उन्हें मुख्य महाप्रबन्धक (मु0म0प्र0) तथा पाँच महाप्रबन्धक (म0प्र0) के द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। कम्पनी के नौ परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पी0आई0यू0) है, जो पटना, गया, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर तथा सारण में है, जिनकी अगुवाई उप महाप्रबन्धक करते है।

निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान कम्पनी के नौ पी0आई0यू0 में से पाँच का नमूना जाँच किया गया। लेखापरीक्षा के अवधि में इन पाँचों पी0आई0यू0 ने ₹ 1,309.05 करोड़ (नौ पी0आई0यू0 के ₹ 1,754.78 का 75 प्रतिशत) के 699 कार्यों (नौ पी0आई0यू0 के द्वारा कार्यान्वित 1,119 कार्यों का 62 प्रतिशत) को कार्यान्वित किया।

कुल 20 लेखापरीक्षा आपत्तियाँ की गई एवं इनमें से अधिकांश उस प्रकृति की है जो कम्पनी के द्वारा कार्यान्वित किए गए अन्य कार्यों जो नमूना जाँच में सम्मिलित नहीं था, में समान त्रुटियों/चूकों को प्रतिबिम्बित कर सकती है। इसलिए कम्पनी को अपने द्वारा कार्यान्वित किए गए अन्य सभी कार्यों का आन्तरिक जाँच कराना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किये गए है।

कम्पनी के द्वारा 27 उपयोगकर्ता विभागों/लोक उपक्रमों/बिहार सरकार के एजेंसियों द्वारा प्रदान की गई निर्माण कार्यों का क्रियान्वयन किया गया था जिन पर कम्पनी ने सेन्टेज[1] भारित किया था। निर्माण कार्यों को, कम्पनी द्वारा प्रतिस्पर्धा बोली के आधार पर नियुक्त उप–ठेकेदारों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। वर्ष 2012–17 की अवधि में कम्पनी द्वारा केवल बिहार सरकार के विभिन्न इकाईयों द्वारा दिए गए कार्यों को कार्यान्वित किया गया जिसमें भ0नि0वि0 भी सम्मिलित है, जो स्वयं भी इस तरह के कार्यों को करता है।

कम्पनी का लाभ वर्ष 2012–13 में ₹ 3.24 करोड़ से वर्ष 2013–14 में ₹ 14.59 करोड़, वर्ष 2014–15 में ₹ 41.23 करोड़ तक बढ़ा तथा उसके बाद वर्ष 2016–17 में बिहार सरकार द्वारा सेन्टेज के दरों में कमी किए जाने के कारण ₹ 26.61 करोड़ तक घट गया था।

[1] जनवरी 2016 तक, सेन्टेज परियोजना लागत का 10 प्रतिशत की दर से निर्धारित था। तत्पश्चात् निर्धारित सेन्टेज के दरों को निम्न प्रकार से सशोधित (23 जनवरी 2016) किया गया :

- (क) ₹ 10 करोड़ तक परियोजना लागत के लिए = सात प्रतिशत।
- (ख) ₹ 10 करोड़ से अधिक तथा ₹ 100 करोड़ तक की परियोजना लागत के लिए = (क) + ₹ 10 करोड़ से अधिक मूल्य का पाँच प्रतिशत।
- (ग) ₹ 100 करोड़ से अधिक के परियोजना लागत के लिए = (ख) + ₹ 100 करोड़ से अधिक मूल्य का एक प्रतिशत।

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं कार्य पद्धति

2.1.2 यह कम्पनी का प्रथम निष्पादन लेखापरीक्षा (अप्रैल 2017 से जुलाई 2017 तक किया गया) है और इसमें वर्ष 2012–13 से 2016–17 की अवधि में विभिन्न प्रकार के भवनों एवं अन्य संरचनाओं के निर्माण से सम्बन्धित गतिविधियों को सम्मिलित किया गया है।

लेखा परीक्षा द्वारा नौ पी0आई0यू0 में से पाँच,[2] जिसका व्यय, कुल व्यय का 75 *प्रतिशत* (₹ 1,309.05 करोड़) था, का जाँच किया गया। लेखा परीक्षा के लिये नमूना बिना प्रतिस्थापन के यादृच्छिक प्रतिचयन विधि पर आधारित था।

लेखापरीक्षा कार्य पद्धति के अन्तर्गत कम्पनी के अभिलेखों की जाँच, लेखापरीक्षा टिप्पणी/पृच्छाओं का निर्गमन, अपूर्ण विलंबित परियोजनाओं का संयुक्त भौतिक सत्यापन, प्रबंधन के साथ प्रवेश एवं निकास सम्मेलन तथा प्रबंधन/भ0नि0वि0 का मंतव्य सम्मिलित था।

लेखापरीक्षा उद्देश्य

2.1.3 कम्पनी का निष्पादन लेखापरीक्षा, कम्पनी के सभी मुख्य क्रियाकलाप जैसे वित्तीय प्रबन्धन, परियोजना प्रबन्धन, मानव संसाधन प्रबन्धन, अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण और आन्तरिक निरीक्षण प्रणाली, इत्यादि, मितव्ययिता, कुशलता एवं प्रभावपूर्ण तरीके से निष्पादन तथा बिहार सरकार के उपयोगकर्त्ता विभागों के गतिविधियों एवं बड़ी संख्या में लोगों पर इसके प्रभाव का आकलन करने के उद्देश्य से की गई थी।

लेखापरीक्षा मापदंड

2.1.4 लेखापरीक्षा मापदंड निम्नलिखित स्रोतों से लिये गये :

- कम्पनी के पार्षद सीमा नियम एवं अन्तर्नियम;
- प्रशासनिक विभाग/उपयोगकर्त्ता विभागों के निर्देश/स्वीकृति;
- विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी0पी0आर0)/प्रस्ताव के लिये अनुरोध;
- मानक बोली दस्तावेज (एस0बी0डी0)/परियोजना क्रियान्वयन का एकरारनामा;
- भवन निर्माण विभाग, बिहार सरकार की अनुसूची दर;
- केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशा–निर्देश; और
- बिहार वित्तीय नियमावली 2005, लागू अधिनियम एवं नियम।

अभिस्वीकृति

लेखापरीक्षा कम्पनी एवं उसके अधिकारियों द्वारा निष्पादन लेखापरीक्षा की अवधि में दिए गये सहयोग एवं सहायता के लिये आभार प्रकट करता है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा निष्कर्ष की चर्चा अनुवर्त्ती कंडिकाओं में की गई है:

[2] दरभंगा, गया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया के पी0आई0यू0।

मानव संसाधन प्रबंधन

2.1.5 कम्पनी के मानव संसाधन की स्थिति नीचे के तालिका सं0 2.1.1 में दिखाया गया है:

तालिका सं0 2.1.1 कम्पनी के मानव शक्ति की स्थिति

पद का नाम	मार्च 2014			मार्च 2017		
	स्वीकृत बल	वास्तविक बल	कमी	स्वीकृत बल*	वास्तविक बल	कमी
प्रबंध निदेशक	1	अतिरिक्त प्रभार	–	1	अतिरिक्त प्रभार	–
मुख्य महाप्रबंधक एवं महाप्रबंधक	6	4	2	8	7	1
उप महाप्रबंधक	18	12	6	23	10	13
सहायक महाप्रबंधक	71	14	57	90	20	70
कनीय अभियंता	103	10	93	107	29	78
अन्य कर्मचारी	141	37	104	199	65	134
कुल	**340**	**78**	**262**	**428**	**132**	**296**

*अक्टूबर 2014 मे स्वीकृत मानव शक्ति की स्थिति को सशोधित कर 340 से 428 किया गया था।

कम्पनी के गठन से ही प्रबन्ध निदेशक की नियमित नियुक्ति (एक बार छोड़कर) नहीं हुई थी और प्रबन्ध निदेशक का पद अतिरिक्त प्रभार (भ0नि0वि0 के प्रधान सचिव/सचिव/अपर सचिव के द्वारा) के रूप में रखा गया था। इसके फलस्वरूप विभाग के स्तर से कम्पनी के कार्यकलापों का प्रभावी अनुश्रवण नहीं था एवं कम्पनी के प्रतिदिन के कार्यों का प्रभावी प्रबंधन नहीं हो पाया था। चूँकि जिन प्राधिकारियों पर कम्पनी के निष्पादन की जिम्मेवारी थी उन्हीं प्राधिकारियों पर संचालन के वाह्य अनुश्रवण सुनिश्चित करने की भी जिम्मेवारी थी, अतः वहाँ हित संघर्ष था। यह लेखापरीक्षा आपत्तियों पर भ0नि0वि0 के जवाब से भी स्पष्ट होता है, क्योंकि ज्यादातर जवाब (नीचे लेखापरीक्षा प्रभाव में दिए गए सुधारात्मक कदमों को छोड़कर) कम्पनी के अनियमित कार्यकलापों की सफाई को समर्थन प्रदान करता है जबकि विभाग को सुनिश्चित करना चाहिए कि वित्तीय एवं अन्य नियमों का पालन करने के लिए सुधारात्मक उपाय किए जाए।

सहायक महाप्रबंधक (स0म0प्र0) एवं कनीय अभियंता (क0अभि0) के संवर्ग में अत्यधिक कमी को पूरा करने के लिए कम्पनी ने वर्ष 2012– 13 से 2016–17 के बीच में 21 नियुक्ति प्रक्रियाएँ प्रारम्भ किया। परन्तु, नियुक्ति के लिए लक्षित 300 कर्मियों के बदले मार्च 2017 तक सिर्फ 140 कर्मियों को नियुक्त किया गया था। लेखापरीक्षा जाँच के क्रम में इस असफलता का कारण रिक्तियों के अन्तिमीकरण में विलम्ब एवं रिक्तियों का रद्दीकरण पाया गया। पुनः कम्पनी ने मानव शक्ति रिक्तियों के नियुक्ति के लिए समेकित विज्ञापन नहीं निकाला बल्कि मार्च 2014 में 262 रिक्तियाँ होने के बावजूद भी, वर्ष 2014–15 से 2016–17 की अवधि में एक से 40 पदों के लिए टुकड़ों में 14 अलग–अलग विज्ञापन प्रकाशित किया। इससे यह स्पष्ट होता है कि कम्पनी रिक्तियों को भरने में गंभीर नहीं थी।

मार्च 2017 को, 47 स0म0प्र0 (असैनिक) के स्वीकृत कार्य बल के बदले सिर्फ 17 उपलब्ध थे। क0अभि0 (असैनिक) के संदर्भ में, 101 स्वीकृत बल के बदले सिर्फ 27 उपलब्ध थे। इसके परिणामस्वरूप एक क0अभि0 को किसी एक समय में एक से 21 कार्यों को निष्पादित करना पड़ा। कार्यों के असंतुलित बँटवारा/अतार्किक कार्यभार के परिणामस्वरूप कार्यों का अप्रभावी आन्तरिक नियंत्रण/अनुश्रवण हुआ।

लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकारते हुए भ0नि0वि0 (नवम्बर 2017) ने कहा कि रिक्तियों को भरने का कार्य किया जाएगा। भ0नि0वि0 ने प्रबन्ध निदेशक के पद को हमेशा अतिरिक्त प्रभार में रहने का कोई जवाब नहीं दिया। भ0नि0वि0 ने सूचित किया कि कम्पनी नामी संस्थानों जैसे राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान/भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान, पटना तथा अन्य सूचिबद्ध गुणवत्ता परामर्शी को तीसरे पक्षकार पर्यवेक्षक के रूप में उपयोग करती है। इस संबंध में लेखापरीक्षा ने प्रेक्षित किया कि कम्पनी का सम्पूर्ण पदनुक्रमित संरचना उस अवधि से संबंधित है जब कार्यों को विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जाता था। कम्पनी स्वयं किसी कार्य को कार्यान्वित नहीं करती है एवं इसका कार्य मूलतः संविदा प्रबंधन का है, जिसके लिए वर्त्तमान स्वीकृत बल एवं तैनाती अनुपयोगी है।

अनुशंसा

1. कम्पनी को जल्द से जल्द पूर्णकालिक प्रबन्ध निदेशक नियुक्त करना चाहिए।

2. चूँकि कम्पनी स्वयं यह महसूस करती है कि तृतीय पक्ष पर्यवेक्षकों एवं गुणवत्ता परामर्शियों द्वारा प्रभावशाली रूप से कार्य किया जा रहा है अतः इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कम्पनी को अपने वर्त्तमान मानव शक्ति संरचना का विश्लेषण करना चाहिए कि यह कम्पनी की भूमिका से मिलता है, जिससे की अनावश्यक पदों को खत्म किया जा सके तथा एक छोटा एवं प्रभावशाली संगठन गठित एवं संचालित किया जाए।

वित्तीय प्रबन्धन

वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणाम

2.1.6 कम्पनी के वर्ष 2012–13 से 2016–17 की अवधि के दौरान वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणाम नीचे तालिका सं0 2.1.2 में दिया जा रहा है:

तालिका सं0 2.1.2 : वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणाम

(राशि: ₹ करोड़ में)

वित्तीय स्थिति					
निधियों के स्रोत :					
विवरणी	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17
अंश पूँजी	5.00	5.00	5.00	5.00	**5.00**
संचय एवं आधिक्य	(0.03)	8.90	33.59	38.84	**57.39**
बिहार सरकार एवं अन्य संस्थाओं से प्राप्त अग्रिम	244.54	631.58	1,234.81	1,962.70	**2,652.27**
चालू दायित्व एवं प्रावधान	5.59	35.70	75.44	95.13	**111.55**
कुल	**255.10**	**681.18**	**1,348.84**	**2,101.67**	**2,826.21**

निधियों का प्रयोग :					
शुद्ध सम्पत्तियाँ	0.26	4.68	4.43	4.54	4.37
पूँजीगत क्रियाधीन कार्य	—	—	2.19	23.70	18.34
रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य	205.70	371.33	430.61	735.13	909.31
अन्य चालू सम्पत्तियाँ	49.14	305.17	911.61	1,338.30	1,894.19
कुल	255.10	681.18	1,348.84	2,101.67	2,826.21
कार्यकारी परिणाम					
विवरणी	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17
संचालन/सेन्टेज से राजस्व	4.41	28.76	58.18	27.34	39.26
बैंक (सावधि जमा) से ब्याज	29.95	12.51	14.32	11.48	18.21
कुल	34.36	41.27	72.50	38.82	57.47
व्यय					
वित्तीय लागत	29.90	12.37	13.38	11.18	16.16
प्रशासनिक एवं अन्य व्यय	1.22	14.31	17.89	19.29	14.70
कुल	31.12	26.68	31.27	30.47	30.86
कर के पूर्व लाभ/हानि	3.24	14.59	41.23	8.35	26.61
घटाव: पूर्व अवधि के समायोजन एवं कर	1.10	5.16	14.46	2.84	7.98
कर के बाद का लाभ/हानि	2.14	9.43	26.77	5.51	18.63
निवेश पर प्रतिफल (प्रतिशत में)	65.19	106.50	106.82	18.94	71.71
अंश पूँजी पर प्रतिफल (प्रतिशत में)	42.86	67.84	69.41	12.57	29.86
नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (प्रतिशत में)	65.19	106.50	106.82	18.94	71.71

- कम्पनी के निरन्तर लाभार्जन के कारण संचय एवं आधिक्य वर्ष 2012–13 में (–) ₹ 0.03 करोड़ से बढ़कर 2016–17 में ₹ 57.39 करोड़ हो गयी थी। परन्तु कम्पनी ने 2013–17 में अनियमित रूप से ₹ 47.52 करोड़ सेन्टेज के रूप में, बिना दो उपयोगकर्ता विभागों[3] के स्वीकृति से सम्मिलित किया था, जिसके परिणामस्वरूप लाभ को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया क्योंकि भुगतान प्राप्त होने का कोई आश्वासन नहीं था। कम्पनी ने निकास सम्मेलन (नवम्बर 2017) में तथ्यों को स्वीकारते हुए कहा कि खा0उ0सं0 विभाग, सेंटेज भुगतान हेतु अब मान गया है लेकिन, स्वास्थ्य विभाग नहीं माना है। फलस्वरूप संचय एवं आधिक्य को ₹ 12.56 करोड़ से कम किए जाने की आवश्यकता थी।
- अक्टूबर 2013 से मार्च 2017 के अवधि में सम्बन्धित पी0आई0यू0 के उप महाप्रबन्धकों ने 23 उपयोगकर्त्ता विभागों के 730 कार्यों को, जिनका कुल व्यय ₹ 923.58 करोड़ था को पूर्ण एवं हस्तान्तरित किया। परन्तु कम्पनी इन 730 कार्यों को, अन्तिम विपत्र के अन्तिमीकरण में विलम्ब के कारण वार्षिक लेखें में कार्य प्रगति के तौर पर ही दिखा रही है।

[3] स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार एवं खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण (ख0उ0सं0) विभाग, बिहार सरकार।

निधि की प्राप्ति एवं उपयोग

2.1.7 कम्पनी द्वारा किए गये सभी कार्य जमा शीर्ष के अन्तर्गत है, जहाँ ग्राहकों से निधि अग्रिम में लिया जाता है। निधि की प्राप्ति एवं उपयोग का विवरण नीचे तालिका सं0 – 2.1.3 में दिया जा रहा है:

तालिका सं0 2.1.3 : जमा कार्यों के लिये निधि की प्राप्ति एवं उपयोग की विवरणी

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्राप्त निधि	कुल उपलब्ध निधि	निधि का उपयोग	निधि के उपयोग का प्रतिशत	निधि का प्रत्यर्पण
2012–13	1.80	286.72[4]	46.48	16.21	151.66
2013–14	465.21	553.79	300.50	54.26	30.26
2014–15	657.77	880.80	637.49	72.38	0.00
2015–16	718.57	961.88	445.81	46.35	0.44
2016–17	684.20	1,199.83	577.58	48.14	2.80
कुल	**2,527.55**		**2,007.86**	**71.39 (सम्पूर्ण उपयोग)**	**185.16**

- निधि के कम उपयोग के कारण कार्य के आरम्भ में विलम्ब के साथ–साथ कार्य की धीमी प्रगति है जैसा कि आगे कंडिका संख्या 2.1.13, 2.1.21, 2.1.23 एवं 2.1.24 में चर्चा की गई है।

- 2012–13 से 2016–17 की अवधि में कम्पनी द्वारा सम्बन्धित विभागों को ₹ 185.16 करोड़ की राशि का प्रत्यर्पण किया गया जिसमें ₹ 181.11 करोड़ (2012–13 में ₹ 151.66 करोड़ एवं 2013–14 में ₹ 29.45 करोड़) बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित था, जो अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पी0एच0सी0) के निर्माण एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सी0एच0सी0) में उन्नयन के लिये दिया गया था। कम्पनी द्वारा विभिन्न कारणों जैसे वर्ष 2008 में गठित बिहार राज्य स्वास्थ्य विकास निगम लिमिटेड (कम्पनी का पूर्ववर्त्ती नाम) के पार्षद सीमा नियम एवं अन्तर्नियम का अन्तिम रूप से तैयार नहीं होना, दो वर्षों से अधिक समय के लिये कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति नहीं होना, 286 कार्यों में भूमि का नहीं मिलना, इत्यादि कारणों से कार्यों को कार्यान्वित नहीं किया जा सका, जिस कारण निधि का प्रत्यर्पण किया गया। पुनः 2015–17 की शेष बची निधियों में से ₹ 3.24 करोड़ का प्रत्यर्पण किया गया, जिसमें ₹ 2.60 करोड़ ए0एन0सिन्हा सामाजिक अध्ययन संस्थान से सम्बन्धित था जो कर्मचारी के आवासीय भवनों के निर्माण के लिये दिया गया था परन्तु बाद में सम्बन्धित संस्था द्वारा इसे निरस्त कर दिया गया, एवं ₹ 44.37 लाख बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के विवाह भवन के निर्माण से सम्बन्धित था, उसे संबंधित उपयोगकर्त्ता एजेंसी द्वारा वापस माँगे जाने पर लौटा दिया गया था।

[4] 01 अप्रैल 2012 तक प्रारंभिक शेष ₹ 284.92 करोड़ के साथ।

अन्य अनियमितताएँ

जमा कार्यों पर ब्याज का दावा नहीं किया जाना

अपनी निधियों का परियोजना कार्यों में विचलन करने के कारण, कम्पनी ने ₹ 4.55 करोड़ के ब्याज अर्जित करने का अवसर खो दिया

2.1.8 जमा शीर्ष के कार्यों के क्रियान्वयन में जहाँ निधि अग्रिम में प्राप्त की जाती है, अपने नीति से विचलन करते हुए कम्पनी ने उपयोगकर्त्ता विभागों से बिना निधि प्राप्त किए 15 परियोजनाओं में स्वयं का ₹ 55.44 करोड़ (जुलाई 2014 से जून 2016) उपयोग किया। इसमें से मार्च 2017 तक ₹ 32.66 करोड़ असमायोजित पड़ा हुआ था। चूँकि कम्पनी के निधि को ब्याज युक्त खातों में रखा जाता है एवं इस पर अर्जित ब्याज कम्पनी की आय होती है, कम्पनी निधि का परियोजना कार्यों में विचलन करने के कारण कम्पनी ने ₹ 4.55 करोड़ (कम्पनी के प्रतिभूति जमा पर ₹ 4.20 करोड़ और सेन्टेज आय पर ₹ 35 लाख[5]) के ब्याज अर्जित करने का अवसर खो दिया।

भ0नि0वि0 ने लेखापरीक्षा के आपत्ति पर अपने जवाब में (नवम्बर 2017) इसे स्वीकारा परन्तु कम्पनी को हुए ब्याज की हानि के प्रतिपूर्ति पर कोई स्पष्टीकरण नहीं सौंपा।

ऑटो स्वीप सुविधा का उपयोग न करने के कारण ब्याज की हानि

बचत खातों में ऑटो स्वीप सुविधा का उपयोग न करने के कारण, कम्पनी ने ₹ 1.56 करोड़ के ब्याज से आय का अवसर खो दिया

2.1.9 यह देखा गया कि 2012–13 से 2016–17 के अवधि में कम्पनी के प्रत्येक नौ पी0आई0यू0 में अलग–अलग बचत खातों का संचालन किया जा रहा था, जिसमें न्यूनतम मासिक शेष ₹ 0.33 करोड़ से ₹ 23.45 करोड़ तक था। यदि कम्पनी ने ऑटो स्वीप (आधिक्य राशि को सावधि जमा में निरंतर हस्तान्तरण के लिए) की सुविधा का विकल्प चुना होता तो उससे ₹ 1.56 करोड़ के अतिरिक्त ब्याज की आमदनी होती।

तथ्यों को स्वीकारते हुए भ0नि0वि0 ने कहा (नवम्बर 2017) कि कम्पनी के वर्त्तमान बचत खातों में ऑटो स्वीप की सुविधा ले ली गई है।

अनुशंसा

कम्पनी को अपने निधियों के प्रबन्धन में कुशलता लानी चाहिये।

आन्तरिक निरीक्षण तंत्र

गुणवत्ता नियंत्रण

2.1.10 कम्पनी के पास प्रत्येक पी0आई0यू0 में निर्माण प्रक्रिया के दौरान विभिन्न प्रकार के परीक्षण[6] के लिये आन्तरिक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला है। कम्पनी के द्वारा माँगें जाने पर राष्ट्रीय प्रौधोगिक संस्थान/भारतीय प्रौधोगिक संस्थान, बिहार के विभिन्न अभियांत्रिकी महाविधालय, सूचीबद्ध तीसरे पक्षकार की प्रयोगशाला, पंजीकृत प्रख्यात प्रयोगशाला, इत्यादि के द्वारा भी गुणवत्ता आश्वासन दी जाती है। मानक बोली दस्तावेज (एस0बी0डी0)[7] के शर्त्तों के अनुसार ₹ दो करोड़ से अधिक की लागत वाली परियोजनाओं के लिये संवेदक द्वारा निर्माण स्थल पर एक अलग प्रयोगशाला स्थापित करनी होती है। इस सम्बन्ध में लेखापरीक्षा ने पाया कि :

- 11 विशिष्ट पदों (प्रयोगशाला तकनीशियन, प्रयोगशाला सहायक इत्यादि) में से कोई भी पद नहीं भरा गया था जिसके कारण सभी परीक्षण, पी0आई0यू0 के कनीय अभियंता के द्वारा किया गया, जो कार्यों के क्रियान्वयन के लिए भी जिम्मेदार थे, जिससे हितों में टकराव हुआ।

[5] उस अवधि में प्रचलित सात प्रतिशत की दर से गणना।

[6] सीव एनालिसिस, नमी की मात्रा की जाँच, कंक्रीट की कम्प्रेसिव स्ट्रेन्थ, कम्पेक्शन टेस्ट, इत्यादि।

[7] विभिन्न प्रकार के दिशानिर्देश एवं निविदा का अन्तिमीकरण के लिए नियम एवं शर्त्त दस्तावेज जिसमें निहित है एवं कार्यों के क्रियान्वयन के लिए संवेदकों के साथ एकरारनामा के मानक फार्म के उद्देश्य की पूर्ति भी करता है।

भ0नि0वि0 ने अपने जवाब में कहा (नवम्बर 2017) कि प्रयोगशाला तकनीशियनों/ प्रयोगशाला सहायकों की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। जवाब संतोषप्रद नहीं है क्योंकि नियुक्ति प्रक्रिया के लिए जुलाई 2016 में विज्ञप्तित रिक्तियों को अभी तक (मार्च 2018) अन्तिम रूप नहीं दिया गया हैं ।

- कम्पनी के कार्यादेश के मानक शर्त्त के अनुसार सिर्फ विशिष्ट उत्पादनकर्त्ता (टाटा, सेल या वाईजैग स्टील) के ही सुदृढ़ स्टील छड़ों का उपयोग किया जाना था। परन्तु यह देखा गया कि कम्पनी के पास स्टील के जाँच की स्वयं द्वारा अथवा तीसरे पक्षकार एजेन्सी द्वारा, कोई व्यवस्था नहीं थी। पुनः नमूना जाँच के क्रम में यह देखा गया कि पाँच पी0आई0यू0 के 355 कार्यों में ₹ 190.84 करोड़ के 33,700 एम0टी0 स्टील का उपयोग सुदृढ़ीकरण में किया गया था, तथापि कम्पनी के संबंधित अधिकारी, संवेदकों से इनके क्रय से संबंधित अभिश्रवों को प्राप्त करने में असफल रहें। इसके परिणामस्वरूप उपयोग किए गए सुदृढ़ स्टील के गुणवत्ता को लेखापरीक्षा में प्रमाणित नहीं किया जा सका।

लेखापरीक्षा आपत्ति का जवाब देते हुए भ0नि0वि0 ने कहा (नवम्बर 2017) कि निर्माण के अनुमोदित डिजाईन के अनुसार कंक्रीट के ढ़लाई से पहले कम्पनी के पर्यवेक्षी अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से स्टील पर अंकित निर्माता के मुहर की जाँच की जाती है। साथ ही साथ, कम्पनी में संवेदकों से सुदृढ़ स्टील के क्रय के अभिश्रवों को प्राप्त करने का कोई निर्धारित प्रणाली भी नहीं था।

जवाब स्वीकार्य नहीं है। कम्पनी के पास अधिकारियों द्वारा कार्यों में उपयोग किए गए सामग्री पर अंकित मुहर के मिलान एवं सत्यापन से संबंधित कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है। पुनः कम्पनी ने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई है जिसमें निर्माण में उपयोग किए गए स्टील के क्रय से संबंधित अभिश्रवों को प्राप्त किया जा सके जो सुनिश्चित करें कि उपर्युक्त गुणवत्ता का स्टील उपयोग किया गया है।

अनुशंसा

कम्पनी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रयोगशाला परीक्षण के कार्य का निष्पादन प्रभावशाली तरीके से हो रहा है एवं अभिश्रव प्राप्त किए जा रहे है ताकि यह प्रमाणित हो सके कि निर्माण प्रक्रिया में निर्दिष्ट प्रख्यात उत्पादनकर्त्ता का स्टील उपयोग किया गया है।

आन्तरिक लेखापरीक्षा

2.1.11 चूँकि कम्पनी के पास अपना आन्तरिक लेखापरीक्षा स्कन्ध नहीं था, वे सनदी लेखाकारों (सी0ए0) के फर्मों को इस कार्य के लिए नियुक्त करते थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि सी0ए0 लेखाओं के समेकितीकरण, बैंक खातों का समाशोधन, इत्यादि कार्यों के लिए भी जिम्मेवार थे जो हितों के टकराव को स्थापित करता है। पुनः यह देखा गया कि आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में विस्तृत तकनीकी लेखापरीक्षा एवं व्यय के औचित्य सम्मिलित नहीं थे, जिससे एक आन्तरिक नियंत्रण के पर्याप्तता का औचित्य एवं वित्तीय लेन–देन पर आंतरिक जाँच को लागू करना सुनिश्चित किया जा सके। इसके अतिरिक्त, आन्तरिक लेखापरीक्षा के प्रतिवेदन की समीक्षा एवं उसके अनुपालन हेतु कम्पनी में कोई तंत्र नहीं था। अतः आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली अप्रभावी थी। भ0नि0वि0 ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकारा (नवम्बर 2017) ।

निगरानी स्कंध

कम्पनी के पास विभिन्न कार्यों के स्वतंत्र जाँच के लिए निगरानी स्कंध या एक नियमित मुख्य निगरानी अधिकारी (सी0वी0ओ0) नहीं था।

अनुशंसा

कम्पनी को ससमय कमियों का पता लगाने एवं उपचारात्मक कार्यवाही के लिए जल्द से जल्द स्वतंत्र आन्तरिक लेखापरीक्षा स्कंध एवं नियमित सी0वी0ओ0 सहित निगरानी स्कंध स्थापित करना चाहिए।

परियोजना प्रबंधन

2.1.12 कम्पनी ने 2012–13 से 2016–17 की अवधि में विभिन्न परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जैसा कि निम्न तालिका सं0 2.1.4 में दर्शाया गया है :

तालिका सं0 2.1.4 : कम्पनी के द्वारा किए कार्यों का विवरण

(संख्या में)

भवन के प्रकार	कुल कार्य	परियोजना लागत (₹ करोड़ में)	नमूना जाँचित मामलें	योजनाओं में विलम्ब के मामलें	एकरारनामा क्रियान्वयन में विलम्ब	समापन में विलम्ब (कुल में से)	हस्तांतरण में विलम्ब
गोदामों का निर्माण	538	1,045.86	342	222	178	326	90
पी0एच0सी0 का सी0एच0सी0 में उन्नयन	192	656.87	119	5	85	86	46
अन्य कार्य	389	1,669.26	238	134	80	83	67
कुल	**1,119**	**3,371.99**	**699**	**361**	**343**	**495**	**203**

मुख्य परियोजनाओं की स्थिति ***अनुलग्नक 2.1.1*** में दिया गया है। कम्पनी के द्वारा परियोजनाओं के क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में लेखापरीक्षा द्वारा पाए गए कमियों की चर्चा नीचे की गई है :

योजना

योजना प्रक्रिया में अनियमिताओं पर आपत्तियों की चर्चा नीचे की गई है :

योजना प्रक्रिया में विलम्ब

2.1.13 सरकारी आदेश (नवम्बर 2013) के अनुसार उपयोगकर्त्ता विभाग द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन देने के तारीख से 90 दिनों के अन्दर योजना प्रक्रिया जिसमें मिट्टी की जाँच, प्राक्कलन का निर्माण, तकनीकी स्वीकृति का अनुमोदन, निविदा का अन्तिमीकरण, इत्यादि शामिल है, को पूरा कर लेना चाहिए।

पाँच चयनित पी0आई0यू0 के कार्य अभिलेखों के लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि 361 कार्य का प्रारम्भ प्रशासनिक स्वीकृति के 90 दिनों के बाद भी एक से 21 महीने के विलम्ब से किया गया। इनमें से 39 मामले में विलम्ब छः महीने से एक वर्ष का था तथा 68 मामलों में विलम्ब एक वर्ष से अधिक का था। विलम्ब के कारणों में योजना प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के लिए समय सीमा का निर्धारण नहीं करना सम्मिलित था, जिसका नतीजा संबंधित पी0आई0यू0 के उप महाप्रबंधक द्वारा प्राक्कलन बनाने में देरी, तकनीकी स्वीकृति के अनुमोदन में विलम्ब, मुख्य महाप्रबंधक द्वारा निविदा आमंत्रण में विलम्ब एवं निविदा के निरस्तीकरण के परिणामस्वरूप पुनर्निविदा था।

लेखापरीक्षा आपत्ति के आलोक में भ0नि0वि0 ने अपने जवाब (नवम्बर 2017) में कहा कि विलम्ब का कारण उपयोगकर्त्ता विभाग द्वारा स्थल योजना, वास्तु–शिल्प, डिजाइन, इत्यादि के अनुमोदन में विलम्ब तथा पुनर्निविदा एवं निर्माण स्थल पर कठिनाईयाँ थी। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ऊपर दिए गए कारणों के अनुसार प्रथम दृष्टया विलम्ब कम्पनी द्वारा किया गया था।

अनुशंसा

कम्पनी को विभिन्न योजना गतिविधियों हेतु समयावधि का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।

बिना प्रशासनिक स्वीकृति के कार्य का क्रियान्वयन किया जाना

2.1.14 बिहार वित्तीय नियमावली एवं बिहार लोक निर्माण विभाग (बि0लो0नि0वि0) कोड यह निर्देशित करता है कि किसी भी परियोजना के क्रियान्वयन से पहले सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन होना चाहिए।

कम्पनी ने सात कार्य बिना प्रशासनिक अनुमोदन के किए जिसके फलस्वरूप ₹ 1.28 करोड़ अप्रैल 2016 से अवरूद्ध थे

लेखापरीक्षा ने पाया कि प्रबन्ध निदेशक ने उपर्युक्त प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए बिना उपयोगकर्त्ता विभाग (खा0उ0सं0) से प्रशासनिक स्वीकृति लिए अथवा निदेशक पर्षद से अनुमोदन लिए, तथा अभिलेखों के अनुसार उपयोगकर्त्ता विभाग के मौखिक आदेशानुसार (जनवरी 2015) सात प्री–फेब्रिकेटेड गोदामों[8] के निर्माण का आदेश दिया। **₹** 1.28 करोड़[9] व्यय होने के बाद कार्य को निधि के अभाव में मार्च/अप्रैल 2016 में रोक दिया गया। अवरूद्ध कार्य की स्थिति नीचे छायाचित्र में प्रदर्शित की गई है :

छायाचित्र सं0 : 2.1.1



13.5.2017 को नरकटियागंज – 3 में 5,000 एम0टी0 का गोदाम



03.06.2017 को धमदाहा पूर्णियाँ में 5,000 एम0टी0 का गोदाम

भ0नि0वि0 ने अपने जवाब (नवम्बर 2017) में कहा कि उपयोगकर्त्ता विभाग ने प्रशासनिक स्वीकृति (अक्टुबर 2017) दे दिया है। फिर भी तथ्य यह है कि बिना सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के प्रबन्ध निदेशक द्वारा निर्माण के आदेश के परिणामस्वरूप ₹ 1.28 करोड़ का कार्य 18 महीनों से अधिक समय तक बंद पड़ा रहा।

अनुशंसा

कम्पनी को उपयोगकर्त्ता विभागों से प्रशासनिक अनुमोदन मिलने के पश्चात् ही कार्यों का क्रियान्वयन प्रारंभ करना चाहिए।

किशनगंज कृषि महाविद्यालय परियोजना के परामर्शी को अनावश्यक भुगतान एवं परिहार्य व्यय

2.1.15 डा0 अब्दुल कलाम कृषि महाविद्यालय, किशनगंज के निर्माण कार्य के लिए डिजाइन/प्राक्कलन/विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी0पी0आर0) के निर्माण के लिए

[8] नरकटियागंज–3, धमदाहा, बायसी, पूर्णिया में 5,000 एम0टी0 एवं जन्दाहा, अररिया एवं कुढनी में 1,000 एम0टी0 गोदाम का निर्माण कार्य।

[9] क्रियान्वयन के पूर्व के क्रियाकलापों पर ₹ 0.27 करोड़ एवं नरकटियागंज–3 और धमदाहा में 5,000 एम0टी0 क्षमता के गोदामों के निर्माण कार्य पर ₹ 1.01 करोड़।

₹ 501.57 करोड़ की प्राक्कलित राशि के 1.12 प्रतिशत परामर्शी शुल्क पर एकरारनामा (मई 2013) किया गया था। अभिलेखों के लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि :

- प्रचलित आदेशों (जून 2011) के अनुसार परिणाम विपत्र (बी0ओ0क्यू0) को तैयार करने में भ0नि0वि0 के अनुसूची दरों (एस0ओ0आर0) का कम्पनी के द्वारा अनुकरण किया जाएगा एवं अगर सिर्फ किसी मद का दर उपलब्ध नहीं है तो केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (के0लो0नि0वि0) के एस0ओ0आर0 का अनुपालन किया जाएगा। पुनः यह देखा गया कि यद्यपि भ0नि0वि0 के एस0ओ0आर0 में श्रम एवं स्थानीय सामग्री, जो स्थानीय स्तर पर उपलब्ध है, का कम दर उपलब्ध था, तथापि परामर्शी (डी0डी0एफ0 कन्सलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड) ने के0लो0नि0वि0, दिल्ली के एस0ओ0आर0 को प्रस्तावित किया। इसमे इन मदों की लागत ₹ 500.18 करोड से बढ़कर ₹ 501.57 करोड़ हो गई। बिना यथोचित उद्यम किए कम्पनी के अधिकारियों[10] ने उच्च दर को स्वीकारा जिससे उपयोगकर्त्ता विभाग को ₹ 1.11 करोड़[11] का संवेदकों के भुगतान एवं सेन्टेज पर अनावश्यक अतिरिक्त व्यय करना पड़ा। जवाब में भ0नि0वि0 ने कहा (नवम्बर 2017) कि मामलें को परामर्शी को उद्घृत किया गया है।

- एकरारनामा की शर्तों के अनुसार, अगर परियोजना में किसी डिजाइन का पुनः उपयोग किया जाता है तो परामर्शी, शुल्क के दर का मात्र 35 प्रतिशत पाने का हकदार होगा। कर्मचारी आवास निर्माण के कार्य में चार प्रकार के ब्लॉक (प्रकार – 1, 2, 3, 4) के डिजाइन का पुनः उपयोग अपेक्षित था। यह देखा गया है कि कम्पनी ने चारों प्रकार के ब्लॉक के लिए (पुनरावृत्त ब्लॉक को सम्मिलित करते हुए) मूल दर पर भुगतान किया जिसके परिणामस्वरूप परामर्शी को ₹ 49.10 लाख[12] का अधिक भुगतान हुआ। जवाब (नवम्बर 2017) में भ0नि0वि0 ने तथ्यों को स्वीकारा।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का अनावश्यक भुगतान

2.1.16 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अधिसूचना (अगस्त 1995) के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं हेतु आपूर्ति की गई सामग्रियाँ उत्पाद कर से मुक्त होती है।

कम्पनी, सामग्रियों पर उत्पाद शुल्क का छूट लेने मे विफल रही, फलस्वरूप परियोजना/कार्य लागत में ₹ 5.25 करोड़ की वृद्धि हुई

कम्पनी ने (मई 2016) 101 बुनियाद केन्द्रों के भवनों एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं के निर्माण का कार्य किया था जो विश्व बैंक के सहायता से समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया था। कम्पनी इन कार्यों के लिए खरीदें या उपयोग किए गए सामग्रियों पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का छूट पाने के योग्य थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि परामर्शी[13] ने गलती से इन कार्यों के प्राक्कलन में उपयोग किए जाने वाले सीमेन्ट एवं स्टील दरों पर उत्पाद शुल्क को सम्मिलित किया था। कम्पनी के

[10] मु0म0प्र0, म0प्र0 (उत्तर), उप म0प्र0 पूर्णिया, सहायक म0प्र0 तथा संबंधित क0अभि0।

[11] ₹ 0.84 करोड़ (मार्च 2017 तक खर्च किया गया अतिरिक्त व्यय) का 120 प्रतिशत के साथ में 10 प्रतिशत की दर से सेन्टेज।

[12] कुल भुगतान योग्य फीस की राशि = ₹ 27.75 करोड़ (प्रत्येक ब्लॉक के एक भवन का सेवाकर सहित अनुमानित लागत) x 1.12 प्रतिशत (मुख्य ब्लॉक के लिए) + ₹ 27.75 करोड़ x 1.12 प्रतिशत x 3 x 0.35 (पुनरावृत्त ब्लॉक के लिए) x 81 प्रतिशत भुगतान की राशि (आठवाँ चालू विपत्र तक) यथा ₹ 51.61 लाख। मार्च 2017 तक भुगतान की गई राशि ₹ 100.71 लाख थी। अतः ₹ 49.10 लाख अधिक भुगतान की गई।

[13] आर्किटेक्नों कन्सलटेन्ट (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड।

अधिकारीगण[14] इस त्रुटि का पता लगाने में विफल रहे जिसके फलस्वरूप ₹ 5.25 करोड़[15] का अनावश्यक भुगतान हुआ।

लेखापरीक्षा को अपने जवाब (नवम्बर 2017) में भ0नि0वि0 ने तथ्यों को स्वीकारा लेकिन कहा कि चूँकि परियोजनाएँ कम मूल्य की थी एवं लघु संवेदकों द्वारा क्रियान्वित की जा रही थी, जो सामग्रियों का क्रय स्थानीय विक्रेता से करते थे, अतः उत्पाद शुल्क में छूट का उपयोग करना संभव नहीं था। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उत्पाद शुल्क में छूट का उपयोग करने के लिए प्रक्रिया ढूँढ़ने का उत्तरदायित्व सरकार एवं कम्पनी का था, जो यह करने में असमर्थ रहा जिसके फलस्वरूप राज्य के राजकोष पर ₹ 5.25 करोड़ का अनावश्यक बोझ पड़ा।

अनुशंसा

कम्पनी तकनीकी स्कंध के अन्तर्गत परामर्शी द्वारा तैयार प्राक्कलनों के जाँच के लिए समर्पित सेल के स्थापना पर विचार कर सकती है।

निविदा

2.1.17 बिहार सरकार के आदेशानुसार (मार्च 2008) दो करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के सभी कार्यों का क्रियान्वयन एस0बी0डी0 के अनुसार होना चाहिए। निविदा से संबंधित अनियमितताओं पर महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों का वर्णन नीचे किया जा रहा है :

नामांकन पर कार्य प्रदान करना

2.1.18 बिहार वित्तीय नियमावली (बि0वि0नि0) निर्धारित करता है कि ₹ 10 लाख से अधिक प्राक्कलित मूल्य के सभी कार्यों एवं सेवाओं को निविदा आमंत्रण के आधार पर प्रदान किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त सी0वी0सी0 का आदेश[16] (जुलाई 2007) अन्य बातों के साथ यह प्रावधानित करता है कि सरकारी ठेका में पारदर्शिता लाने तथा भ्रष्ट/अनियमित प्रक्रियाओं को समाप्त किए जाने हेतु सरकारी ठेका सिर्फ सार्वजनिक नीलामी/सार्वजनिक निविदा से ही प्रदान किया जाना चाहिए।

कम्पनी ने बि0वि0नि0 एवं सी0वी0सी0 के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए नामांकन के आधार पर ₹ 19.48 करोड़ का अतिरिक्त कार्य आवंटित किया

जनवरी 2013 से अप्रैल 2015 के बीच कम्पनी ने पाँच पी0आई0यू0 से संबंधित ₹ 278.51 करोड़ के 88 कार्यों[17] का कार्यावंटन किया। लेखापरीक्षा ने प्रेक्षित किया कि बि0वि0नि0 एवं सी0वी0सी के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए कम्पनी[18] ने (नवम्बर 2014 से दिसम्बर 2016 में) ₹ 19.48 करोड़ का अतिरिक्त कार्य,[19] इस तथ्य के बावजूद कि इन सभी मामलों में सभी अतिरिक्त कार्य का मूल्य ₹ 10 लाख से अधिक था, बिना निविदा आमंत्रित किए हुए उसी संवेदक को प्रदान किया, जिसने मूल कार्य का क्रियान्वयन किया था।

लेखापरीक्षा को अपने जवाब में (नवम्बर 2017) भ0नि0वि0 ने तथ्यों को स्वीकारते हुए कहा कि ये अतिरिक्त कार्य बि0लो0नि0वि0 कोड के अनुसार स्वीकार्य अतिरिक्त मदें थी एवं ये सभी कार्य पहले से मूल प्राक्कलनों में सम्मिलित थी, यद्यपि मूल एकरारनामा में सम्मिलित नहीं थी। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कम्पनी निविदा के समय अतिरिक्त कार्यों, जो मूल प्राक्कलनों का हिस्सा था, निविदा के बी0ओ0क्यू0 में सम्मिलित करने में

[14] मु0म0प्र0, म0प्र0 (उत्तर एवं दक्षिण), उ0म0प्र0, स0म0प्र0 एवं संबंधित क0अभि0।

[15] स्टील पर 12.50 प्रतिशत की दर से उत्पाद शुल्क एवं सीमेन्ट पर ₹ 50 प्रति बोरा (₹ 4.91 करोड़) (जोड़) इस पर ₹ 35.74 लाख का सेन्टेज सहित।

[16] 2006 के एस0एल0पी0 (सिविल) संख्या 10,174 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के व्याख्या पर आधारित।

[17] गोदामों का निर्माण, पी0एच0सी0 का सी0एच0सी0 में उन्नयन का कार्य, आवासीय उच्च विद्यालयों का निर्माण, इत्यादि।

[18] संबंधित पी0आई0यू0 के उ0म0प्र0 के प्रस्ताव एवं मु0म0प्र0 द्वारा स्वीकृति।

[19] चाहरदीवारी का निर्माण, पहुँच पथ, इत्यादि।

विफल रही थी। इसके अलावा बि0लो0नि0वि0 कोड उस कार्यमद को अतिरिक्त कार्य नहीं मानती है जो मूल कार्य का हिस्सा नहीं हैं। बि0वि0नि0 एवं सी0वी0सी0 के दिशा–निर्देशों के अनुसार कोई भी कार्यावंटन बिना निविदा के आमंत्रण के नहीं किया जा सकता है।

अनुशंसा

कम्पनी को ₹ 10 लाख मूल्य से अधिक के सभी कार्य के लिए बिहार वित्तीय नियमावली के अनुसार खुली निविदा आमंत्रित करनी चाहिए।

प्री–फेब्रिकेटेड गोदामों के कार्यावंटन में नियमों का उल्लंघन

संवेदक के क्षमता प्रावधानों को नजर अंदाज करते हुए 60 गोदामों का कार्यावंटन

2.1.19 भ0नि0वि0 ने निर्धारित (मई 2009) किया था कि समान कार्य के लिए अनुभव प्रमाण–पत्र में यदि निविदाकर्त्ता निजी संस्थाओं में समान राशि के किए गए कार्य का प्रमाण–पत्र सौंपता है, तो यह प्रमाण–पत्र, किसी सेवानिवृत कार्यपालक अभियन्ता या आयकर/राष्ट्रीयकृत बीमा कम्पनी/राष्ट्रीयकृत बैंकों के पंजीकृत मूल्यांकक के द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।

यह देखा गया कि उपर्युक्त निर्देशों का उल्लंघन करते हुए, कम्पनी के अधिकारियों[20] ने निजी कम्पनी के परियोजना प्रबंधक द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण–पत्र के आधार पर ₹ 125.66 करोड़ मूल्य के 60 प्री–फेब्रिकेटेड गोदामों (1,39,500 एम0टी0) के निर्माण से संबंधित पाँच अनुबंध एक ही संवेदक[21] को आवंटित (अगस्त 2014 से दिसम्बर 2015) किया।

जून 2017 तक, इन 60 गोदामों में से 53 गोदामों का कार्य, निर्धारित कार्य समाप्ति की तिथि के सात से 15 महीना बीत जाने के बाद भी, संबंधित पी0आई0यू0 के अधिकारियों द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने में विलम्ब एवं संवेदक द्वारा कार्य की धीमी प्रगति के कारण पूरा नहीं हुआ था।

लेखापरीक्षा आपत्ति के जवाब (नवम्बर 2017) में भ0नि0वि0 ने तथ्यों को स्वीकारा, लेकिन दस्तावेजों के सत्यापन नहीं कराए जाने के कारण, अत्यधिक कार्यभार (विभिन्न विभागों के 800 से अधिक कार्य) होने की सफाई दी। दी गई सफाई स्वीकार्य नहीं है।

संवेदक के क्षमता को सुनिश्चित किए बिना नौ गोदामों का अनुबंध आवंटन

2.1.20 एस0बी0डी0 निर्धारित करता है कि नई योजना के लिए बोली क्षमता[22] (बिड कैपेसिटी) की गणना करते समय संवेदक के सभी चालू कार्यों के मूल्य को घटाना चाहिए। लेखापरीक्षा में देखा गया कि संवेदक[23] को ₹ 34.41 करोड़ के नौ प्री–फेब्रिकेटेड गोदामों के कार्यावंटन के समय कम्पनी के अधिकारियों ने[24] ₹ 31.22 करोड़ मूल्य के चालू कार्यों को बोली क्षमता की गणना करते समय नहीं घटाया। इसके परिणामस्वरूप अयोग्य संवेदक को अनुबंध आवंटित किया गया। स्पष्ट रूप से संवेदक नई संविदा के कार्य को पुराने आवंटित कार्य के अतिरिक्त करने में असमर्थ था,

[20] निविदा मूल्यांकन समिति में प्रबंध निदेशक, मु0म0प्र0, म0प्र0 (उत्तर), म0प्र0 (वित्त) एवं उप म0प्र0 मुजफ्फरपुर।

[21] मेसर्स शिव शंकर सिंह कॉन्ट्रैक्ट प्राईवेट लिमिटेड।

[22] बिड कैपेसिटी = विगत पाँच वर्षों के अधिकतम वार्षिक टर्नओवर × प्रस्तावित कार्य के समाप्त होने की अवधि वर्षों में × 3 – वर्त्तमान कार्य (जारी कार्य)।

[23] मेसर्स बी0एस0 प्रोमोटर्स।

[24] तकनीकी मूल्यांकन समिति (प्रबंध निदेशक, मु0म0प्र0, म0प्र0 (दक्षिण), उप म0प्र0 (वित्त) एवं उप म0प्र0 पूर्णिया।

इसलिए संवेदक काम पूरा होने के निर्धारित अवधि (दिसम्बर 2015) के 24 महीनों के बीत जाने के बाद भी नौ गोदामों में से एक में भी कार्य को पुरा करने में असफल (दिसम्बर 2017) रहा।

लेखापरीक्षा को अपने जवाब (नवम्बर 2017) में भ0नि0वि0 ने कहा कि पाँच गोदामों के निर्माण का कार्य भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रारम्भ नहीं हो सका। यह स्पष्टीकरण सिर्फ कम्पनी के दोष को बताता है। बि0लो0नि0वि0 कोड के नियम 109 के अनुसार, कम्पनी को भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना निविदा का आमंत्रण भी नहीं करना चाहिए था।

अनुशंसा

निविदाओं का निस्तारण एस0बी0डी0 के नियमों एवं शर्तों तथा सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार करना चाहिए।

बिना अनापत्ति प्रमाण–पत्र के निविदा के अन्तिमीकरण के कारण विलम्ब

2.1.21 बि0लो0नि0वि0 कोड यह निर्धारित करता है कि कार्य के विस्तृत डिजाइन एवं प्राक्कलन का अन्तिमीकरण करने से पहले स्थानीय प्रशासन से प्रत्येक भवन के लिए तय कार्य स्थल हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र सुनिश्चित कर लेना चाहिए।

निम्नलिखित मामलों में लेखापरीक्षा ने पाया कि अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने से पहले निविदा के अन्तिमीकरण करने के फलस्वरूप विलम्ब की अवधि में निधियों का अवरूद्धीकरण हुआ :

कम्पनी ने 45 गोदामों के निर्माण हेतु स्थल उपलब्धता के बिना ही निविदाओं का अन्तिमीकरण किया जिसके फलस्वरूप कार्य विलम्ब से आरंभ हुआ

- नमूना जाँच के लिए चयनित पाँच पी0आई0यू0 के 75 प्री–फेब्रिकेटेड गोदामों में से ₹ 122.16 करोड़ मूल्य के 45 गोदामों के निविदा का अन्तिमीकरण बिना अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त किए किया गया जो अन्तिम रूप से निविदा के अन्तिमीकरण के एक से 18 महीने[25] बाद मिला।
- दूसरे मामलों में स्थानीय प्रशासन से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त नहीं करने के कारण ₹ 22.12 करोड़ मूल्य के आठ गोदामों के निमार्ण का कार्य निविदा दिए जाने के (जनवरी 2015 से सितम्बर 2016) नौ से 26 महीने विलम्ब के बाद भी प्रारंभ नहीं हो सका।

भ0नि0वि0 (नवम्बर 2017) ने लेखापरीक्षा परिणाम को स्वीकार कर लिया।

अनुशंसा

कम्पनी को क्रियान्वयन के लिए निविदा आमंत्रण करने के पूर्व अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करना सुनिश्चित कर लेना चाहिए।

परियोजना कार्यान्वयन

विभिन्न कार्यों के कार्यान्वयन के लिए उपयोगकर्त्ता विभागों द्वारा समय सीमा का निर्धारण नहीं किया जाना

2.1.22 कम्पनी कार्यों का कार्यान्वयन उपयोगकर्त्ता विभाग द्वारा दिए गए प्रशासनिक अनुमोदन, जो परियोजना की सम्पूर्ण लागत को परिभाषित करती है, के आधार पर करती है। कम्पनी किए गए कार्यों के लिए सेन्टेज की हकदार है। इस प्रकार, लागत सीमा के अतिरिक्त समय सीमा भी निर्धारित होनी चाहिए ताकि कम्पनी के उत्तरदायित्व को सुनिश्चित किया जा सकें।

[25] एक से छः महीना – 25; 6 से 12 महीने तक – 14; 12 से 18 महीने तक – 6।

लेखापरीक्षा ने पाया कि उपयोगकर्त्ता विभागों के द्वारा 538 गोदामों के निर्माण के लिए ₹ 1,045.86 करोड़ एवं 201 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन के लिए ₹ 656.87 करोड़ का प्रशासनिक अनुमोदन बिना कार्य समाप्ति के समय सीमा को निर्धारित करते हुए प्रदान किया गया। इस प्रकार, उपयोगकर्त्ता विभागों द्वारा परियोजना के कार्यान्वयन में कम्पनी का उत्तरदायित्व सुनिश्चित नहीं किया गया।

अनुशंसा

उपयोगकर्त्ता विभागों/सरकार को प्रत्येक कार्य के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक अनुमोदन के समय समयावधि निर्धारित करनी चाहिए।

संविदा देने के बाद एकरारनामा निष्पादन में विलम्ब

2.1.23 सरकारी आदेश (नवम्बर 2013) के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निविदा के अन्तिमीकरण से सात दिनों के अन्दर, संबंधित संवेदक से, प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता को एकरारनामा का निष्पादन कर लेना चाहिए।

अभिलेखों के जाँच में पाया गया कि अक्टुबर 2012 से मार्च 2017 के बीच नमूना जाँच के लिए चयनित पाँच पी0आई0यू0 में किए गए 699 एकरारनामा में से 343 एकरारनामा (कुल का 49 प्रतिशत) निविदा के अन्तिमीकरण के बाद एक से 21 महीनों के विलम्ब से किया गया जिसे तालिका सं0 2.1.5 में दिखाया गया है :

तालिका सं0 : 2.1.5 एकरारनामें में विलम्ब को प्रदर्शित करने वाली विवरणी

(संख्या में)

क्रम सं0	विलम्ब की अवधि (महीना में)	पी0एच0सी0 का सी0एच0सी0 में उन्नयन	गोदामों का निर्माण	अन्य[26]	विलम्ब का मुख्य कारण
1	एक से छः	82	139	75	संवेदकों द्वारा विलम्ब एवं चिह्नित भूमि में अवरोध
2	सात से 12	3	16	4	चिह्नित भूमि में अवरोध
3	12 से अधिक	—	23	1	भूमि उपलब्ध नही होना
कुल		**85**	**178**	**80**	

लेखापरीक्षा में देखा गया कि संबंधित पी0आई0यू0 को स्थानीय प्रशासन के समन्वय से चिह्नित भूमि में बाधाओं को दूर करना सुनिश्चित करना चाहिए था एवं कार्यों के लिए निविदा आमंत्रित करने से पहले प्राधिकारियों से भूमि का अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करना चाहिए था। तथापि संबंधित परियोजना क्रियान्वयन इकाईयों के उप महाप्रबंधकों द्वारा ऐसा नहीं किया गया जिसके फलस्वरूप एकरारनामें में विलम्ब हुआ।

इस प्रकार, एकरारनामें के निष्पादन में विलम्ब के कारण इन सभी कार्यों के प्रारम्भ होने के तिथि एवं समाप्त होने की संभावित तिथि में विलम्ब हुआ एवं कार्यों के वांछित लाभों को समय पर नहीं पाया जा सका। इसके अतिरिक्त, बाधा रहित स्थल को सुनिश्चित किए बिना निविदा का आमंत्रण एवं अन्तिमीकरण बि0लो0नि0वि0 कोड के नियम 109 का भी उल्लंघन था।

भ0नि0वि0 ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार (नवम्बर 2017) किया।

[26] एयर पोर्ट रनवे, महाविद्यालयो, छात्रावासो, स्थलो/पार्कों का सौन्दर्यीकरण, न्यायालय भवन, इत्यादि का निर्माण।

अनुशंसा

कम्पनी को कार्य प्रारंभ करने से पूर्व बाधा रहित स्थल की उपलब्धता को सुनिश्चित करना चाहिए।

एकरारनामा में वर्णित समय सीमा के अनुसार कार्य समाप्ति में विलम्ब

2.1.24 कम्पनी विभिन्न उपयोगकर्त्ता विभागों/लोक उपक्रमों/संस्थाओं द्वारा प्रदत्त कार्यों को क्रियान्वित करती है। इस प्रकार कुशल एवं दक्ष परिणाम प्राप्त करने के लिए भवनों को समय पर बनाने का प्रयास करना चाहिए ताकि उनका उपयोग किया जा सकें। कार्य को पूरा करने की निर्धारित तिथि संवेदक के साथ किए गए एकरारनामों में भी परिभाषित रहती है। 2012–2017 के दौरान, कम्पनी ने 1,119 कार्यों को कार्यान्वित किया।

लेखापरीक्षा ने प्रेक्षित किया कि :

- पूर्ण किए गए 861 कार्यों (मार्च 2017 तक) में से 332[27] (38.56 प्रतिशत), कार्य एकरारनामें के अनुसार कार्य समाप्त करने की निर्धारित तिथि से एक से 33 महीनों के विलम्ब से पूर्ण हुआ। इन 332 कार्यों में से, 94 (28.31 प्रतिशत) कार्य एक या उससे अधिक वर्षों के विलम्ब से पूर्ण हुआ। विलम्ब का मुख्य कारण संवेदकों के द्वारा कार्य की धीमी प्रगति, स्थानीय बाधाएँ/रूकावटें, डिजाइन के अन्तिमीकरण में विलम्ब, वर्षा ऋतु में जल जमाव, स्थानीय प्रशासन/भूमि के प्राधिकारी से समन्वय नहीं करना, संबंधित पी0आई0यू0 के अधिकारियों[28] द्वारा उपयोगकर्त्ता विभाग से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने में विलम्ब, इत्यादि थे।
- 258 कार्य (मार्च 2017 तक) प्रगति में थे, जिसमें 163 कार्य[29] (63.18 प्रतिशत) कार्य समाप्ति के निर्धारित तिथि से एक से 36 महीनों तक, उपर्युक्त वर्णित कारणों से विलंबित थे।

उपर्युक्त बताए गए कार्यों के पूर्ण होने में एक से 36 महीनों के विलम्ब के फलस्वरूप :

- 6,82,950 एम0टी0 के भण्डारण क्षमता के 326 गोदामों (215 पूर्ण एवं 111 अपूर्ण) के उपयोग में विलम्ब हुआ, जिसके फलस्वरूप खा0उ0सं0 विभाग, बिहार सरकार के प्रशासी नियंत्रण के अन्तर्गत लोक उपक्रम बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के द्वारा 2014–2017 की अवधि में किराए के गोदामों पर ₹ 9.72 करोड़[30] के परिहार्य किराए का भुगतान किया गया।
- 86 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (75 पूर्ण एवं 11 अपूर्ण) के पूर्ण होने में विलम्ब के कारण उन्नत स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने के वांछित उद्देश्य की प्राप्ति भी एक से 36 महीनों तक विलम्बित रही।
- 83 अन्य कार्यों (42 पूर्ण एवं 41 अपूर्ण) के पूर्ण होने में विलम्ब के कारण इन कार्यों से वांछित फल के प्राप्ति में विलम्ब हुआ।

[27] 215 गोदामों, 75 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं 42 अन्य कार्यों (स्टेडियमों, डी0सी0एल0आर0 कोर्ट, ए0डी0आर0 भवन, पशु चिकित्सालय, एयरपोर्ट लाउन्ज, प्रयोगशाला, ऐतिहासिक स्थानों का विकास इत्यादि)।

[28] उप महाप्रबंधकों, सहायक महाप्रबंधकों एवं कनीय अभियंताओं।

[29] 111गोदामों, 11 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं 41 अन्य कार्य।

[30] संबंधित वर्षों में बनाए गए गोदामों के क्षमता के लिए वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 में किराया के औसत दर क्रमश: ₹ 14.02 एवं ₹ 15.85 प्रति एम0टी0 प्रति महीना के आधार पर आकलित की गई है। वर्ष 2016–17 की गणना, किराए पर लिए गए वास्तविक गोदामों (निर्मित क्षमता से कम होने के कारण) के आधार पर की गई है तथा 2015–16 का ही दर लिया गया है क्योंकि 2016–17 का कोई भी औपबंधिक दर कम्पनी के पास उपलब्ध नही था।

गायघाट, मुजफ्फरपुर के दो अपूर्ण 5000 एम0टी0 के प्री–फेब्रिकेटेड गोदामों (सितम्बर 2015 में निर्माण प्रारंभ किया गया एवं जून 2016 में पूरा होने की नियत तिथि) का छायाचित्र निम्न है :

छायाचित्र सं0 : 2.1.2



06.05.2017 की छायाचित्र

भ0नि0वि0 ने अपने जवाब (नवम्बर 2017) में कहा कि विभिन्न कारणों से जैसे अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रदान करने में विलम्ब, चिह्नित भूमि में बदलाव, स्थानीय बाधाएँ, संवेदकों के दोष इत्यादि के कारण निर्माण कार्यों को निर्धारित तिथि तक पूरा नहीं किया जा सका एवं निर्माण कार्यों के क्रियान्वयन के विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए उपाय किए जा रहे है।

अनुशंसा

कम्पनी को संवेदकों के कार्य निष्पादन के अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण को सुदृढ़ करना चाहिए एवं सभी विलंबित योजनाओं के बाधाओं, अगर कोई है, को दूर करके, प्राथमिकता से पूर्ण करना सुनिश्चित करना चाहिए।

पूर्ण किए गए कार्यों को उपयोगकर्त्ता विभागों को विलम्ब से हस्तान्तरण करने के कारण आधारभूत संरचना के उपयोग में विलम्ब

2.1.25 परियोजनाओं के ससमय उपयोग के लिए यह आवश्यक है कि योजनाओं के पूर्ण होने के बाद इसे तुरंत संबंधित विभागों को हस्तांतरित किया जाए।

पाँच पी0आई0यू0 के अभिलेखों के नमूना जाँच में पाया गया कि हस्तान्तरित किए गए 375 कार्यों में से 161 कार्यों[31] जिन पर कुल व्यय ₹ 257.90 करोड़ था, को उपयोगकर्त्ता विभागों को कार्य पूर्ण होनें के एक से 30 महीनों के विलम्ब से हस्तांतरित किया गया।

₹ 72.74 करोड़ के व्ययोपरान्त 42 कार्यों को तीन से 37 महीनों के विलंब के बाद भी हस्तांतरित नहीं किया गया था

इसके अतिरिक्त ₹ 72.74 करोड़ के व्यय से पूर्ण 42 कार्यों[32] (मार्च 2017) को तीन से 37 महीनों के बीत जाने के बावजूद भी हस्तांतरित नहीं किया गया था। विलम्ब का मुख्य कारण कम्पनी के अधिकारियों[33] द्वारा हस्तांतरण एवं उपयोगकर्त्ता विभागों द्वारा कब्जा ग्रहण करने के प्रयास में कमी थी। इसके परिणाम स्वरूप :

[31] खा0उ0सं0 विभाग का 84 गोदाम, स्वास्थ्य विभाग के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन के 40 कार्य, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के नौ पशु चिकित्सालय, समाज कल्याण विभाग के 50 शयनकक्ष वाले सात बाल सुधार गृह एवं 21 अन्य कार्य।

[32] खा0उ0सं0 विभाग बिहार सरकार के छः गोदाम, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन के छः कार्य, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के छः पशु चिकित्सालय, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार सरकार के छः प्रेस क्लबों एवं 18 अन्य कार्य।

[33] संबंधित पी0आई0यू0 के उप महाप्रबंधक।

- 1,14,500 एम0टी0 क्षमता के 90 गोदामों[34] के उपयोग न होने/विलम्बित उपयोग के कारण 2014–17 में बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्त्ति निगम लिमिटेड को किराए पर लिए गए गोदामों के लिए ₹ 76.95 लाख रूपये[35] के किराए का परिहार्य भुगतान करना पड़ा।
- 46 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों[36] के अनुपयोगी रहने/विलम्ब से उपयोग करने के कारण उन्नत स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ एक से 22 महीनों तक विलम्बित हुआ।
- दो पूर्ण आवासीय विद्यालयों का विलम्बित उपयोग हुआ एवं अन्य पूर्ण कार्यों के वांछित लाभ से एक से 37 महीनों तक वंचित होना पड़ा।

भ0नि0वि0 ने अपने जवाब (नवम्बर 2017) में कहा कि कब्जा ग्रहण करने का प्रस्ताव संबंधित प्राधिकारी को समय पर भेज दिया गया था लेकिन उन्होंने कब्जा ग्रहण करने में विलम्ब किया था। इस विषय पर उपयुक्त स्तर पर भी आवश्यक कार्रवाई की गई एवं सभी संबंधित विभागों से सम्पर्क किया गया है। फिर भी तथ्य यही है कि उपर्युक्त भवनों का उपयोग या तो नहीं किया गया था या विलम्ब से किया गया।

अनुशंसा

निर्मित किए संरचना के त्वरित उपयोग के लिए कम्पनी द्वारा समय पर हस्तांतरण एवं उपयोगकर्त्ता विभागों द्वारा समय पर कब्जा ग्रहण करना सुनिश्चित करना चाहिए।

किशनगंज में कृषि महाविद्यालय के निर्माण में संवेदक को अधिक भुगतान

2.1.26 किशनगंज में कृषि महाविद्यालय (प्राक्कलित राशि ₹ 593.10 करोड़) के निर्माण के लिए किए गए करार (दिसम्बर 2013) के उपवाक्य 12.2 के अनुसार बदले गए मद[37] के दर की गणना बाजार मूल्य के आधार पर की जाएगी।

कंपनी द्वारा बदले गए मद के दर निर्धारण हेतु, समझौते में दिए गए प्रावधानों के अनुपालन नहीं करने के कारण, संवेदक को ₹ 3.39 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया

लेखापरीक्षा ने पाया कि कार्य के कार्यान्वयन के समय संवेदक ने मई 2017 तक 51,119.29 घन मीटर (घन मी0) के नियत कार्य को मिट्टी के ईंट के बदले फ्लाई ऐश ईंट से किया। बिहार एस0ओ0आर0 के आधार पर फ्लाई ऐश ईंट से किए गए ईंट कार्य के स्थानीय बाजार दर से मूल्य निकालने के बदले कम्पनी ने संवेदक को दिल्ली एस0ओ0आर0 के आधार पर भुगतान किया जो बिहार एस0ओ0आर0 से ज्यादा था। इसके परिणामस्वरूप, कम्पनी के भुगतान की जाँच एवं अनुमोदन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों[38] द्वारा संवेदक को ₹ 3.39 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान किया गया।

लेखापरीक्षा आपत्ति का जवाब देते हुए भ0नि0वि0 ने कहा (नवम्बर 2017) कि बिहार एस0ओ0आर0 2013 में फ्लाई ऐश ईंट के कार्य का दर उपलब्ध नहीं था। जवाब भ्रामक एवं गलत है क्योंकि इन सभी मदों का दर बिहार एस0ओ0आर0 में उपलब्ध है एवं दिल्ली एस0ओ0आर0 के बदले इसे अंगीकृत किया जाना चाहिए था।

[34] 84 हस्तान्तरित एवं छः अहस्तांतरित।

[35] वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 के लिए औसत दर क्रमशः ₹ 14.02 एवं ₹ 15.85 प्रति एम0टी0 प्रति महीना के आधार पर आकलित।

[36] 40 हस्तान्तरित एवं छः अहस्तांतरित।

[37] कुछ मदों के स्थानापन्न के लिए परिमाण विपत्र में सम्मिलित मदें।

[38] पी0आई0यू0 पूर्णियाँ के उप म0प्र0, स0म0प्र0 एवं कनीय अभि0।

अनुशंसा

कम्पनी को बिहार एस0ओ0आर0 के अनुसार श्रम एवं सामग्री के उपयुक्त दर को अंगीकृत करना चाहिए।

गिट्टी के ढुलाई में अधिक भुगतान

कंपनी ने गिट्टी की ढुलाई में ₹ 5.37 करोड़ का अधिक भुगतान किया

2.1.27 पी0आई0यू0 पूर्णिया एवं मुंगेर[39] द्वारा क्रियान्वित दो एकरारनामों में लेखापरीक्षा ने प्रेक्षित किया कि भुगतान[40] के अनुमोदन एवं जाँच के लिए कम्पनी के संबंधित उत्तरदाई अधिकारियों ने संवेदकों को वास्तविक दूरी (संवेदको द्वारा समर्पित एम0 एण्ड एन0 फॉर्म[41] से व्यक्त) के बदले समझौते में वर्णित लम्बी दूरी (कार्य के लिए आवश्यक गिट्टी के स्रोत से) के दर से अनियमित भुगतान किया। इसके फलस्वरूप गिट्टी के ढुलाई में ₹ 5.37 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया जो तालिका सं0 – 2.1.6 में दर्शाया गया है :

तालिका सं0 : 2.1.6 गिट्टी के ढुलाई पर अत्यधिक भुगतान की विवरणी

कार्य का नाम	प्रयुक्त मात्रा घन मी0 में	परिमाण विपत्र में दूरी (कि0मी0)	भुगतान दर/प्रति घन मी0	वास्तविक दूरी (कि0मी0)	वास्तविक दूरी के अनुसार दर/घन मी0 (₹)	दर में अन्तर/घन मी0 (₹)	अधिक भुगतान (₹ करोड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)-(6)	(8)
कृषि महाविद्यालय, किशनगंज	35,621.50	207	2,451.15	103	1,291.51	1,159.64	**4.96**[42]
प्री–फेब्रिकेटेड गोदाम, मुंगेर	1,743.20	264	3,309.63	170	2,185.84	1,123.79	**0.20**
	1,023.24			90	1,229.17	2,080.46	**0.21**
कुल							**5.37**

लेखा परीक्षा आपत्ति को स्वीकारते हुए भ0नि0वि0 ने कहा (नवम्बर 2017) कि कार्य के अगले चालू विपत्रों में से अधिक भुगतान की राशि समायोजित कर ली जाएगी।

अनुशंसा

कम्पनी को अतिरिक्त भुगतान से बचने के लिए प्राक्कलन में ढुलाई के भुगतान के लिए सम्भावित न्यूनतम दूरी का आकलन करना चाहिए।

ढुलाई पर अनियमित भुगतान

2.1.28 एकरारनामें के अनुसार ऐसे संवेदकों को, जो कम्पनी के कार्यों को क्रियान्वित करते है, कच्चा माल जैसे स्टोन चिप्स एवं खुरदरा बालू, का क्रय कम्पनी द्वारा निर्दिष्ट खादानों से करना आवश्यक है, जिसके लिए उन्हें ढुलाई मूल्य का भुगतान किया जाएगा। यह संवेदकों द्वारा समर्पित एम0 एण्ड एन0 फार्म से सत्यापित किया जाता है।

[39] कृषि महाविद्यालय, किशनगंज एवं मुंगेर जिला में 5,000 एम0टी0 के प्री–फेब्रिकेटेड गोदाम का निर्माण कार्य।

[40] संबंधित पीआई0यू0 के उप म0प्र0, स0म0प्र0, कनीय अभि0 एवं लेखापाल।

[41] फॉर्म एम लघु खनिज का अधिकृत खादान/विक्रेता से उठाव का संवेदक का प्रतिज्ञा पत्र है एवं फार्म एन0 में अधिकृत खदान/विक्रेता द्वारा निर्गत की गई सामग्री का विवरण रहता है।

[42] अत्यधिक भुगतान की गणना संविदा राशि पर (बी0ओ0क्यू0 से 20 % अधिक)

ढुलाई पर ₹ 50.43 करोड़ का भुगतान अनियमित रूप से बिना वास्तविक दूरी, जहाँ से सामग्रियों को लाया गया है, के सत्यापन के किया गया

358 मामलों के अभिलेखों के लेखा परीक्षा जाँच में पाया गया कि संवेदकों ने 1,55,090 घन मी0 गिट्टी एवं 1,26,654 घन मी0 खुरदरा बालू के ढुलाई के लिए एम0 एण्ड एन0 फॉर्म कम्पनी को समर्पित नहीं किया था। इसके बावजूद कम्पनी के संबंधित अधिकरियों[43] ने एम0 एण्ड एन0 फॉर्म सुनिश्चित किए बिना ही संवेदकों को ₹ 50.43 करोड़ (स्टोन चिप्स पर ₹ 31.46 करोड़ एवं खुरदरा बालू पर ₹ 18.97 करोड़) के भुगतान की प्रक्रिया चलाई एवं अनुमोदन किया।

लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकारते हुए भ0नि0वि0 (नवम्बर 2017) ने कहा कि सभी पी0आई0यू0 को निर्देर्शित किया गया है कि संवेदकों को फॉर्म एम0 एण्ड एन0 के सत्यापन के बाद ही भुगतान करें।

एकरारनामें के शर्त्त का उल्लंघन करते हुए कार्योत्तर समय विस्तार प्रदान करना एवं विलम्ब क्षतिपूर्ति को लौटाया जाना

2.1.29 कम्पनी द्वारा किए गए समझौतों के मानक उप वाक्यों के अनुसार परियोजनाओं में विलम्ब हेतु उत्तरदाई घटना घटित होने की तिथि से 14 दिनों के अन्दर संवेदक द्वारा समय विस्तार हेतु आवेदन करना चाहिए। नमूना जाँच के लिए चयनित पाँच पी0 आई0 यू0 के अभिलेखों के जाँच में पाया गया कि 177 विलंबित कार्यों में से 46 कार्यों में संवेदक ने कार्य पूर्ण होने के एक से 26 महीने बाद समय विस्तार माँगा जिसका मानक उप वाक्य का उल्लंघन करते हुए अनुमोदन किया गया। इसके फलस्वरूप कार्यान्वयन में विलम्ब के लिए कम्पनी द्वारा कटौती की गई विलम्ब क्षतिपूर्ति की ₹ 3.48 करोड़ की राशि का अनियमित रूप से भुगतान किया गया।

लेखापरीक्षा आपत्ति का जवाब देते हुए भ0नि0वि0 ने कहा (नवम्बर 2017) कि एकरारनामा प्रभारी अभियंता को संवेदक द्वारा समय विस्तार के लिए आवेदन किए बिना भी उचित एवं तार्किक समय विस्तार की अनुमति देता है। चूँकि परियोजनाएँ पहले ही पूर्ण हो चुकी है एवं संबंधित विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया है इसलिए विलम्ब क्षतिपूर्त्ति की काटी गई राशि को विमुक्त किया गया।

भ0नि0वि0 का जवाब स्वीकार्य नहीं है। स्वतः समय विस्तार दिया जाने वाला उप वाक्य तभी लागू होता है जब विलम्ब के लिए उत्तरदायी संवेदक नहीं होता है। तथापि लेखापरीक्षा द्वारा आपत्ति की गई सभी कार्यों में विलम्ब के लिए प्राथमिक रूप से संवेदक उत्तरदायी था। परिणामस्वरूप निर्दिष्ट समय के बाद समय विस्तार का अनुमोदन एवं ₹ 3.48 करोड़ के विलम्ब क्षतिपूर्त्ति की विमुक्ति अनधिकृत थी, जिससे संवेदक को अनुचित लाभ का विस्तार हुआ।

अनुशंसा

कम्पनी को एकरारनामें के अनुसार जब जरूरी हो तभी समय विस्तार प्रदान करना सुनिश्चित करना चाहिए।

विचलनों का बिना सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अनियमित भुगतान

2.1.30 बिहार लोक निर्माण विभाग कोड यह निर्धारित करता है कि परिणाम विपत्र की मदों में (कार्यान्वयन के समय कार्यान्वित मात्रा से प्राक्कलन की तुलना करने पर) 20 प्रतिशत से अधिक के विचलनों को उपयोगकर्त्ता विभाग द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा ने प्रेक्षित किया कि दो कार्यों,[44] जिनमें विचलन 25 प्रतिशत तथा प्राक्कलित मूल्य के 91 गुणा से अधिक था, का सम्बन्धित उप म0प्र0 द्वारा विचलनों को

[43] संबंधित पी0आई0यू0 के उप म0प्र0, स0म0प्र0, कनीय अभि0 एवं लेखापाल।
[44] गोदामों का निर्माण (गया एवं दरभंगा) एवं डा0 कलाम कृषि महाविद्यालय (किशनगंज) का निर्माण।

उपयोगकर्त्ता विभाग को प्रस्तुत नहीं किया गया, एवं उसके स्थान पर ₹ 63.10 करोड़ का (मई 2017 तक) अत्यधिक भुगतान संवेदक को किया गया।

लेखापरीक्षा आपत्ति का जवाब देते हुए भ0नि0वि0 ने कहा (नवम्बर 2017) कि विचलन परामर्शी द्वारा अनुशंसित की गई थी एवं अब सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित करा ली जाएगी। जवाब स्वीकार्य नहीं है। परामर्शी की अनुशंसा कम्पनी पर बाध्यकारी नहीं है और अतिरिक्त ₹ 63.10 करोड़ के भुगतान से पहले जाँच कर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन लेना आवश्यक था, जो इस मामले में नहीं हुआ।

अनुशंसा

कम्पनी को कार्य में विचलन की दशा में भुगतान करने से पहले हमेशा उपयोगकर्त्ता विभाग से अनुमोदन प्राप्त कर लेना चाहिए।

लेखापरीक्षा का प्रभाव

लेखापरीक्षा आपत्तियों के आधार पर कंपनी द्वारा उठाए गए कदम

- कम्पनी, उपयोगकर्त्ता विभाग द्वारा विलंब से विमुक्त किए गए निधि के कारण स्वयं के निधि के परियोजना कार्यों में उपयोग के मामले में उपयोगकर्त्ता विभाग से ब्याज का दावा करने के लिए, सहमत हुआ है। यह उपयोगकर्त्ता विभाग द्वारा निधि को विलम्ब से प्रदान करने को हतोत्साहित करने वाला कदम होगा।
- कम्पनी ने क्रियान्वयन के पूर्व के विविध गतिविधियों के समय सीमा के निर्धारण के लिए भवन निर्माण विभाग, बिहार सरकार के दिशा निर्देशों को अंगीकृत किया है।
- कम्पनी ने बाधा मुक्त भूमि मिलने के बाद निविदा आमंत्रण करने का संकल्प (नवम्बर 2017) लिया है।
- कम्पनी ने सभी पी0आई0यू0 को निर्देशित किया है कि एम0 एण्ड एन0 फॉर्म के सत्यापन के बाद ही संवेदकों के विपत्रों का भुगतान किया जाए साथ ही कम्पनी लेखापरीक्षा द्वारा पाए गए अधिक भुगतान के वसूली के लिए भी सहमत हुआ है।

निष्कर्ष

- **पूर्ण कालिक प्रबंध निदेशक की अनुपस्थिति ने कम्पनी के निष्पादन को प्रभावित किया।**
- **कम्पनी के कार्य स्थल पर अनुश्रवण की प्रक्रिया में कमी थी। गुणवत्ता नियोजन प्रणाली, अदक्ष प्रयोगशाला तकनीशियनों की अनुपस्थिति के कारण अकुशल थी।**
- **वित्तीय प्रबंधन त्रुटिपूर्ण था क्योंकि कम्पनी द्वारा स्वयं के निधि के परियोजनाओं में उपयोग किए जाने पर उपयोगकर्त्ता विभाग से ब्याज का**

दावा नहीं किया गया। इसके अलावा अपने बैंक शेषों का विवेकपूर्वक विनियोग करने में असफल रहने के कारण कम्पनी को ₹ 6.11 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

- योजना प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण थी क्योंकि क्रियान्वयन के पूर्व के गतिविधियों के लिए समय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया था, डी0पी0आर0 एवं प्राक्कलन इत्यादि के निर्माण में कमियाँ पायी गयी थी। इसके परिणामस्वरूप कार्य के प्रारंभ होने में विलम्ब, बढ़ा हुआ प्राक्कलन, इत्यादि हुए। निविदा प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी क्योंकि निविदाकर्त्ता को अनुचित लाभ प्रदान किया गया, भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना कार्य का प्रारंभ एवं अनियमित कार्य का आवंटन पाया गया।

- परियोजनाओं का कार्यान्वयन संतोषप्रद नहीं था क्योंकि दो या उससे अधिक वर्षों के समयावृद्धि की घटनाएँ, समझौतों में विलम्ब, अनियमित भुगतान, परिहार्य व्यय/अधिक भुगतान के साथ नियमों के पालन नहीं किया जाना, देखा गया। इसके अतिरिक्त संवेदकों को अनियमित समय विस्तार की घटनाएँ भी पाई गई। पूर्ण योजनाओं के हस्तांतरण में असामान्य विलम्ब के परिणामस्वरूप इसका उपयोग नहीं किया जा रहा था।

2.2 बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा शैक्षणिक आधारभूत संरचना के विकास पर लेखापरीक्षा

परिचय

2.2.1 बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (कम्पनी) का समामेलन जुलाई 2010 में शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कम्पनी के रूप में हुआ था। कम्पनी शिक्षा एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभागों हेतु बिहार में सभी प्रकार की शैक्षणिक आधारभूत संरचना के निर्माण एवं संधारण में कार्यरत है। कम्पनी सभी परियोजनाओं का निष्पादन निजी संवेदकों द्वारा कराती है एवं अपनी सेवाएँ प्रदान करने हेतु सेन्टेज[1] शुल्क अधिभारित करती है।

लेखापरीक्षा ने नमूना जाँच द्वारा लेखापरीक्षा अवधि में कार्यान्वित 60 परियोजनाओं में से 15 परियोजनाओं (25 प्रतिशत) की संविक्षा की। इन 15 परियोजनाओं ने 3,534 कार्यों (60 परियोजनाओं द्वारा निष्पादन की गई 5,082 कार्यों का 70 प्रतिशत) का निष्पादन किया। लेखापरीक्षा ने इन 15 परियोजनाओं में से ₹ 1,061.72 करोड़ (60 परियोजनाओं पर व्यय की गई ₹ 3,617.06 करोड़ की राशि का 29 प्रतिशत) मूल्य की 1,413 कार्यों (3,534 कार्यों का 40 प्रतिशत) का नमूना जाँच किया।

कुल 12 लेखापरीक्षा प्रेक्षण है और इनमें से अधिकतर उस प्रकृति की है जो कम्पनी द्वारा निष्पादित अन्य कार्यों, जो नमूना जाँच में सम्मिलित नहीं था, में समान त्रुटियों/चूकों को प्रतिबिंबित कर सकती है। अतएव आवश्यकता एवं नियमों के अनुसार परियोजनाओं का निष्पादन सुनिश्चित करने हेतु कम्पनी के लिए यह श्रेयस्कर होगा कि वह स्वयं द्वारा निष्पादित की गई सभी कार्यों की आन्तरिक जाँच करा लें।

कम्पनी का प्रबन्धन निदेशक मण्डल द्वारा किया जाता है जिसमें प्रबन्ध निदेशक के अलावा नौ अन्य निदेशक है। विकास आयुक्त, बिहार सरकार निदेशक मण्डल के पदेन अध्यक्ष है। प्रबन्ध निदेशक कम्पनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी है एवं कम्पनी के उद्देश्यों के कार्यान्वयन तथा कम्पनी के दिन–प्रतिदिन व्यवसाय हेतु उत्तरदायी है।

कम्पनी का कार्यकलाप तीन स्कंधों जैसे तकनीकी, प्रशासन एवं वित्त में विभक्त है। कम्पनी का संगठनात्मक आरेखण निम्नतः दर्शित है :

[1] जनवरी 2016 तक सेन्टेज शुल्क परियोजना लागत की नौ प्रतिशत की दर पर निर्धारित था। तथापि, सेन्टेज शुल्क की दर का पुनर्रीक्षण (23 जनवरी 2016) निम्नतः हुआ :

- (क) ₹ 10 करोड़ तक की परियोजना लागत हेतु = सात प्रतिशत
- (ख) ₹ 10 करोड़ से अधिक एवं ₹ 100 करोड़ तक की परियोजना लागत हेतु = (क) + ₹ 10 करोड़ से अधिक की राशि पर पाँच प्रतिशत की दर से।
- (ग) ₹ 100 करोड़ से अधिक की परियोजना लागत हेतु = (ख) + ₹ 100 करोड़ से अधिक राशि पर एक प्रतिशत की दर से।



कम्पनी का लेखापरीक्षा यह मूल्यांकन एवं आँकलन करने हेतु किया गया था कि आधारभूत संरचना परियोजनाओं का निष्पादन, उचित नियोजन एवं वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के अनुरूप, मितव्ययिता पूर्ण, दक्षतापूर्वक एवं प्रभावी तरीके से किया गया था। कम्पनी के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन बिहार लोक निर्माण विभाग (बि०लो०नि०वि०) संहिता के प्रावधानों, मानक बोली दस्तावेजों (एस०बी०डी०) एवं अन्य प्रयोज्य अधिनियमों के आधार पर हुआ था।

लेखापरीक्षा क्षेत्र एवं कार्यपद्धति

2.2.2 लेखापरीक्षा ने स्तरीयकृत यादृच्छिक नमूना पद्धति बिना प्रतिस्थापन[2], प्रणाली का प्रयोग कर कम्पनी द्वारा 2012–17 के दौरान निष्पादित 60 परियोजनाओं/योजनाओं में से, 15[3] परियोजनाओं/योजनाओं, जिसका कुल व्यय ₹ 2,654.30 करोड़ (अर्थात् ₹ 3,617.06 करोड के कुल व्यय का 73.38 प्रतिशत) था, के अभिलेखों की जाँच की।

लेखापरीक्षा कार्यपद्धति में कम्पनी के अभिलेखों की जाँच परीक्षा, लेखा परीक्षा टिप्पणियाँ/पृच्छा का निर्गमण एवं अपूर्ण/विलम्बित परियोजनाओं का संयुक्त भौतिक सत्यापन, इत्यादि शामिल था। प्रबन्धन/शिक्षा विभाग का मंतव्य भी प्रवेश एवं निकास सम्मेलन में प्राप्त किया गया था।

अभिस्वीकृति

लेखापरीक्षा के दौरान कम्पनी एवं इनके अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई सहयोग व सहायता हेतु लेखापरीक्षा अभिस्वीकृति प्रकट करता है।

लेखापरीक्षा जाँच–परिणाम

2.2.3 लेखापरीक्षा जाँच–परिणाम की परिचर्चा अनुवर्ती कंडिकाओं में की गई है :

[2] स्तरीकृत यादृच्छिक नमूना पद्धति नमूनाकरण की एक विधि को इगित करता है जिसमें नमूना आबादी विशिष्ट मानदण्डों के अनुसार विभिन्न स्तरों अथवा समूहों में विभाजित की जाती है एवं प्रतिनिधित्व नमूनों को ज्ञात करने हेतु नमूनों का चयन बिना प्रतिस्थापन यादृच्छिक आधार पर किया जाता है।

[3] (1) उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (एस०एस०एस०) योजना, (2) मॉडल स्कूल (एम०एस०) योजना, (3) उत्क्रमित मध्य विद्यालय (यू०एस०एस०) योजना, (4) बालिका छात्रावास (जी०एच०) योजना, (5) उच्च माध्यमिक विद्यालय (एच०एस०एस०) योजना, (6) चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान परियोजना (सी०आई०एम०पी०) (7) आई०सी०टी०@ विद्यालय योजना, (8) एस०एस०एस० अल्पसंख्यक (एस०एस०एस०एम०) योजना, (9) आवासीय विद्यालय, थारहुट, (10) आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, (11) सैनिक स्कूल, नालन्दा (12) सैनिक स्कूल, गोपालगंज, (13) बाल विकास परियोजना अधिकारी (सी०डी०पी०ओ०), (14) एल०एन०एम० महाविद्यालय बालिका छात्रावास, सभा भवन एवं आन्तरिक चित्रकारी एवं (15) राष्ट्रीय शिक्षा अभियान कार्यालय।

मानव संसाधन प्रबंधन

2.2.4 कम्पनी के पिछले चार वर्षों की मानवशक्ति की संक्षिप्त स्थिति निम्नत: दर्शित है :

तालिका सं0 : 2.2.1 मानवशक्ति स्थिति

विवरण	स्वीकृत मानवशक्ति[4]	मार्च 2014	मार्च 2015	मार्च 2016	मार्च 2017
प्रबन्ध निदेशक (एम0डी0)	1	1	1	1	1
महाप्रबन्धक (जी0एम0) (प्रशासन)	1	0	0	0	0
महाप्रबन्धक (योजना कार्यान्वयन)	1	1	1	1	1
महाप्रबन्धक (वित्त)	1	0	1	0	0
मुख्य अभियंता	1	0	1	1	1
मुख्य परामर्शी (तकनीकी)	1	0	0	1	1
अधीक्षण अभियंता	2	0	2	1	1
कार्यपालक अभियंता (असैनिक)	14	11	13	13	13
सहायक अभियंता (असैनिक)	35	32	30	32	34
कनीय अभियंता (असैनिक)	160	134	140	151	146
अन्य कर्मचारी	80	41	44	41	35
कुल	**297**	**220**	**233**	**242**	**233**
मानवशक्ति की कमी (प्रतिशत में)		**25.93**	**21.55**	**18.52**	**21.55**

2013–17 अवधि के दौरान कम्पनी में मानवशक्ति की कमी का परास 18.52 प्रतिशत से 25. 93 प्रतिशत के मध्य था

महाप्रबंधक (प्रशासन) एवं महाप्रबंधक (वित्त) जैसे मुख्य पदों में रिक्तियाँ परियोजनाओं के स्तरहीन अनुश्रवण में फलित हुआ एवं प्रतिवेदन में विवरणित वित्तीय अनियमितताओं में परिलक्षित हुआ।

लेखापरीक्षा ने प्रेक्षण किया कि प्रबन्ध निदेशक एवं महाप्रबंधक (प्रशासन)[5] ने एक ऐसे सहायक अभियंता की नियुक्ति (नवम्बर 2013) की थी जो निर्दिष्ट अहर्ता के मानदण्डों को पूर्ण नहीं करता था। लेखापरीक्षा प्रेक्षण का उत्तर देते हुए शिक्षा विभाग ने कहा (नवम्बर 2017) कि इस सम्बन्ध में यथोचित कार्रवाई की जाएगी।

लेखापरीक्षा द्वारा बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड की लेखापरीक्षा में यथा प्रेक्षणानुसार कम्पनी को कार्यपालक अभियन्ता, सहायक अभियन्ता एवं कनीय अभियन्ता जैसे संवर्ग को सतत् जारी रखने हेतु आकलन करने की आवश्यकता है, विशेषकर जब कम्पनी स्वयं कोई कार्य का निष्पादन नहीं करती है और कम्पनी का मुख्य कार्य संविदा प्रबन्धन है।

अनुशंसा

1. **कम्पनी चूँकि स्वयं किसी कार्य का निष्पादन नहीं करती है, इस आलोक में राज्य सरकार एवं कम्पनी को वर्त्तमान मानव संसाधन व्यवस्था को सतत् लागू करने की आवश्यकता की समीक्षा करने की आवश्यकता है।**
2. **राज्य सरकार को सुधारात्मक कार्रवाई हेतु सभी अनियमित नियुक्तियों की समीक्षा करनी चाहिए।**

[4] 297 की स्वीकृत मानवशक्ति के अतिरिक्त बिहार सरकार संयुक्त सचिव अथवा समान आला स्तर के अधिकारी की नियुक्ति मुख्य निगरानी अधिकारी के रूप मे करती है।

[5] महाप्रबन्धक (प्रशासन) के कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन महाप्रबंधक (योजना कार्यान्वयन) द्वारा किया जा रहा था।

वित्तीय प्रबंधन

2.2.5 मार्च 2017 में समाप्त हुए पिछले पाँच वर्षों के कम्पनी की वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणाम नीचे दिये जा रहे हैं :

तालिका सं0 : 2.2.2 वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणाम

(₹करोड़ में)

वित्तीय स्थिति					
विवरण	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17
प्रदत्त पूँजी	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
संचय एवं आधिक्य	39.81	68.66	111.26	181.60	204.55
गैर–चालू दायित्वें[6]	0.00	2,013.78	2,766.97	3,109.60	3,840.52
चालू दायित्वें एवं प्रावधानें	1,235.64	58.82	154.56	299.93	360.57
कुल	**1,295.45**	**2,161.26**	**3,052.79**	**3,611.13**	**4,425.64**
शुद्ध अचल सम्पत्तियाँ	0.12	0.29	0.36	0.48	0.33
दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम	0.00	0.00	2.51	1.84	1.48
अन्य गैर–चालू सम्पत्तियाँ	11.67	22.30	48.91	76.12	88.01
चालू सम्पत्तियाँ[7]	1,283.66	2,138.67	3,001.01	3,532.69	4,335.82
कुल	**1,295.45**	**2,161.26**	**3,052.79**	**3,611.13**	**4,425.64**
कार्यकारी परिणाम					
कुल आय	12.14	40.32	90.20	102.56	59.03
कुल व्यय	6.90	11.47	17.57	32.05	36.08
असाधारण मदें	0.00	0.00	26.50	0.00	0.00
कर पूर्व लाभ/ (हानि)	5.24	28.85	46.13	70.51	22.96
घटे : पूर्वावधि समायोजन एवं कर	–	–	–	–	–
शुद्ध लाभ/(हानि) कर के बाद	5.24	28.85	46.13	70.51	22.96
अर्जित सेन्टेज शुल्क	9.72	35.35	83.34	98.95	52.50
सेन्टेज शुल्क, कुल आय के प्रतिशत में	80.06	87.67	92.39	96.48	88.94
निवेश पर प्रतिफल (प्रतिशत में)[8]	8.76	32.54	35.14	34.98	10.22

2016–17 में आय एवं शुद्ध लाभ में घटोत्तरी मुख्यतः कार्यों का धीमा निष्पादन एवं जनवरी 2016 के प्रभाव से सेन्टेज की दर में कमी जैसे कारणों से था।

निधियों का उपयोग

2.2.6 2012–13 से 2016–17 की अवधि के दौरान उपयोगकर्त्ता विभागों से प्राप्त निधियाँ एवं उनके उपयोग की विवरणी निम्न तालिका में दी गई है :

[6] गैर–चालू दायित्व मद में उपयोगकर्त्ता विभाग से प्राप्त निधि एवं उस पर अर्जित ब्याज निधि सहित, अग्रिम धन जमा एवं जब्त की गई, निष्पादन बैंक गारण्टी यदि कोई हो, शामिल है।

[7] चालू सम्पत्तियों मद में प्राप्त की गई निधि के विरूद्ध निर्माण कार्य की कार्य–प्रगति शामिल है।

[8] अंश पर प्रतिफल एवं नियोजित पूँजी पर प्रतिफल, निवेश पर प्रतिफल के समान थी चूँकि दीर्घ–कालिक ऋण, संचित हानियाँ एवं स्थगित राजस्व व्यय की कोई राशि मौजूद नही थी। अग्रेत्तर कर पूर्व एवं करोपरान्त लाभ भी बराबर था।

तालिका सं0 : 2.2.3 निधियों की प्राप्ति एवं उपयोग

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त निधि	कुल उपलब्ध निधि	उपयोग की गई निधि	वर्ष के दौरान प्रत्यर्पित की गई राशि	अन्त शेष	उपयोगिता की प्रतिशतता (%)
(1)	(2)	(3)	(4) =(2+3)	(5)	(6)	(7) =(4–5–6)	(8) =(5×100)/4
2012–13	503.87	818.62	1,322.49	117.99	6.13	1,198.37	8.92
2013–14	1,198.37	611.08	1,809.45	426.35	2.79	1,380.31	23.56
2014–15	1,380.31	682.74	2,063.05	1,009.32	9.93	1,043.80	48.92
2015–16	1,043.80	602.34	1,646.14	1,259.51	55.36	331.27	76.51
2016–17	331.27	716.06	1,047.33	802.46	5.65	239.22	76.62
कुल		**3,430.84**		**3,615.63**	**79.86**		

कम्पनी ने ₹ 79.86 करोड़ की राशि प्रशासी विभाग (शिक्षा विभाग) को प्रत्यर्पित कर दिया जिसमें से ₹ 55.36 करोड़ की राशि कम्पनी द्वारा विभागीय आदेश से राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजना के अन्तर्गत शौचालय एवं विद्यालयों के उन्नयन कार्य में उनके द्वारा प्रयोग हेतु प्रत्यर्पित किया गया था।

अन्य प्रेक्षण

(1) कम्पनी ने ₹ 232.56 करोड़ की स्वयं की निधियों का उपयोग विभिन्न योजनाओं हेतु किया जिसमें मात्र ₹ 150.47 करोड़ की राशि का समायोजन उपयोगकर्त्ता विभागों से किया गया था एवं शेष ₹ 82.09 करोड़ की राशि 13 से 650 दिनों[9] (मार्च 2017) की परास अवधि से असमायोजित पड़ी हुई थी। इसके फलस्वरूप, कम्पनी को ₹ 6.97[10] करोड़ की ब्याज से आय की हानि वहन करना पड़ा।

ऑटो स्वीप सुविधा से जुड़ी बचत बैंक खाताओं में आधिक्य निधियों को रखने में विफलता के फलस्वरूप ₹ 62.30 करोड़ की ब्याज की हानि हुई

(2) 2012–17 की अवधि के दौरान कम्पनी ने ₹ 293.84 करोड़ से ₹ 866.32 करोड़ की आधिक्य परियोजना निधि बिना ऑटो स्वीप सुविधा वाली 60 बैंक खाताओं में जमा रखा जिसके फलस्वरूप परियोजना निधियों को ₹ 62.30 करोड़[11] राशि की हानि वहन करनी पड़ी।

(3) कम्पनी के वित्त विभाग के महाप्रबन्धक (वित्त) सह वरीय लेखा अधिकारी ने 11 मामलों में पाँच अभिकरणों[12] को ₹ 7.02 करोड़ का मोबिलाइजेशन अग्रिम प्रदान किया जिनका अनुरोध कार्यारम्भ की तिथि से 34 से 209 दिनों के व्यतीत होने के उपरांत किया गया था जो एस0बी0डी0 के प्रावधान, संवेदक द्वारा कार्यारम्भ के 30 दिन के अन्तर्गत संवेदक के अनुरोध पर मोबिलाईजेशन अग्रिम प्रदान करने, के विरूद्ध था।

(4) कम्पनी के महाप्रबन्धक (वित्त) सह वरीय लेखा अधिकारी निर्धारित समयावधि, वस्तुतः जिस महीने का सेवा कर देय था, के अगले महीने में कर जमा सुनिश्चित करने में विफल रहे। कम्पनी ने अप्रैल 2015 से सितम्बर 2016 की अवधि के दौरान संवेदकों

[9] 2015–16 में ₹ 78.50 करोड़ की राशि 13 से 285 दिनों तक असमायोजित रही जो निरन्तरतः (कुछ व्ययों सहित) बढ़कर ₹ 82.09 करोड़ तक 2016–17 में 60 से 365 दिनों तक असमायोजित रही।

[10] ऑटो स्वीप सुविधा से जुड़े बचत बैंक खाते की ब्याज दर के आधार पर गणना की गई है।

[11] उस अवधि के दौरान जब आधिक्य निधि उपलब्ध थी, हेतु अन्तर दर (6.5–4) 2.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष पर गणना की गई।

[12] मे0 डेल्को इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टस लिमिटेड, मे0 जिन्दल मेकटेक प्राईवेट लिमिटेड, मे0 लॉयड इन्सुलेशन्स (इंडिया) लिमिटेड, मे0 अनोज इन्टरप्राईजेज एवं मे0 दिलीप कुमार शर्मा।

सेवाकर के भुगतान में विलम्ब के फलस्वरूप ₹ एक करोड़ के अनुचित दायित्व का सृजन हुआ

से ₹ 7.36 करोड़ की राशि का सेवा कर संग्रहण किया जिसे निर्धारित भुगतान की तिथि से एक से 18 महीनों के विलम्ब से जमा (नवम्बर 2016) किया गया। सेवा कर के भुगतान में विलम्ब के फलस्वरूप कम्पनी को, यदि सेवा कर विभाग दण्ड भारित करती है, कथित अवधि हेतु भुगतेय ब्याज के मद में एक करोड़ रुपये की राशि की अनुचित देयता का वहन करना पड़ सकता है।

शिक्षा विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकारते हुए कहा (नवम्बर 2017) कि कम्पनी दिसम्बर 2016 से नियमित रूप में सेवा कर का भुगतान कर रही है।

अनुशंसा

कार्यों के त्वरित कार्यान्वयन, ऑटो स्वीप सुविधाओं का इस्तेमाल (बचत बैंक खातों में जमा करने की जगह) और करों का समय पर भुगतान कर कम्पनी को अपने निधि प्रबंधन में तत्परता दिखानी चाहिए।

आन्तरिक निरीक्षण प्रणाली

गुणवत्ता नियंत्रण

2.2.7 कम्पनी की आन्तरिक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला में स्टील, मोर्टार एवं सीमेंट की रसायनिक विश्लेषण की जाँच हेतु कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है तथापि कम्पनी द्वारा निष्पादित की गई विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण की गुणवत्ता निर्धारण हेतु यह अति आवश्यक था।

लेखापरीक्षा प्रेक्षणों का जवाब देते हुए, शिक्षा विभाग ने कहा (नवम्बर 2017) कि प्रतिष्ठित उत्पादक से प्राप्त स्टील एवं आई0एस0आई0 मानक वाले सीमेन्ट का उपयोग निर्माण कार्य में हुआ था। जवाब स्वीकार्य नहीं है चूँकि ऐसा कोई अभिलेख मौजूद नहीं है जो यह इंगित कर सके कि कम्पनी के अधिकारीगण ने भौतिक सत्यापन अथवा निर्माण कार्य में प्रयुक्त सामग्रियों के विपत्रों की संवीक्षा के द्वारा यह सुनिश्चित किया कि केवल निर्दिष्ट विशिष्टीकरण युक्त सामग्रियों का प्रयोग ही किया गया था।

अनुशंसा

अपनी निर्माण परियोजनाओं में निर्दिष्ट गुणवत्ता युक्त सामग्रियों के प्रयोग सुनिश्चित करने हेतु कम्पनी को एक प्रणाली विकसित करनी चाहिए।

आन्तरिक लेखापरीक्षा

2.2.8 कम्पनी के पास अपना कोई आन्तरिक लेखापरीक्षा स्कंध नहीं है। कंडिका 2.2.17 एवं कंडिका 2.2.20 में लेखापरीक्षा जाँच–परिणाम पर की गई परिचर्चा से यह इंगित होता है कि कम्पनी की आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण सुधार की आवश्यकता है। प्रशासी विभाग भी अपने कर्तव्यों के निर्वाहन में विफल रहा जैसा कि इस तथ्य से विदित होता है कि मार्च 2014 से मार्च 2017 की अवधि के दौरान कम्पनी द्वारा समर्पित 34 मासिक प्रगति प्रतिवेदनों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

शिक्षा विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार (नवम्बर 2017) किया।

अनुशंसा

ससमय त्रुटियों की पहचान एवं सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु एक स्वतंत्र आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध की स्थापना शीघ्र किया जाना चाहिए।

परियोजना प्रबंधन

2.2.9 योजना

लेखापरीक्षा में यथा प्रेक्षित प्राक्कलन तैयार करने में दोषपूर्ण नियोजन के दृष्टांतों पर परिचर्चा नीचे की गई है :

कार्य–स्थल से संबंधित स्पष्ट स्वामित्व प्राप्त किए बिना निविदा का अन्तिमीकरण

2.2.10 बि0लो0नि0वि0 कोड यह निर्दिष्ट करता है कि कार्य संबंधी विस्तृत डिजाईन एवं प्राक्कलन के अन्तिमीकरण से पूर्व स्थानीय प्रशासन से ससमय अनापत्ति प्रमाण–पत्र (एन0ओ0सी0) प्राप्त कर प्रत्येक भवन हेतु कार्य स्थल सुनिश्चित करना आवश्यक है।

विवाद रहित भूमि की अनुपलब्धता के कारण ₹ 249.68 करोड़ राशि के 240 कार्यों को आरम्भ नहीं किया जा सका

अभिलेखों की जाँच से उद्घटित हुआ कि निविदा आमंत्रण करने से पूर्व कार्य स्थल का निरीक्षण, कार्य स्थल सर्वेक्षण एवं अनापत्ति प्रमाण–पत्र के द्वारा विवाद रहित भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने में कम्पनी के अधिकारीगण[13] विफल रहे। परिणामस्वरूप, सात योजनाओं[14] से संबंधित 240 कार्य, जिसकी कुल स्वीकृत राशि ₹ 249.68 करोड़ थी, का कार्यारम्भ विवाद रहित भूमि की अनुपलब्धता के कारण 16 से 73 महीनों (नवम्बर 2017) तक नहीं किया जा सका एवं इन कार्यों हेतु चिह्नित निधियों का विचलन अन्य कार्यों हेतु हुआ।

शिक्षा विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार (नवम्बर 2017) किया।

अनुशंसा

शिक्षा विभाग एवं कम्पनी को स्थानीय प्रशासन से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही डिजाईन एवं कार्य प्राक्कलन का अन्तिमीकरण सुनिश्चित करना चाहिए।

मॉडल स्कूल योजना

प्राक्कलन में फर्नीचर हेतु प्रावधान नहीं करने व अन्य कारणों के कारण मेधावी ग्रामीण विद्यार्थियों को 368 विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित होना पड़ा

2.2.11 शिक्षा विभाग, बिहार सरकार ने राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत मेधावी ग्रामीण छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से बिहार में शैक्षणिक रूप से पिछड़े प्रखण्डों में 368 मॉडल स्कूल के निर्माण का प्रस्ताव (मार्च 2012) किया।

लेखापरीक्षा ने प्रेक्षण किया कि प्राक्कलन तैयार करते समय कम्पनी के अधिकारी[15] फर्नीचर एवं अन्य सुविधाओं (वस्तुतः खुला नाटकशाला, बास्केटबॉल अथवा वॉली–बॉल कोर्ट) के मद में प्राक्कलन लागत को शामिल करने में विफल रहे एवं 368 मॉडल स्कूल में से 353 मॉडल स्कूल के निर्माण हेतु निविदाओं को अन्तिमीकृत (अक्टूबर 2012 से सितम्बर 2014) कर दिया। विवाद रहित स्थल की अनुपलब्धता के कारण कम्पनी शेष 15 मॉडल स्कूल हेतु कोई निविदा आमंत्रित नहीं कर सकी।

[13] प्रबन्ध निदेशक, महाप्रबन्धक (प्रशासन) एवं मुख्य अभियंता (तकनीकी)।

[14] यू0एस0एस0, एस0एस0एस0, एस0एस0एस0एम0, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, एम0एस0, एच0एस0एस0 एवं जी0एच0 योजना।

[15] प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य अभियंता (तकनीकी)।

353 मॉडल स्कूलों में से कम्पनी ने ₹ 555.69 करोड़ की लागत पर 297[16] मॉडल स्कूल का निर्माण कार्य सम्पन्न (दिसम्बर 2015) किया। स्थल की अनुपलब्धता के कारण शेष 56 स्कूल का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जा सका। तथापि, फर्नीचर एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण 297 पूर्ण विद्यालयों में से कोई भी शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रयुक्त नहीं किया जा सका।

लेखापरीक्षा ने अग्रेत्तर प्रेक्षण किया कि शिक्षा विभाग के साथ–साथ बिहार माध्यमिक शिक्षा परिषद् (बि0मा0शि0परि0)[17] भी कम्पनी द्वारा तैयार की गई प्राक्कलन में फर्नीचर एवं अन्य सुविधाओं के समावेश नहीं होने सम्बन्धी कमी की पहचान करने में विफल रहा। कम्पनी द्वारा पूर्ण किए गए 297 मॉडल स्कूल हेतु फर्नीचर एवं अन्य सुविधाओं के क्रय हेतु राज्य सरकार से निधि प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव सितम्बर 2016 में किया गया तथा यह राशि राज्य सरकार द्वारा अभी तक (दिसम्बर 2017) विमुक्त नहीं की गई है।

परिणामस्वरूप 15 विद्यालयों के निर्माण नहीं होने, 56 विद्यालयों में विवाद–मुक्त स्थल की अनुपलब्धता एवं 297 पूर्ण मॉडल स्कूलों के प्राक्कलन में फर्नीचर एवं अन्य सुविधाओं का प्रावधान नहीं होने के कारण मॉडल स्कूल योजना के अन्तर्गत मेधावी ग्रामीण छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के निहित उद्देश्य से वंचित होना पड़ा।

शिक्षा विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार करते हुए कहा (नवम्बर 2017) कि फर्नीचर के क्रय हेतु एक नई निविदा आमंत्रित (मई 2017) की गई थी। तथापि, जवाब कम्पनी द्वारा दोषपूर्ण तरीके से प्राक्कलन तैयार करने के मुद्दे पर मौन था।

अनुशंसा

कम्पनी को तकनीकी स्कंध के अन्तर्गत प्राक्कलनों की संवीक्षा हेतु एक समर्पित स्कंध के गठन पर विचार करना चाहिए।

₹ 10.04 करोड़ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की छूट का लाभ नहीं उठाना

2.2.12 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग की अधिसूचना (अगस्त 1995) के अनुसार विश्व बैंक सहित अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं में प्रयुक्त स्टील एवं सीमेन्ट को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से छूट प्राप्त है।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की छूट प्राप्त नहीं करने के फलस्वरूप ₹ 10.04 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ

लेखापरीक्षा ने प्रेक्षण किया कि विश्व बैंक पोषित चार[18] परियोजनाओं के परिमाण विपत्र (बी0ओ0क्यू0) एवं प्राक्कलन के अनुमोदन करते समय मुख्य अभियन्ता (तकनीकी) द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के छूट को संज्ञान में लेने में विफल रहने के कारण नवम्बर 2017 तक ₹ 10.04 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

शिक्षा विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार (नवम्बर 2017) किया।

अनुशंसा

राज्य सरकार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के छूट आदेश को पुनः दोहराते हुए एक आदेश निर्गत कर सकती है।

[16] 216 पूर्ण निर्मित मॉडल स्कूल एवं वैसे 81 मॉडल स्कूल जिसे प्रथम तल स्तर पर पूर्ण कर अग्रेत्तर निर्माण स्थगित करने का निर्णय (दिसम्बर 2015) लिया गया था।

[17] बि0मा0शि0परि0 जो सोसायटी निबंधन अधिनियम (21), 1860 के अन्तर्गत निबंधित एक सोसायटी है, शिक्षा विभाग के अन्तर्गत कार्य करती है एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के मॉडल स्कूल परियोजना हेतु नोडल एजेन्सी है।

[18] जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, प्रखण्ड शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान एवं शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय।

परियोजना कार्यान्वयन

परियोजनाओं का कार्यान्वयन

2.2.13 2012–17 की अवधि के दौरान कम्पनी ने 60 परियोजनाओं/योजनाओं का कार्य शुरू किया जिसमें ₹ 6,196.61 करोड़ का 5,082 कार्य सम्मिलित था एवं मार्च 2017 तक ₹ 3,617.06 करोड़ (58.37 प्रतिशत) की राशि व्यय हुई थी। परियोजनाओं/योजनाओं की वित्तीय स्थिति की विवरणी ***परिशिष्ट–2.2.1*** में दी गई है।

इन परियोजनाओं के निष्पादन में लेखापरीक्षा ने विभिन्न कमियों का प्रेक्षण किया जिसका विवरण नीचे दिया जा रहा है :

संवेदक के चयन होने के उपरान्त प्रमाण–पत्र का प्रस्तुतीकरण

2.2.14 एस0बी0डी0, अन्य बातों के साथ, यह प्रावधानित करता है कि निविदा भरते समय निविदाकर्त्ता को स्वयं अथवा उनके उप संवेदक द्वारा निष्पादित किया गया विद्युत/सैनिटरी कार्य का अनुभव प्रमाण–पत्र समर्पित करना आवश्यक होगा।

कम्पनी की निविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता के अभाव के फलस्वरूप अनुचित रूप से कार्य आदेश प्रदान किया गया

लेखापरीक्षा ने प्रेक्षण किया कि सैनिक स्कूल, नालन्दा के सम्बन्ध में एक निविदाकर्त्ता[19] ने निविदा समर्पित करते समय आवश्यक विद्युत/सैनिटरी कार्यानुभव प्रमाण–पत्र नहीं समर्पित किया था। तथापि, कम्पनी की तकनीकी समिति[20] ने तकनीकी मूल्यांकन के समय इस निविदाकर्त्ता की बोली को रद्द नहीं किया एवं इसे तकनीकी रूप से योग्य करार दिया। वित्तीय मूल्यांकन के समय निविदाकर्त्ता एल0–1 पार्टी उभर कर आई तथा उसे ₹ 30.64 करोड़ की अनुबन्ध लागत पर कार्य प्रदान (सितम्बर 2011) किया गया। उपरोक्त आवश्यक प्रमाण–पत्र वित्तीय बोलियों के खोलने के उपरान्त प्राप्त किए गए थे जो निविदा प्रक्रिया की पारदर्शिता मापदण्ड के विरूद्ध था।

शिक्षा विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकारते हुए कहा (नवम्बर 2017) कि यद्यपि विद्युत/सैनिटरी कार्यानुभव प्रमाण–पत्र समर्पित करने की आवश्यकता का उल्लेख एस0बी0डी0 में था तथापि इसका प्रावधान ई–निविदा की तकनीकी मूल्यांकन फर्मा में नहीं किया गया था तथा तकनीकी समिति फर्मा के आधार पर समर्पित प्रलेखों की जाँच तक ही सीमित रही। तथापि, एस0बी0डी0 के अनुसार फर्मा के विस्तार हेतु प्रयास किए जाएगें।

विभाग का जवाब लेखापरीक्षा प्रेक्षण की पुष्टि करता है।

निविदा के मूल्यांकन की अनुचित पद्धति

2.2.15 एस0बी0डी0 यह निर्दिष्ट करता है कि निविदाकर्त्ता, जो न्यूनतम् अहर्ता मापदण्ड पूर्ण करते है, केवल तभी योग्य समझे जाएगें जब उनकी निर्धारित उपलब्ध बोली क्षमता (बिड क्षमता)[21] कुल बोली मूल्य से अधिक हो। अग्रेत्तर, बिहार वित्तीय (संशोधन) नियमावली (बि0वि0नि0), 2005 यह निर्दिष्ट करता है कि तकनीकी निविदा को स्वीकारने अथवा रद्द घोषित करने के कारणों को तकनीकी समिति द्वारा दर्ज किया जाना चाहिए।

[19] मे0 दयानन्द प्रसाद सिन्हा एण्ड कम्पनी।

[20] मुख्य परामर्शी (तकनीकी), मुख्य परामर्शी (वास्तुविद्), मुख्य परामर्शी (वित्त एवं लेखा), कार्यपालक अभियन्ता (मुख्यालय) एवं परामर्शी (तकनीकी)।

[21] बिड क्षमता = पिछले पाँच वर्षो में अधिकतम दर्ज वार्षिक टर्नओवर × कार्य सम्पन्न हेतु वर्षो की संख्या × 3 – वर्तमान दायित्वे (प्रगतिशील कार्य)।

लेखापरीक्षा ने यह प्रेक्षित किया कि तकनीकी समिति[22] ने नौ विद्यालयों से संबंधित चार कार्यों (अनुमानित लागत ₹ 24.94 करोड़[23]) में एक बोलीकर्त्ता मे0 सत्यनारायण सिंह, झारखण्ड की बोली अपर्याप्त बिड क्षमता के आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया जबकि बोलीकर्त्ता की बिड क्षमता (₹ 37 करोड़) चारों कार्य में प्रत्येक की अनुमानित लागत से 400 प्रतिशत आधिक्य में थी। इसके अतिक्ति बि0वि0नि0 के आवश्यकता के अनुरूप तकनीकी समिति ने कथित बोलीकर्त्ता को अपर्याप्त बिड क्षमता के आधार पर अयोग्य घोषित करने हेतु कोई स्पष्टीकरण भी प्रदान नहीं किया था।

अग्रेत्तर प्रेक्षित किया गया कि कम्पनी की तकनीकी समिति ने ₹ 37 करोड़ की समान बिड क्षमता के आठ विद्यालयों से संबंधित तीन अन्य कार्यों, जिसकी अनुमानित लागत ₹ 22.32 करोड़[24] थी, में बोलीकर्त्ता को अलग–अलग तकनीकी रूप से योग्य करार देते हुए पर्याप्त माना था। यह कम्पनी द्वारा बोलियों के अनुचित मूल्यांकन एवं कार्यादेश प्रदान करने में पारदर्शिता के अभाव का द्योतक था।

शिक्षा विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार (नवम्बर 2017) किया।

अनुशंसा

बोलियों के तकनीकी मूल्यांकन में पारदर्शिता लाने हेतु राज्य सरकार को कम्पनी द्वारा एस0बी0डी0 प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

जाली दस्तावेजों के आधार पर संविदा प्रदान किया जाना

आवश्यक सावधानी के अभाव के फलस्वरूप फर्जी बिड क्षमता वाले संवेदक का चयन हुआ जिसके कारण संवेदक को अनुचित लाभ मिला एवं ₹ 36.82 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ

2.2.16 कम्पनी ने 387 समूहों में 887 विद्यालयों के निर्माण हेतु निविदाएँ आमंत्रित (18 फरवरी 2014) की थी। एक निविदाकर्त्ता (मे0 विरेन्द्र कुमार सिंह, कटिहार) ने प्रमाणित लेखाएँ (20 अप्रैल 2014) एवं सनदी लेखाकार (सी0ए0) फर्म (संजय कुमार झा एण्ड एसोसियेट्स) द्वारा निर्गत टर्नओवर का प्रमाण–पत्र (20 अप्रैल 2014) जिसमें वर्ष 2013–14[25] हेतु ₹ 49.89 करोड़ के टर्नओवर का दावा किया गया था, समर्पित किया। इन प्रमाण–पत्रों के आधार पर कम्पनी की तकनीकी समिति[26] ने निविदाकर्त्ता की बिड क्षमता ₹ 188.30 करोड़ निर्धारित की एवं कम्पनी ने 67 विद्यालयों (बिहार के विभिन्न जिलों में 18,760 विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने हेतु) के निर्माण हेतु संवेदक को ₹ 77.42 करोड़ की संविदाएँ प्रदान की, जिसके पूर्ण होने की निर्धारित अवधि दिसम्बर 2015 से मार्च 2016 थी।

लेखापरीक्षा ने निविदाकर्त्ता द्वारा 2013–14 हेतु दायर आयकर रिटर्न एवं उपर्युक्त चर्चित सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित आयकर रिटर्न का सत्यापन किया जो ₹ 1.44 करोड़ टर्नओवर की एक अलग राशि को इंगित कर रहा था। यह भी अग्रेत्तर

[22] मुख्य परामर्शी (तकनीकी), अधीक्षण अभियन्ता (मुख्यालय), कार्यपालक अभियन्ता (मुख्यालय), वरीय वास्तुविद् एवं वरीय लेखा अधिकारी।

[23] एम0एस0 133 – ₹ 5.40 करोड़, एम0एस0 135 – ₹ 5.36 करोड़, एमएस0 166 – ₹ 8.42 करोड़ एवं एम0एस0 169 – ₹ 5.76 करोड़।

[24] एम0एस0 16 – ₹ 5.68 करोड़, एम0एस0 35 – ₹ 8.45 करोड़, एवं एम0एस0 108 – ₹ 8.19 करोड़।

[25] पिछले पाँच वर्षों में दर्ज की गई अधिकतम वार्षिक टर्नओवर, बिड क्षमता की निर्धारण हेतु अपनाया गया।

[26] मुख्य अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता (मुख्यालय), कार्यपालक अभियन्ता (मुख्यालय) एवं वरीय लेखा अधिकारी।

प्रेक्षित किया गया कि समान अवधि (2013–14) हेतु वाणिज्य कर विभाग में दायर रिटर्न में भी निविदाकर्त्ता ने वही टर्नओवर (₹ 1.44 करोड़) प्रतिवेदित किया था। अतः जाली प्रमाण–पत्र के आधार पर अयोग्य निविदाकर्त्ता को संविदाएँ प्रदान की गई थी।

यह भी अग्रेत्तर प्रेक्षित किया गया कि संविदाएँ प्राप्त करने के उपरान्त अयोग्य निविदाकर्त्ता ₹ 36.82 करोड़ का व्यय करने के बावजूद 67 विद्यालयों में से किसी का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कर सका।

शिक्षा विभाग ने जवाब में कहा (नवम्बर, 2017) कि बिड क्षमता में वृद्धि एक वर्ष में टर्नओवर के वृद्धि के फलस्वरूप था, जो प्राप्ययोग्य था।

विभाग का जवाब स्वीकार्य नहीं है। कम्पनी निविदाकर्त्ता की काल्पनिक प्रमाण पत्र, जो सी0ए0 द्वारा निर्गत जाली प्रमाण–पत्र से समर्थित था, की पहचान करने में विफल रही। लेखापरीक्षा प्रेक्षण इस तथ्य से भी समर्पित है कि संवेदक 67 विद्यालयों में एक भी विद्यालय का निर्माण पूर्ण करने में विफल रहा था।

अनुशंसा

राज्य सरकार को निविदाकर्त्ता द्वारा समर्पित सभी प्रलेखों का सत्यापन एवं वैसे निविदाकर्त्ता व उनके सहभागियों जो जाली प्रमाण–पत्र समर्पित करते हैं, को काली–सूची में डालने एवं उन पर आपराधिक मुकदमा चलाने हेतु उचित प्रणाली विकसित करनी चाहिए।

निष्पादन बैंक गारण्टी के नवीनीकरण में कम्पनी की विफलता

2.2.17 एस0बी0डी0 यह निर्दिष्ट करता है कि संवेदक निविदा की राशि के दो प्रतिशत के बराबर राशि का अपरिवर्तनीय निष्पादन बैंक गारण्टी (पी0बी0जी0) समर्पित करेगा, जो शुरूआतन दोष देयता अवधि[27] से 28 दिनों बाद तक वैद्य रहेगी। संविदा निरस्त करने की स्थिति में पी0बी0जी0 जब्त कर लिया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने प्रेक्षण किया कि धीमी कार्य प्रगति के कारण कम्पनी ने कुल ₹ 9.08 करोड़ का छः कार्य निरस्त कर दिया था। तथापि इन पी0बी0जी0 के नवीनीकरण में कम्पनी के अधिकारियों[28] की विफलता के कारण ₹ 59.68 लाख की पी0बी0जी0 का नगदीकरण नहीं किया जा सका। अग्रेत्तर यह भी प्रेक्षित किया गया कि 36 कार्य के मामलों में कम्पनी के वही अधिकारीगण वैद्यता अवधि के व्यतीत होने से पूर्व ₹ 2.91 करोड़ राशि की पी0बी0जी0 का नवीनीकरण कराने में विफल रहे, जबकि ये सभी कार्य अपूर्ण थे (मार्च 2017) । समयसीमा समाप्त होने वाले पी0बी0जी0 का विस्तारण नहीं होना, संवेदक से चूक की स्थिति में कम्पनी को उपलब्ध वित्तीय सुरक्षा उपायों को गम्भीर रूप से प्रभावहीन बना देता है।

शिक्षा विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकारते हुए कहा (नवम्बर 2017) कि भविष्य में पी0बी0जी0 के सतत् अनुश्रवण हेतु आवश्यक कदम उठाए जा रहे है।

अनुशंसा

कम्पनी को पी0बी0जी0 के ससमय नवीनीकरण को सुनिश्चित करने हेतु प्रणाली विकसित करनी चाहिए।

[27] कार्य पूर्ण होने के पश्चात, वह अवधि (परियोजनाओं के हस्तगत करने से 36 महीनों तक) जिसके दौरान किसी भी त्रुटि के सुधार हेतु संवेदक उत्तरदायी है।

[28] महाप्रबन्धक (वित्त) सह वरीय लेखा अधिकारी (वित्तीय स्कंध)।

संविदाओं को निरस्त करने में विफलता एवं विवादित स्थलों पर निर्माण के कारण ₹ 3.10 करोड़ का निष्फल व्यय

2.2.18 मानक बोली दस्तावेज वैसे संविदाओं को निरस्त करने हेतु प्रावधानित करता है जहाँ संवेदक संविदा की नियमों एवं शर्तों के अनुपालन में निरन्तर उपेक्षा/चूक करता है।

लेखापरीक्षा ने प्रेक्षण किया कि यद्यपि 21 विद्यालयों से संबंधित छ:[29] कार्यों (एकरारनामा लागत ₹ 9.08 करोड़) की प्रगति धीमी थी, कम्पनी (मुख्य अभियन्ता) को ₹ 2.77 करोड़ व्यय करने के उपरान्त संविदाओं को निरस्त करने में चार वर्ष लग गए। इसके अतिक्ति दो विद्यालयों से संबंधित दो कार्यों[30] का परित्याग, विवादित स्थल पर निर्माण के कारण ₹ 33.08 लाख व्ययोपरान्त, कर दिया गया।

धीमा निष्पादन एवं विवादित स्थल पर निर्माण के फलस्वरूप ₹ 3.10 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ

23 विद्यालयों से सम्बन्धित आठ कार्यों के परित्याग के फलस्वरूप ₹ 3.10 करोड़ के व्यय करने के बावजूद भी विद्यार्थियों को पाँच वर्षों से अधिक अवधि तक बेहतर शैक्षणिक आधारभूत संरचना के निहित लाभों को उपलब्ध नहीं कराया गया। इस प्रकार इन आठ कार्यों पर ₹ 3.10 करोड़ व्यय की गई राशि निष्फल हो गयी।

परित्याग की गई कार्यों की छवि



उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय, देवचन्दा, पीरो (यू0एस0एस0–6, दिनांक 11.07.2017)	मध्य विद्यालय, अन्धारवन, मधुबनी, (एस0एस0एस0–199, दिनांक 20.07.2017)

शिक्षा विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार (नवम्बर 2017) किया।

अनुशंसा

कम्पनी को कार्यारम्भ से पूर्व स्थलों का विवाद–मुक्त होना एवं दोषी संवेदकों के प्रति ससमय कार्रवाई करना सुनिश्चित करना चाहिए।

पाईल कार्य की विभिन्न घटकों को ध्यान में न रखकर अनुचित दर की अधिसूची अपनाने से संवेदक को ₹ 3.72 करोड़ के अनुचित लाभ का विस्तार

2.2.19 बिहार लोक निर्माण विभाग कोड यह निर्दिष्ट करता है कि कार्यों हेतु प्राक्कलन/बी0ओ0क्यू0/बिहार दर अधिसूची (एस0ओ0आर0) के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए। जहाँ विशिष्ट मदों हेतु बिहार एस0ओ0आर0 में दर प्रावधानित नहीं

[29] यू0एस0एस0–6, यू0एस0एस0–7, यू0एस0एस0–8, यू0एस0एस0–40, यू0एस0एस0–43 एवं यू0एस0एस0–45।

[30] मामला एस0एस0एस0 – 261 : विद्यालय का निर्माण रैयती भूमि (कृषि उद्देश्य हेतु भूमि का अधिग्रहण हेतु अधिकार) पर किया जा रहा था जिसके परिणामस्वरूप निर्माण न्यायालय आदेश द्वारा स्थगित (अगस्त 2015) कर दिया गया था। मामला एस0एस0एस0 – 199 : निर्माण बीच मे रोक (दिसम्बर 2014) दिया गया था चूँकि जिलाधिकारी ने स्थल बदलने हेतु आदेश पारित किया था।

g] olh fLFkfr e lcf/kr {k=k d i;kT; dUnh; ykd fuek.k foHkkx ¼d0yk0fu0fo0½ ,l0vk0vkj0 dh njk dk viuk;k tk ldrk gA

fcgkj ,l0vk0vkj0] 2011 e igyh lh miyC/k 500 ,e0,e0 0;kl dh dke dh vyx&vyx ?kVdk ij fopkj dju e dEiuh dh foQyrk dh ifj.kkLo:i lkond dk ` 3-72 djkM dk ifjgk;l vfrfjDr Hkxrku gvk

pUnxlr ic/ku lLFkku] iVuk d dk; lc/kh vfHky[kk dh loh{kk l Kkr gvk fd 500 ,e0,e0 0;kl ikby dk; gr dEiuh dh rduhdh lfefr[31] u d0yk0fu0fo0 fnYyh] ,l0vk0vkj0 nj bl vk/kkj ij viuk;k fd bl dk;[32] dk ,de"r nj[33] fcgkj ,l0vk0vkj0] 2011 e miyC/k ugh FkkA rFkkfi y[kkijh{kk u i{k.k fd;k fd rduhdh Ld/k dk rd xyr Fkk pfd fcgkj ,l0vk0vkj0] 2011 e 500 ,e0,e0 0;kl d ikby dk; d fofHkUu ?kVdk dk nj miyC/k Fkk vkj ; nj vYi FkhA ifj.kkeLo:i fcgkj ,l0vk0vkj0 d vulkj 500 ,e0,e0 0;kl dk; dk ch0vk0D;0 ykxr ` 2]165-65 ifr jfux ehVj ¼vkj0,e0Vh0½ dh nj d fo:) ` 3]075-81 ifr vkj0,e0Vh0 fy;k x;kA bld ifj.kkeLo:i 39]240 vkj0,e0Vh d dk; fu'iknu ij ` 3-72 djkM[34] dk ifjgk; vf/kHkxrku gvkA

f'k{kk foHkkx dk tokc ¼uoEcj] 2017½ y[kkijh{kk i{k.k ij Li"V er0; ugh n ik;kA

vu'kalk

dEiuh dk fcgkj ,l0vk0vkj0 d vu|lkj Je ,oa lkexh d mfpr nj dk viukuk lfuf'pr djuk pkfg,A

dkM@vuqcU/k d iko/kkuk dk vuikyu ugh gkuk

2-2-20 dkM d iko/kkuk d fuEufyf[kr mYy?ku if{kr fd, x, %

¼1½ fcgkj ykd fuek.k foHkkx ¼fc0yk0fu0fo0½ dkM ;g fufn'V djrk g fd ol dk; en tk ch0vk0D;0 e "kkfey ugh g] dk vfrfjDr dk; lEckf/kr fd;k tk,xk ,o ftld fy, ijd ,djkjukek fd;k tk,xkA rFkkfi] y[kkijh{kk u i{k.k fd;k fd 28 legk d dk;k d ekeyk e fcuk ijd vucU/k fd, dEiuh dh fopyu lfefr[35] u vfu;fer :i l fopyu gr lgefr inku dh ,o ifjek.k foi= l ij vU; enk gr ` 4-25 djkM dk Hkxrku fd;kA

viu tokc e ¼uoEcj 2017½ e f"k{kk foHkkx u dgk fd y?k ifj;ktukvk e fc0yk0fu0fo0 dkM d iko/kkuk dk vuikyu ugh fd;k x;k Fkk ,o ektnk fLFkfr dk n[kr g, vYi l/kkjk dk leko"k fd;k x;k Fkk] ftldk vueknu fopyu lfefr dh vu"klk ij dh xb FkhA

tokc Lohdk; ugh g pfd fc0yk0fu0fo0 dkM y?k ifj;ktukvk gr Hkh ykx gA

[31] ijke"kh ¼e0 MhOMh0,Q0 dUlYVUV ikboV fyfeVM ,o e[; ijke"kh ¼rduhdh½A

[32] ikby dk; dk rkRi; Hkfe d uhp vk/kkj dk; l g tk Hkou dh vk/kkj ,o Hkkj ogu {kerk dk ln< djrh gA

[33] ,de"r nj ftle enk dh iR;d ?kVd nj dk leko"k gkrk gA

[34] ` 3-72 djkM ¾ 39]240 × ¼3]075-81 & 2]165-65½ × 1-043 ¼pfd vucU/k ykxr ifjek.k foi= l 4-30 ifr"kr vf/kd Fkk½A

[35] e[; vfHk;Urk] dk;ikyd vfHk;Urk ¼e[;ky;½ dk;ikyd vfHk;Urk ¼lcf/kr dk;@ie.My½ ,o lgk;d vfHk;UrkA

¼2½ ,lOchOMh0 iko/kkuk d vuqlkj dk; e foyEc mRiUu gku dh frfFk l 14 fnuk d vUnj lond }kjk le; foLrkj rFkk y{;k d iufu/kkj.k gr vkonu fd;k tkuk pkfg,A y[kkijh{kk u if{kr fd;k fd 31 dk;k d ekeyk e londk u dk; d i.k gku dh fu/kkfjr frfFk l ,d l 40 eghu rd dh vof/k d ckn le;kfoLrkj gr vkonu fd;kA y[kkijh{kk u ik;k fd bu lHkh ekeyk e rFkk mi;Dr iko/kkuk dk mYy?ku dj] e[; vfHk;rk ¼rduhdh½ u vfu;fer :i l le; foLrkj fn;kA rnuqlkj] dEiuh u igy l jkdh gb {kfrifr dh jkf'k ` 1-68 djkM lond dk foeDr dj fn;kA

f"k{kk foHkkx dk tokc ¼uoEcj 2017½ y[kkijh{kk i{k.k d bu eík dk lcdfèkr ugh djrk g fd londk u le; ij vkonu D;k ugh fn;k Fkk ,o D;k vkj fdl vf/kdkj d vk/kkj ij e[; vfHk;rk ¼rduhdh½ u ,lOchOMh0 iko/kkuk dk mYy?ku fd;k Fkk ,o foyEc l le;kfoLrkj dk vueknu dj dkVh xb {kfrifr dh jkf'k dk foeDr dj fn;k FkkA

vuqí'kalk

dEiuh dk dkM dh iko/kkuk ,oa i;kZIr; dkuqukr dh vuqikyu dk lqfuf'pr djuk pkfg,A

832 fo|ky;k e vkb0lh0Vh @ Ldy ;ktuk dh dk;kUo;u e dfe;k

2-2-21 fo|ky;k e lpuk ,o nj lpkj rduhdh ¼vkb0lh0Vh0 @ Ldy½ jk'Vh; ek/;fed f"k{kk vfHk;ku dh ,d dUn ik;kftr ;ktuk g] tk vU; ckrk d lkFk fo|ky;k e lrr mtk vkifr dh fuHkjrk lfuf"pr dju] bUVjuV lecU/krk] f"k{kdk dk if"k{k.k ,o fofHkUu fo'k;k ij b&dUVV[36] d fodkl gr fufn'V djrh gA 1]000 fo|ky;k e lpuk ik|kfxdh ¼vkb0VhO½ vk/kkjHkr ljpuk[37] dh vkifr ,o l/kkj.k gr vkb0lh0Vh0 @ Ldy ;ktuk dk dk;kUo;u dk; foHkkx dh bdkb fc0ek0f'k0ifj0] u dEiuh dk inku ¼tu 2011½ fd;kA foØrkvk l vkb0lh0Vh @ Ldy ;ktuk dk iHkkj yu l io jkT; d ikp {k=k e Qy 832 fo|ky;k e ` 116-07 djkM dh jkf"k ij ikp o'kk gr vkb0lh0Vh0 @ Ldy ;ktuk dk dk;kUo;u dk; gr dEiuh u fufonk ifØ;k d ek/;e l p;fur rhu foØrkvk[38] l vucU/k ¼tu 2012 ,o tykb 2012½ fd;kA fuf/k;k d vHkko e 168 fo|ky;k e dk;kjEHk ugh fd;k tk ldkA ;ktuk d vUrxr foØrkvk }kjk inku dh xb yxHkx lHkh lokvk e i{k.k dh xb fopyuk dh ifjppk fuEur% dh xb g %

¼1½ 832 fo|ky;k d ekeyk e foØrkvk l dh xb vucU/kk d fu;ek ,o "krk d vuqlkj londk }kjk vkifr] ifrLFkkiu dh xb gkMo;j] lk¶Vo;j ,o vU; lgk;d lkexh d Lohdk;&ijh{k.k gr dEiuh ¼icU/k fun"kd ,o egkicU/kd ih0vkb0½ u rrh; i{k dk fu;fDr ugh fd;kA ifjHkkf'kr lokvk d miyC/krk dh

[36] ble b&VDLV ,o fMftVy yfux llk/ku tl fd fMftVy VDLV cd] dk;&iLrd y[k@jpuk] ehfM;k ,o eYVh ehfM;k g tk vf/kdkf/kd vUr&okrkykik] lfo/kkulkj vudfyr dju ,o f"k{kdk ,o Nk=k dk lkekftd :i l tkMu gr lfo/kk inku djrh gA

[37] dEI;Vj d{k dh LFkkiuk] MLdVki lfgr gkMo;j] ih0lh0 lk>nkjh fdV] uVofdx midj.k] vkijfVx flLVe ,o ,lyhfd"ku lk¶Vo;j] Quhpj] f"k{kd if"k{k.k] b&dUVUV dk fodkl] bR;kfnA

[38] e0 dkEl;dke lk¶Vo;j fyfeVM ¼{k= 2 ,o {k= 4½] e0 vkb0,y0 ,.M ,Q0,l0 ,td"ku ,.M VDukykth lfolt fyfeVM ¼{k= 1 ,o {k= 5½ ,o e0 fi;jlu ,td"ku lfolt ikboV fyfeVM ¼{k= 6½A

lR;kiu gr dfFkr Lohdk; ijh{k.k dk lEiknu djuk furkr vko";d FkkA vxrj] dfFkr Lohdk; ijh{k.k gr dkb le; lhek vucU/k e ifjHkkf'kr ugh fd;k x;k Fkk] ftld QyLo:i vucU/k nk'ki.k Qfyr gvkA

½2½ 68 fo|ky;k e ` 1-50 djkM ykxr dh vkb0lh0Vh0 lkefx;k dh pkjh ¼tykb 2012 l tu 2016½ d n'Vkr if{kr fd, x, ftldh ifrifr londk }kjk ikp l ydj 49 eghuk d vlkekU; foyEc l Qjojh 2015 l tykb 2017 dh vof/k e fd;k x;kA dfFkr pkfj;k u bu fo|ky;k e vkb0lh0Vh0 f"k{kk inku dju dh ifØ;k dk cjh rjg l iHkkfor fd;k ,o bl vof/k d nkjku bu fo|ky;k d Nk=k dk vkb0lh0Vh0 f"k{kk l ofpr gkuk iMkA

¼3½ ;ktuk d eY;kdu gr dEiuh u rrh; i{k vfHkdj.k dh fu;fDr ¼ekp 2017½ pkj o'kk l vf/kd d foyEc d mijkr fd;kA vxŸkj vucU/k e dkb le;&lhek ifjHkkf'kr ugh fd;k x;k Fkk] ftld QyLo:i vucU/k nk'k;Dr gk x;k FkkA

¼4½ iFke o'k e 80 ?kVk dh vkjfEHkd if"k{k.k d lkFk&lkFk vxŸkj o'kk e 40 ?kVk d iu"p;k if"k{k.k dh vko";drk d fo:) dEiuh u ek= 40 ?kVk dk vkjfEHkd if"k{k.k d lkFk vxŸkj o'kk e ek= pkj fnuk dk iu"p;k if"k{k.k inku fd;kA vxrj 8]320[39] okfNr f"k{kdk d if"k{k.k d fo:) ek= 5]769 f"k{kdk dk if"k{k.k ¼fnlEcj 2015 l tuojh 2016½ inku fd;k x;kA

¼5½ fofHkUu fo|ky;k e fo|kfFk;k dh le>nkjh Lrjk e of) gr foØrkvk l dh xb vucU/kk e b&dUVUV dk dkb iko/kku ugh fd;k x;k FkkA bldk ie[k dkj.k dEiuh }kjk cjrh xb ykijokgh FkhA

vxrj] dEiuh ¼icU/k fun"k ,o egkicU/kd] ;ktuk dk;kUo;u½ vucU/kk e forj.k ;kX; lokvk gr fufn'V le;&lhek d lkFk&lkFk nkf.Md mi&okD;k d leko"k e foQy jgk] ftld QyLo:i lond }kjk foyEc l vucU/k djuk] pkjh gb lkefx;k dh ifrifr[40] ,o f"k{kdk dk if"k{k.k bR;kfn vf/kd foyEc l gvkA bld QyLo:i ;ktuk d mí";k dk iHkkodkjh rjhd l ikIr ugh fd;k tk ldkA

f"k{kk foHkkx u y[kkijh{kk i{k.kk dk Lohdkjr g, dgk ¼uoEcj 2017½ fd y[kkijh{kk i{k.k dk Hkfo';e vuikyu gr /;ku e j[k fy;k x;k gA

fu"d"k

- dEiuh dk foŸkh; icU/ku vudkud nk"kk l xflr g tl vi;Dr fuf/k;k gr vkVk Lohi lfo/kk dk u viukuk] lkfof/kd dj Hkxrku e foyEc ftld QyLo:i n.M Hkkfjr gvk] fu"iknu cd xkjf.V;k d lle; uohuhdj.k e foQyrk] ekfcykbt'ku vfxe dk vfu;fer :i l inku djuk] bR;kfnA
- vkUrfjd fujh{k.k i.kkyh detkj g D;kfd dEiuh e vkUrfjd y[kkijh{kk Ld/k ugh gA 'kh"k ,o e/; Lrjh; icU/ku okfNr

[39] iR;d fo|ky; e de l de 10 f'k{kdk dk if'k{k.k inku dju d vk/kkj ij x.kuk dh xbA

[40] f'k{kd if'k{k.k dk i.k djuk] gkMo;j ,o lk¶Vo;j dh vkifr ,o b&dUVUV dk fodkl ,o ifrLFkkiu bR;kfnA

व्यवसायिक सुझबुझ बरतने में विफल रहा जो कम्पनी के विभिन्न कार्यकलापों में प्रेक्षण की गई अनियमितताओं से स्वतः स्पष्ट है।

- मॉडल स्कूलों के निर्माण हेतु प्राक्कलन में फर्नीचर घटकों को शामिल नहीं करना, अयोग्य निविदाकर्त्ता का चयन, विभिन्न परियोजनाओं की पूर्णता में विलम्ब, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क छुट का लाभ उठाने में विफलता, सटीक एस0ओ0आर0 को नहीं अपनाना, इत्यादियों के दृष्टिकोण से परियोजना प्रबन्धन सभी स्तर, वस्तुतः नियोजन, निष्पादन एवं अनुश्रवण, पर दोषपूर्ण था।
- शिक्षा विभाग, जो प्रशासी विभाग है एवं जिसके सामान्य पर्यवेक्षण के अन्तर्गत कम्पनी संचालित होती है, कम्पनी द्वारा विभिन्न केन्द्रीय एवं राज्य सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी था। राज्य में मॉडल स्कूल योजना की विफलता इस तथ्य का स्पष्ट द्योतक है कि विभाग अपनी बाह्य निरीक्षण कर्तव्यों के निर्वहन में विफल रहा, जिसके फलस्वरूप अधिकाधिक संख्याओं के छात्रों को उन्नत शैक्षणिक लाभों से वंचित होना पड़ा।

अध्याय–3

अनुपालन लेखापरीक्षा के प्रेक्षण

अध्याय–3
अनुपालन लेखापरीक्षा के प्रेक्षण

इस अध्याय में राज्य सरकार की कम्पनियों के कार्य सम्पादन की नमूना जाँच में पाये गये महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणामों का समावेश किया गया है।

सरकारी कम्पनियाँ

बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड

3.1 कम्पनी अधिकारियों की संदिग्ध मिलीभगत द्वारा आपूर्तिकर्त्ता को अनुचित लाभ

कम्पनी अधिकारियों ने अनियमित रूप से आपूर्तिकर्त्ता को ₹ 128.45 करोड़ एवं ₹ 157.36 करोड़ मूल्य की संविदा प्रदान की, प्रेषित माल को बिना किसी निर्धारित गुणवत्ता की जाँच के स्वीकार किया, आपूर्तिकर्त्ता से सुरक्षा जमा राशि के रूप में ₹ 10.72 करोड़ कम लिए, भुगतान रोक कर रखने के स्पष्ट आदेशों के बावजूद निम्न गुणवता वाले गनी बैग के लिए ₹ 15.75 करोड़ की राशि अनियमित रूप से जारी किये, इस जानकारी के बावजूद कि आपूर्तिकर्त्ता के द्वारा पहले वर्ष में आपूर्ति किये गये सामान निम्न गुणवत्ता के कारण जाँच के दायरे में है, उसी आपूर्तिकर्त्ता को दूसरे वर्ष की संविदा प्रदान की तथा आपूर्तिकर्त्ता को काली सूची में डालने के आदेशों की अवहेलना की।

बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (कम्पनी) ने बिहार में खरीफ विपणन सत्र 2014–15[1] के लिए 60,000 गनी बैग बेल्स[2] के आपूर्ति के लिए निविदा आमंत्रित (नवम्बर 2014) की। निविदा दस्तावेज में निम्नलिखित शर्त्तें निहित थी:

- ❖ सभी निविदाकर्त्ताओं से यह अपेक्षित था कि निविदा जमा करने के समय, वे कम्पनी को भारतीय मानक ब्यूरो/राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एन0ए0बी0एल0) द्वारा परीक्षित गनी बैग का नमूना जमा करें।
- ❖ सफल बोली लगाने वाले निविदाकर्त्ता द्वारा आदेशित मात्रा के कुल मूल्य का तीन प्रतिशत सुरक्षा जमा राशि के रूप में जमा किया जाना अपेक्षित था।
- ❖ कम्पनी से यह अपेक्षित था कि वह अपने गुणवत्ता नियंत्रण कर्मचारियों के माध्यम से उतरान स्थल पर ही गनी बैग की गुणवत्ता एवं मात्रा की पुष्टि करें।

मेसर्स विन्सम इंटरनेशनल लिमिटेड, समस्तीपुर (आपूर्तिकर्त्ता) को प्रति बेल ₹ 21,408.34 की दर से 60,000 बेल्स (कुल मूल्य ₹ 128.45 करोड़) की आपूर्ति के लिए संविदा प्रदान (जनवरी 2015) की गयी। अभिलेखों की लेखा परीक्षा (जून 2016) में पाया गया कि :

- ➢ यद्यपि आपूर्तिकर्त्ता ने बोली लगाने के समय विधिवत परीक्षण किये गए गनी बैग के नमूने प्रस्तुत नहीं किये (जैसा कि निविदा के दिशा–निर्देशों के तहत आवश्यक था) थे, इसके बावजूद भी पाँच सदस्यों वाली निविदा मूल्यांकन समिति[3] इस पर जोर देने में असफल रही।

[1] खरीफ विपणन सत्र (25 नवम्बर 2014 से 30 सितम्बर 2015)।

[2] एक बेल में 500 बैग होते है।

[3] प्रबंध निदेशक, वित्त प्रमुख, विशेष कार्य अधिकारी, प्रबंधक अधिप्राप्ति (भारतीय खाद्य निगम) एवं वित्तीय सलाहकार शामिल।

- वित्त अनुभाग जिसमें उप महाप्रबन्धक (वित्त) एवं प्रबन्धक (वित्त) सम्मिलित हैं, ने बिना किसी प्राधिकार एवं लिखित कारणों के ₹ 3.85[4] करोड़ के सुरक्षा जमा राशि के स्थान पर केवल ₹ 50 लाख जमा स्वीकार किया। इस प्रकार, आपूर्त्तिकर्त्ता को ₹ 3.35 करोड़ का अनुचित लाभ दिया।
- निविदा के दिशा–निर्देशों के तहत अपेक्षित होने के बावजूद उतरान स्थल पर, गनी बैग की गुणवत्ता और मात्रा को सत्यापित करने के लिए कोई गुणवत्ता नियंत्रण कर्मचारी नियुक्त नहीं किया गया था।
- जूट आयुक्त[5] ने, आपूर्त्तिकर्त्ता द्वारा अपनी उत्पादन क्षमता से काफी अधिक गनी बैग की आपूर्त्ति करने पर, संदेह किया (जुलाई 2015), तथा इस सम्बन्ध में एक निरीक्षण किया (सितम्बर 2015) जिसमें यह पाया गया की कम्पनी को आपूर्त्ति किये गए कई गनी बैग विनिर्देशों को पूरा नहीं करते थे एवं निम्न गुणवत्ता/न्यूनतम वजन से कम के थे। भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों के अनुसार एक बैग भी निर्धारित न्यूनतम वजन से कम पाये जाने पर पूरे खेप को खारिज किया जाना था। चूँकि निरीक्षण दल को कम्पनी के अधिकारियों ने आगे की गुणवत्ता की जाँच करने से रोक दिया (19 सितम्बर 2015), इसलिए अग्रेतर निरीक्षण नहीं किया जा सका।

 प्रारम्भिक जाँच परिणामों के आधार पर, जूट आयुक्त ने कम्पनी एवं सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार को सलाह दी (सितम्बर 2015) कि जब तक संयुक्त निरीक्षण दल[6] किसी नतीजे पर न पहुँचे तब तक गनी बैग के सम्बन्ध में सभी भुगतान रोक दिए जाएँ। तथापि, कम्पनी के वित्त अनुभाग[7] ने बिना किसी लिखित औचित्य के आपूर्त्तिकर्त्ता को ₹ 15.75 करोड़ का भुगतान (सितम्बर 2015 से नवम्बर 2015) जारी कर दिया। संयुक्त निरीक्षण से भी (अक्टूबर 2015) गनी बैग के निम्न गुणवत्ता वाले होने की पुष्टि हुई।
- कम्पनी के आपूर्त्तिकर्त्ता के गनी बैग की गुणवत्ता को लेकर पिछले मुद्दे से अवगत होने के पश्चात भी, कम्पनी के अधिप्राप्ति प्रमुख ने ₹ 157.36 करोड़ मूल्य के अनुबंध (₹ 26,226.15 प्रति बेल की दर से 60,000 बेल्स की आपूर्त्ति के लिए) खरीफ विपणन सत्र 2015–16 के लिए उसी आपूर्त्तिकर्त्ता को दे दिया (12 नवम्बर 2015)।
- तत्पश्चात, भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, (मंत्रालय) ने सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार को आपूर्त्तिकर्त्ता को काली सूची में डालने की सलाह दी (24 नवम्बर 2015)। परन्तु, कम्पनी की तकनीकी मूल्यांकन समिति ने भारत सरकार की सलाह को अनदेखा कर दिया तथा आपूर्त्तिकर्त्ता के इस आशय का शपथ पत्र कि उसे किसी भी सरकारी संस्था द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है (जिसे तकनीकी मूल्यांकन समिति को असत्य होने के बारे में पता था), के आधार पर खरीफ विपणन सत्र 2015–16 के लिए आपूर्त्तिकर्त्ता नियुक्त करने की सिफारिश की (जनवरी 2016)। प्रबन्ध निदेशक (जो आपूर्तिकर्त्ता के काली सूची में डालने की प्रक्रिया के बारे में अवगत थे) ने अनुबंध को मंजूरी दी।
- इसके अलावा, कम्पनी ने खरीफ विपणन सत्र 2015–16 के अनुबन्ध के लिए

[4] ₹ 128.45 करोड़ का तीन प्रतिशत।

[5] कपड़ा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन जूट आयुक्त को जूट और जूट वस्त्र नियंत्रण आदेश, 2000 एवं वस्त्र मंत्रालय आदेश, दिनांक 28 अक्टूबर 2005 के अनुसार जूट के सामान पर नियामक शक्तियाँ दी गई है।

[6] जूट आयुक्त, भारतीय खाद्य निगम एवं कम्पनी के अधिकारियों द्वारा।

[7] उप महाप्रबंधक (वित्त) एवं प्रबंधक (वित्त)।

अपेक्षित सुरक्षा जमा राशि ₹ 7.87[8] करोड़ लेने के बजाय, खरीफ विपणन सत्र 2014–15 के अनुबन्ध की सुरक्षा जमा की राशि ₹ 50 लाख को ही बरकरार रखा। आपूर्त्तिकर्त्ता आवश्यक बेल्स की आपूर्त्ति करने में विफल रहा, जिसके फलस्वरूप कम्पनी को मजबूरीवश 10,268 बेल्स पूर्त्ति एवं निपटान महानिदेशालय (डी0जी0एस0डी0) से क्रय करना पड़ा। इसके बावजूद, कम्पनी द्वारा आपूर्त्तिकर्त्ता के विरूद्ध कोई भी कार्यवाई नहीं की गई।

इस प्रकार वरिष्ठ कम्पनी अधिकारियों के आपूर्त्तिकर्त्ता के साथ संदिग्ध मिलीभगत और खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा जूट कमिश्नर तथा मंत्रालय के आदेशों के अनुपालन में विफलता के कारण, कम्पनी ने (i) अनियमित रूप से 1,20,000 बेल्स की आपूर्त्ति के लिए ₹ 128.45 करोड़ तथा ₹ 157.36 करोड़ मूल्य के गनी बैग का अनुबन्ध क्रमशः खरीफ विपणन सत्र 2014–15 एवं 2015–16 के लिए प्रदान किया (ii) खरीफ विपणन सत्र 2014–15 एवं 2015–16 के सुरक्षा जमा राशि के रूप में क्रमशः ₹ 3.85 करोड़ एवं ₹ 7.87 करोड़ के बजाये अनियमित रूप से केवल ₹ 50 लाख ही स्वीकार किया (iii) उतरान स्थल पर निर्धारित गुणवत्ता जाँच सुनिश्चित करने में विफल रहा (iv) जूट आयुक्त के भुगतान को रोकने के आदेशों का प्रत्यक्ष उल्लंघन कर आपूर्त्तिकर्त्ता को ₹ 15.75 करोड़ जारी किया (v) पहले वर्ष के अनुबन्ध के लिए आपूर्त्तिकर्त्ता के साथ लम्बित गुणवत्ता के मुद्दों के बारे में अवगत होने के बावजूद दूसरे वर्ष के लिए उसी आपूर्त्तिकर्त्ता को ₹ 157.36 करोड़ का अनुबन्ध प्रदान किया; और (vi) आपूर्त्तिकर्त्ता को काली सूची में डालने के भारत सरकार के आदेशों का उल्लंघन किया तथा उसे दूसरे वर्ष के अनुबन्ध को जारी रखने की अनुमति भी प्रदान की।

कम्पनी ने जवाब में बताया (दिसम्बर 2017) कि सुरक्षा जमा राशि की पहली किश्त आदेशित गनी बैग की वास्तविक मात्रा (5,000 बेल्स) तक ही सीमित थी, गुणवत्ता पर अन्तिम आदेश के लम्बित होने के कारण खरीफ विपणन सत्र 2014–15 की शेष राशि जारी की गई थी एवं आपूर्त्तिकर्त्ता को काली सूची में नहीं डाला गया था क्योंकि उसने समझौते के किसी नियम एवं शर्त्त का उल्लंघन नहीं किया था।

कम्पनी का जवाब मान्य नहीं है, क्योंकि यह अभिलेखों पर तथ्यों द्वारा समर्थित नहीं हैं।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2017), जवाब प्रतीक्षित है (मार्च 2018)।

अनुशंसा

बिहार सरकार ₹ 285.81 करोड़ मूल्य के गनी बैग के आपूर्त्ति के लिए किए गए अनुबंध में कम्पनी के अधिकारियों के संदिग्ध मिलीभगत पर अपराधिक जाँच शुरू करने पर विचार कर सकती है।

बिहार मेडिकल सर्विसेज एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड

3.2 बैंक जमा पर ब्याज की अनावश्यक हानि

कम्पनी द्वारा बैंक जमा की निगरानी में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 5.43 करोड़ की हानि

बिहार मेडिकल सर्विसेज एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड (कम्पनी) ने राज्य स्वास्थ्य समिति, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में परिवर्तित करने के लिए ₹ 118 करोड़ प्राप्त

[8] दर संशोधित कर खरीफ विपणन सत्र 2015–16 के लिए अनुबंध के कुल मूल्य का पाँच प्रतिशत किया गया।

(फरवरी 2014) किया जिसे आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक में खोले गए एक अलग बचत खाते में (चार प्रतिशत प्रति वर्ष के ब्याज पर) जमा किया गया था (फरवरी 2014)। इसके बाद, कम्पनी के अनुरोध पर बैंक ने बचत खाते से जमा राशि हस्तांतरित कर ₹ 118.74 करोड़ की सावधि जमा (नौ प्रतिशत प्रति वर्ष के ब्याज पर) सृजित की (19 मई 2014)।

लेखा परीक्षा ने पाया (मार्च 2017) की कम्पनी के किसी निर्देश के बिना ही, बैंक ने सावधि जमा खाते को बंद कर (27 जून 2014), ₹ 119.66 करोड़ की राशि बचत खाते में स्थानांतरित कर दी। इसके पश्चात, कम्पनी से किसी भी निर्देश के बिना ही फिर से, बैंक ने बचत खाते से ₹ 120.64 करोड़ स्थानांतरित कर एक सावधि जमा सृजित किया (1 जुलाई 2014), जिसे बिना किसी प्राधिकार के पुनः बंद कर (29 सितम्बर 2014), बचत खाते में स्थानांतरित कर दिया गया। यह राशि जुलाई 2015 तक बचत खाते में ही पड़ी रही। अगस्त 2015 के दौरान, ₹ 80 करोड़ की राशि को ऑटो स्वीप सुविधा के साथ फ्लेक्सी–खातों में स्थानांतरित कर दिया गया तथा शेष ₹ 44.12 करोड़ की राशि बिना किसी ऑटो स्वीप सुविधा के मार्च 2016 तक बचत खाते में ही पड़ी रही, उसके बाद इस रकम का उपयोग किया गया।

लेखा परीक्षा ने आगे देखा (मार्च 2017) कि सावधि जमा या बचत खातों में जमा राशि रखने में बैंक के आचरण से कम्पनी के महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा) अनभिज्ञ रहें।

उपर्युक्त कारणों से, मई 2014 से मार्च 2016 तक की अवधि के दौरान कम्पनी को ₹ 5.43[9] करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

कम्पनी ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया तथा सूचित किया (सितम्बर 2017) कि बैंक के साथ इस मामलें का अनुसरण किया जा रहा है।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2017), जवाब प्रतीक्षित है (मार्च 2018)।

बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड

3.3 दण्ड तथा परामर्श शुल्क का अनावश्यक भुगतान

सलाहकार के पूर्व में दिए गए प्रतिवेदन पर किसी प्रकार की कार्यवाही न किये जाने के बावजूद भी कम्पनी ने तीन साल तक सलाहकार की सेवाओं को अनावश्यक रूप से नवीनीकृत करते हुए ₹ 1.08 करोड़ का भुगतान किया, जिससे कम्पनी द्वारा चार वर्षों में किया गया कुल व्यय ₹ 1.44 करोड़ निष्फल रहा। सलाहकार की सिफारिशों पर कार्य करने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 50.27 करोड़ के परिहार्य दण्ड का भुगतान करना पड़ा।

बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड (कम्पनी), सर्व शिक्षा अभियान के तहत बिहार राज्य में कक्षा I से VIII के छात्रों के लिए मुफ्त पाठ्य पुस्तकों को प्रकाशित और वितरित करती है। पाठ्य पुस्तकों की आपूर्त्ति में देरी और बिहार शिक्षा परियोजना पर्षद (बि0शि0परि0प0) द्वारा इसके लिए जुर्माना लगाने की समस्या को कम करने हेतु, कम्पनी ने चन्द्रगुप्त इन्स्टीच्यूट ऑफ मैनेजमेंट, पटना को पाठ्य पुस्तक आपूर्त्ति श्रृंखला का अध्ययन करने तथा आपूर्त्ति श्रृंखला प्रबन्धन में सुधार करने के तरीकों पर सुझाव देने हेतु वर्ष 2012–13 के लिए ₹ 36 लाख के शुल्क पर, सलाहकार नियुक्त किया (फरवरी 2012)।

[9] मई 2014 से मई 2015 की अवधि के दौरान ₹ 4.04 करोड़ एवं जून 2015 से मार्च 2016 के दौरान ₹ 1.39 करोड़।

लेखा परीक्षा ने पाया कि यद्यपि सलाहकार ने अपना अध्ययन प्रतिवेदन सौंप दिया (अक्टूबर 2012), परन्तु कम्पनी उनकी सिफारिशों पर कार्यवाही करने में असफल रही और समस्या पूर्ववत् जारी रही।

आगे यह भी पाया गया कि उपरोक्त के बावजूद, कम्पनी[10] उन्हीं नियमों और शर्त्तों तथा शुल्क पर 2014–15, 2015–16 तथा 2016–17 (क्रमशः फरवरी 2014, दिसम्बर 2014 तथा नवम्बर 2015) के लिए भी उसी सलाहकार को वही कार्य आवंटित करती रही। सलाहकार की सिफारिशें बाद के प्रत्येक अध्ययन में समान रहीं। फिर भी, कम्पनी द्वारा कोई भी ठोस कार्यवाही नहीं की गई जिससे सलाहकार को किये गये ₹ 1.44 करोड़ का व्यय निष्फल हो गया, इसमें से तीन वर्षों के लिए ₹ 1.08 करोड़ का भुगतान पूर्णतः अनावश्यक था। पाठ्य पुस्तकों की छपाई और आपूर्त्ति में देरी पहले की तरह जारी रही, जिसके कारण कम्पनी ने बि0शि0परि0प0 को ₹ 50.27 करोड़[11] के दण्ड का भुगतान किया।

मामला सरकार तथा कम्पनी को प्रतिवेदित (मई 2017) किया गया, जवाब प्रतीक्षित है (मार्च 2018)।

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, बिहार स्टेट बेवरेजेज निगम लिमिटेड, बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड, बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड तथा बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड

3.4 उपहार पर परिहार्य व्यय

कम्पनियों द्वारा वित्तीय औचित्य की कसौटी की अवहेलना करते हुए उपहार की सामग्रियों पर ₹ 2.06 करोड़ का परिहार्य व्यय किया गया।

अभिलेखों के जाँच (नवम्बर 2016 से जून 2017) से यह प्रकट हुआ कि छः सरकारी कम्पनियों ने 2014 से 2016 के दौरान निदेशक मंडल के संकल्प के अनुसार ₹ 2.06 करोड़ के उपहार खरीदें तथा इन्हें विधान सभा/विधान मंडल के सदस्यों, पत्रकारों, वरिष्ठ अधिकारियों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों को वितरित किया, जिसका विवरण निम्नांकित हैं :

क्र0 सं0	कम्पनी का नाम	वर्ष	सामग्री	मात्रा	राशि (₹ लाख में)	कुल (₹ लाख में)
1.	बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड	2014	कलाई घड़ी	450	16.63	51.60
		2015	मोबाईल	350	34.97	
2.	बिहार राज्य बेवरेजेज निगम लिमिटेड	2015	ब्रीफकेस	400	10.00	10.00
3.	बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड	2016	मोबाईल	400	34.00	34.00
4.	बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	2014	मोबाईल	338	15.44	56.44
		2015	ब्रीफकेस	363	15.00	
		2016	ब्रीफकेस	400	26.00	
5.	बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	2014	कैमरा	175	18.60	36.31
		2015	कलाई घड़ी	175	17.71	
6.	बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड	2015	कलाई घड़ी	175	17.71	17.71
कुल						206.06

[10] प्रबंधक (कार्य), वित्तीय सलाहकार, विशेष कार्य पदाधिकारी एवं प्रबंध निदेशक के द्वारा निर्णय लिया गया।

[11] 2014–15 एवं 2015–16 के दौरान क्रमशः ₹ 28.32 करोड़ एवं ₹ 21.95 करोड़ ।

एक कम्पनी के प्रबन्धन अर्थात् बिहार राज्य बेवरेजेज निगम लिमिटेड ने बताया (मार्च 2017) कि उपहार की सामग्रियों पर व्यय विभाग[12] के निर्देशानुसार तथा निदेशक मंडल के अनुमोदनोप्रांत किया गया था।

कम्पनी का जवाब मान्य नहीं है क्यूँकि यह व्यय वित्तीय औचित्य की कसौटी की अवहेलना करती है तथा यह कम्पनी के उद्देश्यों को बढ़ावा नहीं देती है।

मामला कम्पनियों (मई 2017 तथा सितम्बर 2017) तथा सरकार (मई 2017 तथा सितम्बर 2017) को प्रतिवेदित किया गया, जवाब प्रतीक्षित है (मार्च 2018)।

बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड एवं बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड

3.5 ब्याज का परिहार्य भुगतान

वित्तीय वर्ष के लिए वर्त्तमान आय का सही अनुमान लगाने में विफलता के कारण बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड और बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड ने आयकर को ₹ 1.07 करोड़ के दंडित ब्याज का अनावश्यक रूप से भुगतान किया।

आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार कर निर्धारिती को वित्तीय वर्ष के अनुमानित वर्त्तमान आय पर, निर्धारित दरों पर चार अग्रिम किस्तों में अग्रिम कर का भुगतान करना होता है, तथा असफल होने पर प्रति माह की देरी पर एक प्रतिशत की दर से दंडित ब्याज का भुगतान देय होता है।

बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (बि0रा0पर्य0वि0नि0लि0) एवं बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड (बि0पु0भ0नि0नि0लि0) के अभिलेखों के जाँच (फरवरी तथा मई 2017) में पाया गया कि दोनों कम्पनियों के वित्तीय विभाग[13] आयकर अधिनियम के अनुसार, पूर्ण अग्रिम कर के भुगतान करने में असफल रहे। आयकर निर्धारण वर्ष 2013–14, 2014–15, 2015–16 एवं 2016–17 के लिए ₹ 98 लाख, ₹ 1.84 करोड़, ₹ 1.77 करोड़ एवं ₹ 1.69 करोड़ की कुल कर देयता के विरूद्ध, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड ने क्रमशः ₹ 58 लाख, ₹ 1.16 करोड़, ₹ 1.13 करोड़ एवं ₹ 1.20 करोड़ का अग्रिम कर चुकाया। इसी प्रकार, आयकर निर्धारण वर्ष 2014–15, 2015–16 और 2016–17 के लिए ₹ 1.98 करोड़, ₹ 1.79 करोड़ एवं ₹ 5.61 करोड़ की कुल कर देयता के विरूद्ध बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड ने क्रमशः ₹ 90.97 लाख, ₹ 80.44 लाख और ₹ 1.80 करोड़ का अग्रिम कर चुकाया। इसके फलस्वरूप, दोनों कम्पनियों ने ₹ 1.07[14] करोड़ के अनावश्यक दण्डात्मक ब्याज का भुगतान किया।

मामला कम्पनियों तथा सरकार को प्रतिवेदित (जून 2017/अक्टूबर 2017) किया गया, जवाब प्रतीक्षित है (मार्च 2018)।

[12] निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, बिहार सरकार।

[13] बि0रा0पर्य0वि0नि0लि0 के उप महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) एवं बि0पु0भ0नि0नि0लि0 के मुख्य लेखा पदाधिकारी के अगुवाई में।

[14] बि0रा0पर्य0वि0नि0लि0 – ₹ 38.58 लाख एवं बि0पु0भ0नि0नि0लि0 – ₹ 68.01 लाख।

बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड

3.6 परिहार्य व्यय

ऊर्जा शक्ति के क्रय के एकरारनामा में संशोधन में कम्पनी के अधिकारियों की अनुचित कार्रवाई के कारण आपूर्तिकर्ता को ₹ 61.70 करोड़ का अनुचित लाभ।

भूतपूर्व बिहार राज्य विद्युत बोर्ड [वर्तमान बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड (बी0एस0पी0एच0सी0एल0)] और मेसर्स जी0एम0आर0 कमलंगा एनर्जी लिमिटेड, बैंगलोर (जी0एम0आर0) के बीच 260 मेगा वाट बिजली खरीद के लिए एक ऊर्जा शक्ति के क्रय का एकरारनामा (पी0पी0ए0) निष्पादित (नवम्बर 2011) किया गया था, जिसके अनुसार बिजली आपूर्त्ति की अनुसूचित सुपुर्दगी तिथि (एस0डी0डी0) 9 नवम्बर 2015 थी। पी0पी0ए0 में दोनों पक्षों के पारस्परिक सहमति से एस0डी0डी0 के पुनरीक्षण का भी प्रावधान था।

नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (एन0बी0पी0डी0सी0एल0) के अभिलेखों की जाँच (फरवरी 2017) से पता चला कि जी0एम0आर0 ने 1 अप्रैल 2014 या उससे पहले की तिथि से बिजली की आपूर्त्ति के लिए एक संशोधित प्रस्ताव (अक्टूबर 2013) दिया था। इसके बाद, एस0डी0डी0 को पूर्व करने की अपनी इच्छा को दोहराए जाने (दिसम्बर 2013) के अलावा, जी0एम0आर0 ने एक और अधिक अनुकूल प्रस्ताव दिया जिसके अनुसार संशोधित एस0डी0डी0 से मूल एस0डी0डी0 तक की अवधि के लिए बिजली आपूर्त्ति प्रासंगिक महीनें में भारतीय ऊर्जा विनिमय (आई0ई0एक्स0) के पूर्वी क्षेत्र (केवल उड़ीसा राज्य) में बिजली बेचने की औसत मासिक ऊर्जा मूल्य तथा पी0पी0ए0 के प्रावधानों के अनुसार उद्धृत टैरिफ, जो भी कम हो, पर किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि दिसम्बर 2013 के अधिक फायदेमंद दूसरे प्रस्ताव के बारे में जानते हुए भी कम्पनी के अधिकारियों[15] ने पी0पी0ए0 को संशोधित करने हेतु याचिका (अप्रैल 2014) में बिहार विद्युत विनियामक आयोग के समक्ष अक्टूबर 2013 वाले पहले प्रस्ताव को ही उल्लेखित किया था, जिसे बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने मंजूर किया (जुलाई 2014)। पी0पी0ए0 का संशोधन सितम्बर 2014 में किया गया।

यह देखा गया कि सितम्बर 2014 (संशोधित पी0पी0ए0 के प्रभावी होने की तारीख) तथा नवम्बर 2015 (मूल एस0डी0डी0) के दौरान आई0ई0एक्स0 की कीमतें पी0पी0ए0 में तय नियमित टैरिफ से कम थी। अतः ऊपर उल्लिखित भूल के परिणामस्वरूप, कम्पनी को इस अवधि के दौरान ₹ 61.70 करोड़ के अतिरिक्त व्यय और परिणामी हानि उठानी पड़ी, जो अंततः टैरिफ के माध्यम से उपभोक्ता को पारित किया गया।

मामला कम्पनी तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2017), जवाब प्रतीक्षित है (मार्च 2018)।

अनुशंसा

बिहार सरकार एवं कम्पनी, अधिकारियों पर आपूर्तिकर्ता को अनुचित लाभ पहुँचाने के लिए जिम्मेदारी तय करने हेतु कारवाई शुरू कर सकती है।

[15] बी0एस0पी0एच0सी0एल0 के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, एन0बी0पी0डी0सी0एल0 एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक एवं बिहार राज्य पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के विद्युत कार्यपालक अभियंता (अंतर–राज्य)।

नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड

3.7 उपभोक्ताओं को अनुचित लाभ

गलत टैरिफ दर लागू करने के कारण ₹ 5.24 करोड़ की हानि

बिहार विद्युत विनियामक आयोग (बि0वि0विनि0आ0) के टैरिफ आदेशों[16] के तहत निजी ट्यूबवेल सहित कृषि प्रयोजनों के लिए विद्युत ऊर्जा की आपूर्त्ति को सिंचाई और कृषि सेवा (आई0ए0एस0) टैरिफ संवर्ग के आई0ए0एस0–I में तथा राज्य ट्यूबवेल और सिंचाई पंप/राज्य सिंचाई पंप के उपभोक्ताओं के लिए विद्युत ऊर्जा की आपूर्त्ति को उच्च ऊर्जा दर के टैरिफ पर आई0ए0एस0–II में वर्गीकृत किया गया है।

नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (एन0बी0पी0डी0सी0एल0) के अंतर्गत विद्युत आपूर्त्ति प्रमण्डल, छपरा (पश्चिम) के अभिलेखों की संवीक्षा (दिसम्बर 2016 के बाद) में पाया गया कि 26 राज्य ट्यूबवेल उपभोक्ताओं का विपत्रीकरण[17] जून 2014 से फरवरी 2017 की अवधि में गलत ढंग से आई0ए0एस0–I टैरिफ श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत कर किया गया था। इसके फलस्वरूप, कम्पनी ने ₹ 6.18 करोड़ के जगह केवल ₹ 58.58 लाख ही भारित किया जिससे कम्पनी को ₹ 5.60 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

लेखापरीक्षा अवलोकन के जवाब में एन0बी0पी0डी0सी0एल0 ने कहा (जुलाई 2017 और अक्टूबर 2017) कि उन्होंने त्रुटि को सुधार कर ₹ 5.60 करोड़ की राशि संबंधित उपभोक्ताओं के बिजली विपत्रों में भारित कर दिया था, जिनमें से तीन उपभोक्ताओं से ₹ 36.44 लाख वसूल किए गए थे।

इस संबंध में लेखापरीक्षा ने पाया कि ₹ 5.24 करोड़ की शेष राशि में से ₹ 1.31 करोड़ के वसूली की संभावना बिहार विद्युत आपूर्त्ति संहिता, 2007 के नियम 10.18 के मुताबिक न्यून है, क्योंकि उक्त नियम के तहत यह उल्लेखित किया गया है कि दो साल की अवधि के बाद उपभोक्ताओं से ऐसी कोई वसूली नहीं की जाएगी जब तक कि विद्युत आपूर्त्ति के शुल्क के बकाये के रूप में इसे लगातार वसूली योग्य नहीं दिखाया गया हो।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2017), जवाब प्रतीक्षित है (मार्च 2018)।

नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड

3.8 कम्पाउडिंग शुल्क जमा नहीं किया जाना

वितरण कम्पनियाँ कम्पाउडिंग शुल्क के रूप में एकत्रित राशि ₹ 2.04 करोड़ सरकार को प्रेषित करने में विफल रही।

बिहार विद्युत आपूर्त्ति संहिता, 2007 तथा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 152 के प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत कोई भी अधिकारी, कम्पाउडिंग शुल्क[18] एकत्र कर सकता है जिसे सामान्य वित्तीय नियमों की शर्त्तों के अनुसार तत्काल राज्य सरकार के खाते में प्रेषित किया जाना चाहिए।

[16] बि0नि0विनि0आ0 टैरिफ आदेश 2014–15, 2015–16 एवं 2016–17.

[17] कनीय अभियंता एवं राजस्व अधिकारी/सहायक अभियंता (राजस्व) के द्वारा।

[18] बिजली चोरी का अपराध करने अथवा करने की संदिग्ध संलिप्तता के विरूद्ध किसी भी अपराधिक अदालत में उनके खिलाफ किसी भी कार्यवाही को नही करने अथवा जारी नही रखने के बदले उपभोक्ताओं अथवा व्यक्तियों से एकत्रित राशि।

नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (एन0बी0पी0डी0सी0एल0) और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (एस0बी0पी0डी0सी0एल0) के अभिलेखों की संवीक्षा (मार्च 2017) में पाया गया कि इन कम्पनियों ने 2010–17 के दौरान एकत्रित कम्पाउडिंग शुल्क की राशि ₹ 4.99 करोड़[19] सरकारी खातें में जमा नहीं किया।

लेखापरीक्षा के आपत्ति को स्वीकारते हुए, ऊर्जा विभाग ने जवाब दिया (अक्टूबर 2017) कि कम्पाउडिंग शुल्क के तहत एकत्रित राशि को जमा नहीं किये जाने के कारण ट्रेजरी प्राप्ति (शीर्ष) के बारे में जानकारी का अभाव था। सरकार का जवाब मान्य नहीं है क्यूँकि इसका कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है, तथा कम्पनियाँ अगर चाहती तो इस जानकारी को प्राप्त कर सकती थी क्योंकि इसके लिए सात वर्ष का समय काफी ज्यादा होता है।

अब तक (मार्च 2018) एन0बी0पी0डी0सी0एल0 ने सरकारी खाते में ₹ 2.95 करोड़ जमा (अप्रैल 2017 से फरवरी 2018 तक) किये थे। एस0बी0पी0डी0सी0एल0 से सरकारी खाते में राशि जमा करने से संबंधित कोई जानकारी प्राप्त नही हुई थी।

(नीलोत्पल गोस्वामी)

पटना

दिनांक : **22 जून 2018**

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार

प्रतिहस्ताक्षरित

(राजीव महर्षि)

नई दिल्ली

दिनांक : **02 जुलाई 2018**

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

[19] एन0बी0पी0डी0सी0एल0 : ₹ 2.97 करोड़, एस0बी0पी0डी0सी0एल0 : ₹ 2.02 करोड़।

परिशिष्ट

परिशिष्ट

परिशिष्ट – 1.1
(कंडिका 1.1 एवं 1.5 में संदर्भित)
31 मार्च 2017 को राज्य सा0क्षे0उ0 के अंश, अदत्त ऋण एवं प्रत्याभूतियाँ

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	प्रक्षेत्र एवं कम्पनी का नाम	अंश पूँजी[$]				अदत्त ऋण				प्रत्याभूति
		राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य[£]	कुल	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य[©]	कुल	
1	2	3 (अ)	3 (ब)	3 (स)	3 (द)	4 (अ)	4 (ब)	4 (स)	4 (द)	5
क. कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ										
कृषि एवं समवर्गी										
1	बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड	2.28	1.22	0.22	3.72	27.93	0.00	0.00	27.93	–
प्रक्षेत्रवार योग		**2.28**	**1.22**	**0.22**	**3.72**	**27.93**	**0.00**	**0.00**	**27.93**	**0.00**
वित्त										
2	बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लिमिटेड	15.12	0.00	0.00	15.12	20.47	0.00	27.96	48.43	–
3	बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	23.36	0.00	0.00	23.36	0.00	–	15.60	15.60	15.60
4	बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लिमिटेड	40.11	0.00	0.00	40.11	5.60	0.00	20.62	26.22	20.62
5	बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड	1.00	0.00	0.00	1.00	0.50	0.00	0.00	0.50	–
प्रक्षेत्रवार योग		**79.59**	**0.00**	**0.00**	**79.59**	**26.57**	**0.00**	**64.18**	**90.75**	**36.22**
आधारभूत										
6	बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड	0.10	0.00	0.00	0.10	0.43	0.00	0.00	0.43	–
7	बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड	3.50	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	–
8	बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	–

क्रम सं0	प्रक्षेत्र एवं कम्पनी का नाम	अंश पूँजी[$]				अदत्त ऋण				प्रत्यागूति
		राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य[£]	कुल	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य©	कुल	
1	2	3 (अ)	3 (ब)	3 (स)	3 (द)	4 (अ)	4 (ब)	4 (स)	4 (द)	5
9	बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	43.00	43.00	43.00
10	बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
11	बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
प्रक्षेत्रवार योग		**53.60**	**0.00**	**0.00**	**53.60**	**0.43**	**0.00**	**43.00**	**43.43**	**43.00**
विनिर्माण										
12	बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
13	बिहार राज्य बेवरेजेज निगम लिमिटेड	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
प्रक्षेत्रवार योग		**30.00**	**0.00**	**0.00**	**30.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ऊर्जा										
14	बिहार राज्य जलविद्युत शक्ति निगम लिमिटेड	99.04	0.00	0.00	99.04	223.09	0.00	243.34	4,66.43	243.34
15	बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड	21,127.91	0.00	0.00	21,127.91	66.14	0.00	0.00	66.14	—
16	बिहार स्टेट पावर जेनेरेशन कम्पनी लिमिटेड	0.00	0.00	2,573.85	2,573.85	0.00	0.00	3,574.00	3,574.00	2,538.34
17	बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड	0.00	0.00	6,075.54	6,075.54	340.55	0.00	204.98	545.53	—
18	नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड	0.00	0.00	5,253.20	5,253.20	383.27	0.00	894.44	1,277.71	323.47
19	साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड	0.00	0.00	6,182.40	6,182.40	122.57	0.00	793.26	915.83	373.82
20	बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड	0.00	0.00	297.00	297.00	0.00	0.00	826.70	826.70	—

क्रम सं0	प्रक्षेत्र एवं कम्पनी का नाम	अंश पूँजी$				अदत्त ऋण				प्रत्यागूति
		राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य£	कुल	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य©	कुल	
1	2	3 (अ)	3 (ब)	3 (स)	3 (द)	4 (अ)	4 (ब)	4 (स)	4 (द)	5
21	पीरपैंती बिजली कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	23.04	23.04	–
22	लखीसराय बिजली कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	28.85	28.85	–
प्रक्षेत्रवार योग		**21,226.95**	**0.00**	**20,382.01**	**41,608.96**	**1,135.62**	**0.00**	**6,588.61**	**7,724.23**	**3,478.97**
सेवाएँ										
23	बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	–
24	बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	5.27	0.00	0.00	5.27	2,180.48	0.00	0.00	2,180.48	–
25	बिहार मेडिकल सर्विसेज एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड	6.74	0.00	0.00	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	–
प्रक्षेत्रवार योग		**17.01**	**0.00**	**0.00**	**17.01**	**2,180.48**	**0.00**	**0.00**	**2,180.48**	**0.00**
विविध										
26	बिहार वानिकी विकास निगम लि0.	0.34	0.00	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	–
27	बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड	0.36	0.00	0.12	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	–
प्रक्षेत्रवार योग		**0.70**	**0.00**	**0.12**	**0.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
योग (क) (सभी प्रक्षेत्रवार कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ)		**21,410.13**	**1.22**	**20,382.35**	**41,793.70**	**3,371.03**	**0.00**	**6,695.79**	**10,066.82**	**3,558.19**
(ख) कार्यशील सांविधिक निगमें										
वित्त										
1	बिहार राज्य वित्त निगम	39.95	37.70	0.19	77.84	228.47	0.00	0.00	228.47	0.00
प्रक्षेत्रवार योग		**39.95**	**37.70**	**0.19**	**77.84**	**228.47**	**0.00**	**0.00**	**228.47**	**0.00**

क्रम सं0	प्रक्षेत्र एवं कम्पनी का नाम	अंश पूँजी[$]				अदत्त ऋण				प्रत्याभूति
		राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य[£]	कुल	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य[©]	कुल	
1	2	3 (अ)	3 (ब)	3 (स)	3 (द)	4 (अ)	4 (ब)	4 (स)	4 (द)	5
सेवाएँ										
2	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	74.75	26.52	0.00	101.27	866.03	0.00	0.00	866.03	–
3	बिहार राज्य भण्डारण निगम	3.20	3.20	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	–
प्रक्षेत्रवार योग		**77.95**	**29.72**	**0.00**	**107.67**	**866.03**	**0.00**	**0.00**	**866.03**	**0.00**
योग (ख) (सभी प्रक्षेत्रवार कार्यशील सांविधिक निगमें)		**117.90**	**67.42**	**0.19**	**185.51**	**1,094.50**	**0.00**	**0.00**	**1,094.50**	**0.00**
कुल योग (क+ख)		**21,528.03**	**68.64**	**20,382.54**	**41,979.21**	**4,465.53**	**0.00**	**6,695.79**	**11,161.32**	**3,558.19**
(ग) अकार्यशील सरकारी कम्पनियाँ										
कृषि एवं समवर्गी										
1	बिहार राज्य मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	3.70	0.00	0.00	3.70	2.60	0.00	0.00	2.60	–
2	स्काडा एग्रो बिजनेस कम्पनी लिमिटेड	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	–
3	बिहार राज्य जल विकास निगम लिमिटेड	10.00	0.00	0.00	10.00	49.68	0.00	0.00	49.68	–
4	बिहार राज्य दुग्ध निगम लिमिटेड	6.72	0.00	0.00	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	–
5	बिहार हिल एरिया लिफ्ट सिंचाई निगम लिमिटेड	10.82	0.00	0.00	10.82	8.55	0.00	0.00	8.55	–
6	बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड	5.12	2.45	0.00	7.57	12.60	0.00	0.00	12.60	–
7	बिहार राज्य फल एवं सब्जी विकास निगम लिमिटेड	1.61	0.49	0.00	2.10	1.42	0.70	0.00	2.12	–
8	बिहार कीटनाशक लिमिटेड	0.00	0.00	2.96	2.96	0.00	0.00	1.54	1.54	–
9	स्काडा एग्रो बिजनेस लिमिटेड, खगौल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	–

क्रम सं0	प्रक्षेत्र एवं कम्पनी का नाम	अंश पूँजी$				अदत्त ऋण				प्रत्याभूति
		राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य£	कुल	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य©	कुल	
1	2	3 (अ)	3 (ब)	3 (स)	3 (द)	4 (अ)	4 (ब)	4 (स)	4 (द)	5
10	स्काडा एग्रो बिजनेस लिमिटेड, डेहरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	–
11	स्काडा एग्रो बिजनेस लिमिटेड, आरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	–
12	स्काडा एग्रो बिजनेस लिमिटेड, औरंगाबाद	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	–
13	स्काडा एग्रो बिजनेस लिमिटेड, मोहनियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	–
14	स्काडा एग्रो वन कम्पनी लिमिटेड, खगौल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	–
प्रक्षेत्रवार योग		**37.97**	**2.94**	**3.01**	**43.92**	**74.85**	**0.70**	**1.54**	**77.09**	**0.00**
वित्त										
15	बिहार पंचायती राज वित्त निगम लिमिटेड	2.01	0.00	1.01	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	–
16	बिहार राज्य हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प निगम लिमिटेड	10.00	0.00	0.00	10.00	1.16	0.00	0.00	1.16	–
17	बिहार राज्य लघु उद्योग निगम लिमिटेड	7.18	0.00	0.00	7.18	10.40	0.00	1.83	12.23	–
18	बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	14.04	0.00	0.00	14.04	66.54	0.00	0.00	66.54	–
प्रक्षेत्रवार योग		**33.23**	**0.00**	**1.01**	**34.24**	**78.10**	**0.00**	**1.83**	**79.93**	**0.00**
आधारभूत संरचना										
19	बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड	7.00	0.00	0.00	7.00	3.38	0.00	0.00	3.38	–
प्रक्षेत्रवार योग		**7.00**	**0.00**	**0.00**	**7.00**	**3.38**	**0.00**	**0.00**	**3.38**	**–**

क्रम सं0	प्रक्षेत्र एवं कम्पनी का नाम	अंश पूँजी[$]				अदत्त ऋण				प्रत्याभूति
		राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य[£]	कुल	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य[©]	कुल	
1	2	3 (अ)	3 (ब)	3 (स)	3 (द)	4 (अ)	4 (ब)	4 (स)	4 (द)	5
विनिर्माण										
20	बिहार राज्य मिनरल विकास निगम लिमिटेड	9.97	0.00	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	–
21	बिहार सोलवेंट एवं केमिकल्स लिमिटेड	0.20	0.00	0.88	1.08	0.00	0.00	2.12	2.12	–
22	मगध मिनरल लिमिटेड	0.00	0.00	0.36	0.36	0.00	0.00	0.47	0.47	–
23	कुमारधुबी मेटल कास्टिंग एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड	0.00	0.00	2.17	2.17	0.00	0.00	6.63	6.63	–
24	बेलट्रॉन विडियो सिस्टम लिमिटेड	0.00	0.00	5.05	5.05	0.00	0.00	4.51	4.51	–
25	बेलट्रॉन माइनिंग सिस्टम लिमिटेड	0.00	0.00	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	–
26	बेलट्रॉन इनफॉरमेटिक्स लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	–
27	बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड	20.00	0.00	0.00	20.00	322.95	0.00	0.00	322.95	–
28	बिहार राज्य सीमेंट निगम लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.03	–
29	बिहार राज्य औषधि एवं रसायन विकास निगम लिमिटेड	15.78	0.00	0.00	15.78	4.25	0.00	0.00	4.25	–
30	बिहार मेज प्रोडक्ट्स लिमिटेड	0.00	0.00	0.74	0.74	0.00	0.00	0.02	0.02	–
31	बिहार ड्रग्स एवं केमिकल्स लिमिटेड	0.00	0.00	4.00	4.00	1.28	0.00	0.00	1.28	–
32	बिहार राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड	10.78	0.00	0.00	10.78	2.27	0.00	0.00	2.27	–
प्रक्षेत्रवार योग		**56.73**	**0.00**	**15.68**	**72.41**	**330.78**	**0.00**	**13.75**	**344.53**	**0.00**
सेवाएँ										
33	बिहार राज्य निर्यात निगम लिमिटेड	2.00	0.00	0.00	2.00	1.22	0.00	0.00	1.22	–
प्रक्षेत्रवार योग		**2.00**	**0.00**	**0.00**	**2.00**	**1.22**	**0.00**	**0.00**	**1.22**	**0.00**

क्रम सं0	प्रक्षेत्र एवं कम्पनी का नाम	अंश पूँजी[$]				अदत्त ऋण				प्रत्यागूति
		राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य[£]	कुल	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य[©]	कुल	
1	2	3 (अ)	3 (ब)	3 (स)	3 (द)	4 (अ)	4 (ब)	4 (स)	4 (द)	5
विविध										
34	बिहार राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	1.75	0.54	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	–
35	बिहार पेपर मिल्स लिमिटेड	0.00	0.00	7.77	7.77	0.00	0.00	10.72	10.72	–
36	बिहार राज्य ग्लेज्ड टाईल्स एवं सेरामिक्स लिमिटेड	0.00	0.00	1.40	1.40	0.00	0.00	3.66	3.66	–
37	विश्वामित्र पेपर उद्योग लिमिटेड	0.00	0.00	1.74	1.74	0.00	0.00	0.81	0.81	–
38	झंझारपुर पेपर उद्योग लिमिटेड	0.00	0.00	1.49	1.49	0.00	0.00	0.46	0.46	–
39	बिहार राज्य टैनीन एक्सट्रैक्ट लिमिटेड	0.00	0.00	1.57	1.57	0.00	0.00	2.08	2.08	–
40	बिहार राज्य फिनिस्ड लेदर्स निगम लिमिटेड	0.00	0.00	1.47	1.47	9.18	0.00	0.00	9.18	–
41	सिन्थेटिक रेजिन्स (इस्टर्न) लिमिटेड	0.00	0.00	0.31	0.31	0.00	0.00	1.05	1.05	–
42	भवानी ऐक्टिव कार्बन लिमिटेड	0.00	0.00	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	–
43	बिहार राज्य चर्म उद्योग विकास निगम लिमिटेड	17.40	0.00	0.00	17.40	12.43	0.00	1.70	14.13	–
44	बिहार स्कूटर्स लिमिटेड	0.00	0.00	1.63	1.63	6.09	0.00	0.00	6.09	–
प्रक्षेत्रवार योग		**19.15**	**0.54**	**17.47**	**37.16**	**27.70**	**0.00**	**20.48**	**48.18**	**0.00**
योग (ग)(सभी प्रक्षेत्रवार अकार्यशील सरकारी कम्पनियाँ)		**156.08**	**3.48**	**37.17**	**196.73**	**516.03**	**0.70**	**37.60**	**554.33**	**0.00**
कुल योग (क+ख+ग)		**21,684.11**	**72.12**	**20,419.71**	**42.175.94**	**4,981.56**	**0.70**	**6,733.39**	**11,715.65**	**3.558.19**

$ अंश आवेदन राशि, लंबित आवंटन सम्मिलित।
£ होल्डिंग कम्पनी की अंश पूँजी सम्मिलित।
© वित्तीय संस्थान (ए0डी0बी0/सिडबी/आर0ई0सी0) एवं सा0क्षे0उ0 सम्मिलित।

नोट :

क्रम सं0 स24, स25 एवं स26 सहायक कम्पनियाँ है क्रम सं0 अ12 की।
क्रम सं0 अ16, अ17, अ18 एवं अ19, क्रम सं0 अ15 की सहायक कम्पनियाँ है।
क्रम सं0 अ20 संयुक्त उद्यम है क्रम सं0 अ15 एवं पी0जी0सी0आई0एल0 की।
क्रम सं0 अ21 और अ22 सहायक कम्पनियाँ हैं, क्रम सं0 अ16 की।
क्रम सं0 स9, स10, स11, स12, स13 एवं स14 सहायक कम्पनियाँ है क्रम सं0 स2 की।
क्रम सं0 स23, स28, स35 एवं स44 सहायक कम्पनियाँ है क्रम सं0 स18 की।
क्रम सं0 स8, स22, स30, स31, स36, स37, स38, स41 एवं स42 सहायक कम्पनियाँ है क्रम सं0 स29 की।
क्रम सं0 स39 सहायक कम्पनी है क्रम सं0 अ34 की।
क्रम सं0 स21 एंव स40 सहायक कम्पनियाँ है क्रम सं0 स43 की।

परिशिष्ट – 1.2
(कंडिका 1.1 में संदर्भित)

31 दिसम्बर 2017 को सा0क्षे0उ0 (जिनके लेखें तीन वर्षों से ज्यादा बकाया नहीं है) की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	सा0क्षे0उ0 का नाम	अन्तिमीकृत किये गये लेखें का वर्ष	शुद्ध लाभ/हानि	टर्नओवर
1	2	3	4	5
लाभ अर्जित करने वाली कम्पनियाँ				
1	बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2014–15	5.35	11.63
2	बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	2014–15	11.43	39.23
3	बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड	2016–17	2.25	285.66
4	बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड	2016–17	0.35	0.77
5	बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड	2016–17	28.51	39.21
6	बिहार राज्य बेवरेजेज निगम लिमिटेड	2014–15	93.44	3,504.29
7	स्काडा एग्रो बिजनेस कम्पनी लिमिटेड	2014–15	0.02	0.00
8	बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	2016–17	22.96	52.50
9	बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड	2015–16	107.71	122.62
10	बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	2015–16	6.16	150.34
कुल			**278.18**	**4,206.25**

क्रम सं0	सा0क्षे0उ0 का नाम	अन्तिमीकृत किये गये लेखें का वर्ष	शुद्ध लाभ/हानि	टर्नओवर
1	2	3	4	5
हानि वहन करने वाली कम्पनियाँ				
11	बिहार राज्य वित्त निगम	2016–17	–16.38	2.94
12	नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड	2016–17	–513.44	2,984.84
13	साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड	2016–17	–905.36	4,032.31
14	बिहार स्टेट पावर जेनेरेशन कम्पनी लिमिटेड	2016–17	–1.82	51.36
15	बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड	2015–16	–0.18	0.00
16	बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड	2015–16	–0.75	0.00
17	बिहार वानिकी विकास निगम लिमिटेड[1]	2015–16	0.00	0.00
कुल			**–1,437.93**	**7,071.45**
ना लाभ ना हानि अर्जित करने वाली कम्पनी				
18	बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड	2016–17	0.00	0.00
कुल			**0.00**	**0.00**
कुल योग			**1,159.75**	**11,277.70**

[1] बिहार वानिकी विकास निगम लिमिटेड ने ₹ 1,348 की कुल हानि वहन की एवं उसका टर्नओवर शून्य था।

परिशिष्ट – 1.3 (अ)
(कंडिका 1.9 में संदर्भित)
बिहार के कार्यशील सा0क्षे0उ0 के निदेशक पर्षद में शामिल निदेशकों की विवरणी

क्रम सं0	कम्पनी का नाम	अवधि	निदेशक पर्षद में शामिल निदेशकों का नाम	पदनाम एवं पद	प्रबंध निदेशक का नाम	क्या किसी प्रशासनिक विभाग के अतिरिक्त प्रभार में है
सा0क्षे0उ0 जिनके लेखें तीन वर्षों तक बकाया है						
1.	बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड (बि0रा0पु0नि0नि0लि0)	2016–17	श्री विनय कुमार, श्री उमेश कुमार, श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, श्री लक्ष्मी नारायण दास, श्री कामेश्वर प्रसाद कुशवाहा, श्री राम चरित्र प्रसाद, श्री शैलेश प्रसाद सिंह	अध्यक्ष, बि0रा0पु0नि0नि0लि0, प्रबंध निदेशक, बि0रा0पु0नि0नि0लि0, अपर सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार अभियंता प्रमुख, बि0रा0पु0नि0नि0लि0, सामाजिक कार्यकर्ता अभियंता शिक्षाविद	श्री उमेश कुमार	नही
2.	बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड (बि0रा0प0वि0नि0लि0)	2016–17	श्री शिशिर सिन्हा, श्री अमृत लाल मीणा, सुश्री सुजाता चतुर्वेदी, श्री चैतन्य प्रसाद, श्री चन्चल कुमार, श्री विनय कुमार, श्री लक्ष्मी नारायण दास	विकास आयुक्त सह अध्यक्ष, बि0रा0प0वि0नि0लि0, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार सह प्रबंध निदेशक – बि0रा0प0वि0नि0लि0 प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार सरकार सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार	श्री अमृत लाल मीणा	प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार
3.	बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	2016–17	श्री शिशिर सिन्हा, श्री दीपक कुमार सिंह,	विकास आयुक्त, बिहार सरकार सह अध्यक्ष, बि0रा0प0वि0नि0लि0, प्रधान सचिव, श्रम संसाधन सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी–बिहार कौशल विकास मिशन,	श्री राहुल सिंह	सचिव, सूचना प्रोद्यौगिकी विभाग, बिहार सरकार

क्रम सं0	कम्पनी का नाम	अवधि	निदेशक पर्षद में शामिल निदेशकों का नाम	पदनाम एवं पद	प्रबंध निदेशक का नाम	क्या किसी प्रशासनिक विभाग के अतिरिक्त प्रभार में है
			श्री राहुल सिंह,	प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड		
4.	बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (बि0रा0पर्य0वि0नि0लि0)	2016–17	श्री पंकज कुमार, सुश्री इनायत खाँ, श्री अशोक कुमार सिंह, श्री सीतेश प्रसाद श्रीवास्तव, श्री शैलेन्द्र प्रकाश सिन्हा, श्रीमती महाश्वेता महारथी,	सचिव, पर्यटन विभाग संयुक्त सचिव–सह–आंतरिक वित्तीय सलाहकार, पर्यटन विभाग, सह प्रबंध निदेशक, बि0रा0पर्य0वि0नि0लि0 अपर सचिव, पर्यटन विभाग–सह निदेशक, बिहार सरकार प्रधानाध्यापक, आई0एच0एम0, हाजीपुर बिहार होटल लिमिटेड महासचिव, बौद्ध बिहार सोसाईटी, राजगीर	सुश्री इनायत खाँ	नही
5.	बिहार वानिकी विकास निगम लिमिटेड	2016–17	श्री शिशिर सिन्हा, श्री त्रिपुरारी शरण, सुश्री सुजाता चतुर्वेदी, श्री अरविन्द कुमार चौधरी, श्री देवेन्द्र कुमार शुक्ला, श्री शिव शंकर चौधरी,	विकास आयुक्त, बिहार सरकार प्रधान सचिव, वानिकी एवं पर्यावरण विभाग, बिहार सरकार प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वानिकी एवं पर्यावरण विभाग, बिहार सरकार प्रबंध निदेशक, बिहार वानिकी विकास निगम लिमिटेड	श्री शिव शंकर चौधरी	नही
6.	बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	2016–17	श्री शिशिर सिन्हा, सुश्री सुजाता चतुर्वेदी, श्री अमृत लाल मीणा, श्री चैतन्य प्रसाद, श्री चन्चल कुमार, श्री विनय कुमार, श्री अभिषेक सिंह, श्री सुमन कुमार नायक, डा0 जितेन्द्र सिंह,	अध्यक्ष–सह विकास आयुक्त, बिहार सरकार प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार सरकार प्रधान सचिव, यू0डी0 एण्ड एच0डी0, बिहार सरकार प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार सरकार सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार नगर आयुक्त, पटना स्वतंत्र निदेशक स्वतंत्र निदेशक	श्री अमरेन्द्र प्रसाद सिंह	नही

क्रम सं0	कम्पनी का नाम	अवधि	निदेशक पर्षद में शामिल निदेशकों का नाम	पदनाम एवं पद	प्रबंध निदेशक का नाम	क्या किसी प्रशासनिक विभाग के अतिरिक्त प्रभार में है
			श्री अमरेन्द्र प्रसाद सिंह	प्रबन्ध निदेशक, बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड		
7.	बिहार मेडिकल सर्विसेज एव ईन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड (बि0मे0स0ई0कॉ0 लि0)	2016–17	श्री शिशिर सिन्हा, श्री आर0 के0 महाजन, सुश्री सुजाता चतुर्वेदी, श्री लोकेश कुमार सिंह, श्री संजय कुमार सिंह, डा0 एच0 एन0 दिवाकर, श्री शशी भूषण कुमार	विकास आयुक्त, बिहार प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार कार्यकारी, स्वास्थ्य समिति, बिहार सरकार, प्रबंध निदेशक, बि0मे0स0ई0कॉ0लि0 प्रमुख निदेशक (प्रशासन), स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, मुख्य महाप्रबंधक (योजना), बि0मे0स0ई0कॉ0लि0	श्री संजय कुमार सिंह	अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार
8.	बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड	2016–17	श्री शिशिर सिन्हा, सुश्री सुजाता चतुर्वेदी, श्री ब्रजेश महरोत्रा, श्री चैतन्य प्रसाद डा0 एस0 एस0 सिद्धार्थ	विकास आयुक्त, बिहार प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार प्रधान सचिव, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार सरकार प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार सरकार	श्री चैतन्य प्रसाद	प्रधान सचिव, कला संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार सरकार
9.	बिहार राज्य बेवरेजेज निगम लिमिटेड (बि0रा0बे0नि0लि0)	2016–17	श्री शिशिर सिन्हा, श्री एच0 आर0 श्रीनिवास, सुश्री सुजाता चतुर्वेदी, श्री आमीर सुबहानी, श्री ए0 के0 दास,	अध्यक्ष, बि0रा0बे0नि0लि0 सचिव, संसाधन वित्त विभाग, बिहार सरकार प्रधान सचिव सह आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग, बिहार सरकार प्रधान सचिव, निबन्धन, मद्य एवं निषेध, बिहार सरकार आयुक्त, उत्पाद शुल्क, बिहार सरकार	श्री आदित्य कुमार दास	महा निरीक्षक, निबन्धन मद्य एवं निषेध, बिहार सरकार

क्रम सं0	कम्पनी का नाम	अवधि	निदेशक पर्षद में शामिल निदेशकों का नाम	पदनाम एवं पद	प्रबंध निदेशक का नाम	क्या किसी प्रशासनिक विभाग के अतिरिक्त प्रभार में है
			श्री0 आदित्य कुमार दास	प्रबंध निदेशक, बि0रा0बे0नि0लि0		
सा0क्षे0उ0 जिनके लेखें तीन वर्षों से ज्यादा से बकाया है						
10.	बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड	2016–17	श्री सुनील कुमार सिंह, श्री हिमान्शु कुमार राय, श्रीमती निवेदिता राय, डा0 आर0 सी0 श्रीवास्तव, श्री ओंकार सिंह	कृषि उत्पादन आयुक्त सह अध्यक्ष उत्पादन निदेशक सह प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड आंतरिक वित्तीय सलाहकार, कृषि विभाग, बिहार सरकार कुलपति, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर क्षेत्रीय प्रबंधक, राष्ट्रीय बीज निगम लि0, शेखपुर	श्री हिमान्शु कुमार राय	निदेशक, कृषि, बिहार सरकार
11.	बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लिमिटेड	2016–17	श्री रविन्द्र प्रसाद, श्री प्रदीप कुमार, श्री मृत्युजय कुमार, श्री रविन्द्र प्रसाद,	निदेशक (तकनीकी विभाग) उद्योग विभाग, बिहार सरकार अवर सचिव, उद्योग विभाग, बिहार सरकार ओ0एस0डी0, गन्ना विभाग सह आतरिक वित्तीय सलाहकार, उद्योग विभाग, बिहार सरकार प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लिमिटेड	श्री रविन्द्र प्रसाद	निदेशक, तकनीकी विकास, बिहार सरकार
12.	बिहार राज्य भण्डारण निगम	2016–17	श्री अमृत लाल मीणा, श्री पंकज कुमार, श्री जवाहर प्रसाद श्री एम0 के0 वर्मा, श्री आर0 के0 पाण्डेय, श्री अमरीश गौतम, श्री मनोज कुमार कलामथेकर, श्री प्रमोद कुमार सिंह	अध्यक्ष, बिहार राज्य भण्डारण निगम–सह–प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार सरकार सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भण्डारण निगम महाप्रबंधक (वाणिज्यिक), केन्द्रीय भण्डारण निगम उप सचिव, वित्त, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार निदेशक, बिहार राज्य भण्डारण निगम क्षेत्रीय प्रबंधक, केन्द्रीय भण्डारण निगम डी0जी0एम0 (ए0बी0यू0) एस0बी0आई0, पटना	श्री जवाहर प्रसाद	नही

क्रम सं0	कम्पनी का नाम	अवधि	निदेशक पर्षद में शामिल निदेशकों का नाम	पदनाम एवं पद	प्रबंध निदेशक का नाम	क्या किसी प्रशासनिक विभाग के अतिरिक्त प्रभार में है
13.	बिहार राज्य जलविद्युत शक्ति निगम लिमिटेड	2016–17	श्री प्रत्यय अमृत, श्री संदीप कुमार आर0 पुदाकलकट्टी, श्री आर0 लक्षमणन, श्री राम पुकार रंजन, श्री विनोदानन्द झा	प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार–सह–सचिव, बिहार राज्य जलविद्युत शक्ति प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जलविद्युत शक्ति निगम प्रबंध निदेशक, बी0एस0पी0जी0सी0एल0 अभियंता प्रमुख (सिंचाई निर्माण), जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार संयुक्त सचिव, आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार	श्री संदीप कुमार आर0 पुदाकलकट्टी,	नही
14.	लखीसराय बिजली कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	2016–17	श्री आर0 लक्षमणन, श्री संदीप कुमार आर0 पुदाकलकट्टी, श्रीमान हजीक बेग श्री सुब्रमणयन भास्करण	प्रबंध निदेशक : बिहार स्टेटपावर जेनेरेशन कम्पनी लिमिटेड, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पीरपैती बिजली कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, लखीसराय बिजली कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड प्रबंध निदेशक, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड मुख्य कार्यकारी, आई0ई0डी0सी0एल0 एस0वी0पी0, आई0ई0डी0सी0एल0	श्री आर0 लक्षमणन	नही

क्रम सं0	कम्पनी का नाम	अवधि	निदेशक पर्षद में शामिल निदेशकों का नाम	पदनाम एवं पद	प्रबंध निदेशक का नाम	क्या किसी प्रशासनिक विभाग के अतिरिक्त प्रभार में है
15.	पीरपैती बिजली कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड,	2016–17	श्री आर0 लक्षमणन, श्री संदीप कुमार आर0 पुदाकलकट्टी, श्रीमान हजीक बेग श्री सुब्रमणयन भास्करण	प्रबंध निदेशक : बिहार स्टेटपावर जेनेरेशन कम्पनी लिमिटेड, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पीरपैती बिजली कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, लखीसराय बिजली कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड प्रबंध निदेशक, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड मुख्य कार्यकारी, आई0ई0डी0सी0एल0 एस0वी0पी0, आई0ई0डी0सी0एल0	श्री आर0 लक्षमणन	नही
16.	बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	2016–17	श्री प्रेम सिह मीणा, सुश्री सुजाता चतुर्वेदी, श्री अरविन्द कुमार चौधरी, श्री सुशान्त कुमार, श्रीमती एन0 विजयालक्ष्मी, श्री विरेन्द्र कुमार, श्री देवेश चन्द्र सेहरा	सचिव प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम निदेशक, अनुसूचित जाति प्रबंध निदेशक, अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम	श्री सुशान्त कुमार	नही
17.	बिहार राज्य अल्पसख्यक वित्तीय निगम लिमिटेड	2016–17	श्रीमान आमीर सुबहानी, मो0 सहबाज अली, सुश्री सुजाता चतुर्वेदी, श्री अतुल प्रसाद, श्री पंकज कुमार सिह, मो0 अरशद अजीज	प्रधान सचिव, अल्पसख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एव वित्त निगम, नई दिल्ली प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार प्रधान सचिव, कल्याण विभाग, बिहार सरकार निदेशक, उद्योग प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लिमिटेड	मो0 अरशद अजीज	नही

क्रम सं0	कम्पनी का नाम	अवधि	निदेशक पर्षद में शामिल निदेशकों का नाम	पदनाम एवं पद	प्रबंध निदेशक का नाम	क्या किसी प्रशासनिक विभाग के अतिरिक्त प्रभार में है
18.	बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड	2016–17	श्री आर0 के0 महाजन, श्री एम0 रामचन्द्रूडू, श्री अरशद फिरोज	प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार सह अध्यक्ष प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड उप सचिव–सह–आंतरिक वित्तीय सलाहकार, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार	श्री एम0 रामचन्द्रूडू	निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार
19.	बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	2016–17	श्री सुनील कुमार सिंह, श्री अरविन्द कुमार चौधरी, श्री पंकज कुमार, श्री भरत कुमार दुबे	कृषि उत्पाद आयुक्त, बिहार सरकार सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार विशेष सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार	श्री पंकज कुमार	सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार
20.	बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड	2016–17	श्री सुनील कुमार, श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री रंजन कुमार सिन्हा, श्री बिरेन्द्र कुमार, डा0 अमीत कुमार जैन	महानिदेशक–सह–अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड अभियंता प्रमुख–सह अपर आयुक्त–सह विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार सरकार अपर सचिव–सह–आंतरिक वित्तीय सलाहकार, गृह विभाग, बिहार सरकार मुख्य अभियंता, पी0एच0ई0डी0, बिहार सरकार आई0जी0, बिहार	श्री सुनील कुमार	नही
21.	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	2016–17	बोर्ड भंग	बोर्ड भंग	श्री संजय कुमार अग्रवाल, प्रशासक, बी0एस0आर0टी0सी0	सचिव, परिवहन विभाग, बिहार सरकार

परिशिष्ट – 1.3 (ब)
(कंडिका 1.9 में संदर्भित)
अधिकारियों के नाम जो एक से ज्यादा सा0क्षे0उ0 में निदेशक है, जिनके लेखें बकाया है

क्रम सं0	नाम एवं पद	कम्पनी
1	श्री सुनील कुमार सिंह, कृषि उत्पाद आयुक्त, बिहार सरकार	बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड
		बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड
2	श्री अरविन्द कुमार चौधरी, सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार	बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड
		बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड
		बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड
3	श्री पकज कुमार, सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार	बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड
		बिहार राज्य भण्डारण निगम
		बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, पटना
4	श्री शिशिर सिन्हा, विकास आयुक्त विभाग, बिहार सरकार	बिहार वानिकी विकास निगम लिमिटेड, पटना
		बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड
		बिहार मेडिकल सर्विसेज एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड
		बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड
		बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड
5	श्रीमती सुजाता चतुर्वेदी, प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार	बिहार वानिकी विकास निगम लिमिटेड, पटना
		बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड
		बिहार मेडिकल सर्विसेज एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड
		बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड
		बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लिमिटेड
		बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड
6	श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार	बिहार राज्य भण्डारण निगम
		बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड
		बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड
7	श्री आर0 लक्ष्मणन	बिहार राज्य जलविद्युत शक्ति निगम लिमिटेड
		लखीसराय बिजली कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
		पीरपैंती बिजली कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड,
8	श्री संदीप कुमार आर0 पुदाकलकट्टी	बिहार राज्य जलविद्युत शक्ति निगम लिमिटेड
		लखीसराय बिजली कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
		पीरपैंती बिजली कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
9	श्री विनय कुमार, सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार	बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड
		बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड
10	श्री चैतन्य प्रसाद, प्रधान सचिव, यू0डी0 एण्ड एच0डी0, बिहार सरकार	बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड
		बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड

परिशिष्ट – 1.4
(कंडिका 1.9 में संदर्भित)
31 दिसम्बर 2017 को कार्यशील एवं अकार्यशील सा0क्षे0उ0 जिनके लेखें बकाया है

क्रम सं0	सा0क्षे0उ0 का नाम	अवधि जिसके लेखें बकाया है	बकाया लेखें की संख्या
1	2	3	4
अ. कार्यशील कम्पनियाँ			
1 वर्ष			
1	बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड	2016–17	1
2	बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड	2016–17	1
3	बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	2016–17	1
कुल			3
2 से 5 वर्ष			
1	बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2015–16 एवं 2016–17	2
2	बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	2015–16 एवं 2016–17	2
3	बिहार राज्य बेवरेजेज निगम लिमिटेड	2015–16 एवं 2016–17	2
4	बिहार वानिकी विकास निगम लिमिटेड	2015–16 एवं 2016–17	2
5	बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड	2014–15 से 2016–17	3
6	बिहार मेडिकल सर्विसेज एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड	2014–15 से 2016–17	3
7	बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लिमिटेड	2013–14 से 2016–17	4
8	पीरपैती बिजली कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	2013–14 से 2016–17	4
9	लखीसराय बिजली कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	2013–14 से 2016–17	4
10	बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड	2012–13 से 2016–17	5
11	बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लिमिटेड	2012–13 से 2016–17	5
कुल			36
5 वर्षों से ज्यादा			
1	बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड	2006–07 से 2016–17	11
2	बिहार राज्य जलविद्युत शक्ति निगम लिमिटेड	2001–02 से 2016–17	16
3	बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड	2000–01 से 2016–17	17
4	बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	1998–99 से 2016–17	19
5	बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	1994–95 से 2016–17	23
कुल			86
कुल (अ)			125
ब. सांविधिक निगमें (कार्यशील)			
5 वर्षों से ज्यादा			
1	बिहार राज्य भण्डारण निगम	2011–12 से 2016–17	6
2	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	2006–07 से 2016–17	11
कुल (ब)			17
कुल (अ+ब)			142

क्रम सं0	सा0क्षे0उ0 का नाम	अवधि जिसके लेखें बकाया है	बकाया लेखें की संख्या
स. अकार्यशील कम्पनियाँ (समापन की प्रक्रिया से पृथक)			
1 वर्ष			
1	बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड	2016–17	1
2 से 5 वर्ष			
1	स्काडा एग्रो बिजनेस कम्पनी लिमिटेड	2015–16 एवं 2016–17	2
5 वर्षों से ज्यादा			
1	बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	2009–10 से 2016–17	8
2	बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड	2003–04 से 2016–17	14
3	बिहार राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	2001–02 से 2016–17	16
4	बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड	2001–02 से 2016–17	16
5	बिहार राज्य दुग्ध निगम लिमिटेड	1998–99 से 2016–17	19
6	बिहार राज्य फल एवं सब्जी विकास निगम लिमिटेड	1995–96 से 2016–17	22
7	बिहार राज्य मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	1993–94 से 2016–17	24
8	स्काडा एग्रो बिजनेस लिमिटेड, खगौल	1993–94 से 2016–17	24
9	स्काडा एग्रो बिजनेस लिमिटेड, डेहरी	1993–94 से 2016–17	24
10	स्काडा एग्रो बिजनेस लिमिटेड, आरा	1993–94 से 2016–17	24
11	स्काडा एग्रो बिजनेस लिमिटेड, औरंगाबाद	1993–94 से 2016–17	24
12	स्काडा एग्रो बिजनेस लिमिटेड, मोहनियाँ	1993–94 से 2016–17	24
13	स्काडा एग्रो वन कम्पनी लिमिटेड, खगौल	1993–94 से 2016–17	24
14	बेलट्रॉन विडियो सिस्टम लिमिटेड	1990–91 से 2016–17	27
15	बेलट्रॉन माइनिंग सिस्टम लिमिटेड	1990–91 से 2016–17	27
16	बिहार राज्य टैनीन एक्सट्रैक्ट लिमिटेड	1989–90 से 2016–17	28
17	बिहार राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड	1988–89 से 2016–17	29
18	बिहार कीटनाशक लिमिटेड	1987–88 से 2016–17	30
19	बेलट्रॉन इनफॉरमेटिक्स लिमिटेड[@]	1988–89 से 2016–17	30
20	बिहार सोलवेंट एवं केमिकल्स लिमिटेड	1987–88 से 2016–17	30
21	बिहार राज्य औषधि एवं रसायन विकास निगम लिमिटेड	1986–87 से 2016–17	31
22	बिहार राज्य ग्लेज्ड टाईल्स एवं सेरामिक्स लिमिटेड	1986–87 से 2016–17	31
23	बिहार ड्रग्स एवं केमिकल्स लिमिटेड	1986–87 से 2016–17	31
24	झझारपुर पेपर उद्योग लिमिटेड	1986–87 से 2016–17	31
25	भवानी ऐक्टिव कार्बन लिमिटेड	1986–87 से 2016–17	31
26	बिहार पेपर मिल्स लिमिटेड	1986–87 से 2016–17	31
27	विश्वामित्र पेपर उद्योग लिमिटेड	1985–86 से 2016–17	32
28	बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड	1985–86 से 2016–17	32

क्रम सं0	सा0क्षे0उ0 का नाम	अवधि जिसके लेखें बकाया है	बकाया लेखें की संख्या
29	बिहार पंचायती राज वित्त निगम लिमिटेड	1985–86 से 2016–17	32
30	बिहार मेज प्रोडक्ट्स लिमिटेड	1984–85 से 2016–17	33
31	सिन्थेटिक रेजिन्स (इस्टर्न) लिमिटेड	1984–85 से 2016–17	33
32	मगध मिनरल लिमिटेड	1984–85 से 2016–17	33
33	बिहार राज्य हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प निगम लिमिटेड	1984–85 से 2016–17	33
34	बिहार हिल एरिया लिफ्ट सिचाई निगम लिमिटेड	1983–84 से 2016–17	34
35	बिहार राज्य सीमेंट निगम लिमिटेड	1981–82 से 2016–17	36
36	बिहार राज्य जल विकास निगम लिमिटेड	1979–80 से 2016–17	38
37	बिहार स्कूटर्स लिमिटेड	1977–78 से 2016–17	40
कुल (स)			**1,029**
कुल (अ+ब+स)			**1,171**

β कम्पनी ने मार्च 1988 में अपने गठन से अभी तक अपने प्रथम लेखे भी अन्तिमीकृत नहीं किये हैं।

परिशिष्ट – 1.5
(कंडिका 1.11 में संदर्भित)
31 दिसम्बर 2017 को सा0क्षे0उ0 जिनके लेखें बकाया में है, में राज्य सरकार द्वारा दी गई अंश पूँजी, ऋण, अनुदान एवं प्रत्याभूतियाँ

(₹ करोड में)

क्रम सं0	सा0क्षे0उ0 का नाम	वर्ष जब से लेखे बकाया में है	राज्य सरकार द्वारा उन वर्षों में अंश पूँजी, ऋण, अनुदान एवं प्रत्याभूतियाँ में निवेश जिनके लेखें बकाया में है					
			अंश पूँजी	ऋण	पूँजी अनुदान	अन्य[#]	प्रत्याभूति	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अ. कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ								
1 वर्ष – शून्य								
2 से 5 वर्ष								
1	बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2015–16	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
2	बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लिमिटेड	2013–14	6.21	7.00	220.00	0.00	20.62	253.83
3	बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड	2014–15	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	43.00
कुल			**6.21**	**7.00**	**222.00**	**0.00**	**63.62**	**298.83**
5 वर्षों से ज्यादा								
1	बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड	2006–07	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	23.00
2	बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड	2000–01	0.00	2.28	64.28	11.93	0.00	78.49
3	बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एव विकास निगम	1998–99	20.74	7.49	0.00	0.00	15.60	43.83
4	बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	1994–95	0.33	1,125.46	0.00	1,460.29	0.00	2,586.08
5	बिहार राज्य जलविद्युत शक्ति निगम लिमिटेड	2001–02	0.00	157.70	0.00	0.00	466.43	624.13
कुल			**21.07**	**1,292.93**	**64.28**	**1,495.22**	**482.03**	**3,355.53**
कुल (अ)			**27.28**	**1,299.93**	**286.28**	**1,495.22**	**545.65**	**3,654.36**
ब. सांविधिक निगमें (कार्यशील)								
1 वर्ष – शून्य								
2 से 5 वर्ष – शून्य								
5 वर्षों से ज्यादा								
1	बिहार राज्य भण्डारण निगम	2011–12	0.00	0.00	47.17	0.00	0.00	47.17
2	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	2006–07	0.00	775.01	0.00	0.00	0.00	775.01
कुल (ब)			**0.00**	**775.01**	**47.17**	**0.00**	**0.00**	**822.18**
कुल (अ+ब)			**27.28**	**2,074.94**	**333.45**	**1,495.22**	**545.65**	**4,476.54**

क्रम सं0	सा0क्षे0उ0 का नाम	वर्ष जब से लेखे बकाया में है	राज्य सरकार द्वारा उन वर्षों में अंश पूँजी, ऋण, अनुदान एवं प्रत्यामूतियों में निवेश जिनके लेखें बकाया में है					
			अंश पूँजी	ऋण	पूँजी अनुदान	अन्य#	प्रत्यामूति	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
स. अकार्यशील कम्पनियाँ								
1 वर्ष – शून्य								
2 से 5 वर्ष – शून्य								
5 वर्षों से ज्यादा								
1	बिहार राज्य मतस्य विकास निगम लिमिटेड	1993–94	1.25	5.63	0.26	0.00	0.00	7.14
2	बिहार राज्य निर्माण निगम	2003–04	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00	2.28
3	बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड	1985–86	11.21	365.32	0.00	69.27	0.00	445.80
4	बिहार राज्य फल एवं सब्जी विकास निगम लिमिटेड	1995–96	0.00	5.65	21.07	0.00	0.00	26.72
5	बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड	2001–02	0.00	0.00	11.00	0.00	243.34	254.34
6	बिहार राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड	1988–89	5.80	2.74	0.00	0.00	0.00	8.54
7	बिहार हिल एरिया लिफ्ट सिंचाई निगम लिमिटेड	1983–84	5.22	18.78	0.00	55.41	0.00	79.41
8	बिहार राज्य जल विकास निगम लिमिटेड	1979–80	5.00	154.33	0.00	0.00	0.00	159.33
9	बिहार राज्य हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प निगम लिमिटेड	1984–85	3.72	0.25	0.00	0.48	0.00	4.45
10	बिहार राज्य औषधि एवं रसायन विकास निगम लिमिटेड	1986–87	12.92	6.30	0.00	0.00	0.00	19.22
कुल (स)			**45.12**	**561.28**	**32.33**	**125.16**	**243.34**	**1,007.23**
कुल (अ+ब+स)			**72.40**	**2,636.22**	**365.78**	**1,620.38**	**788.99**	**5,438.77**

स्त्रोत : आँकड़े सा0क्षे0उ0 एवं वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा प्रदत्त सूचनाओं पर आधारित है।

अर्थसहाय्य एवं राजस्व अनुदान सम्मिलित (बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड, बिहार हिल एरिया लिफ्ट सिंचाई निगम लिमिटेड एवं बिहार राज्य हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प निगम लिमिटेड)।

परिशिष्ट – 1.6
(कंडिका 1.13 में संदर्भित)
अद्यतन अन्तिमीकृत विवरणियों के अनुसार सा0क्षे0उ0 (जिनके लेखें तीन वर्षों से ज्यादा बकाया नहीं है) की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणाम

क्रम सं0	सा0क्षे0उ0 का नाम	अन्तिमीकृत किये गये लेखों का वर्ष	लाभांश, ब्याज एवं कर के पूर्व शुद्ध लाभ/हानि	कर एवं लाभांश के बाद शुद्ध लाभ/हानि	आवर्त्त	निवेश[c]	अंशधारकों का कोष[d]	नियोजित पूँजी[e]	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल[f] (4/9) (आर0ओ0 सी0ई0)	निवेश पर प्रतिफल@ (4/7) (आर0ओ0 आई0)	अंश पूँजी पर प्रतिफल[g] (5/8) आर0ओ0 ई0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2014–15											
लाभ अर्जित करने वाली कम्पनियाँ											
1	बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2014–15	5.59	3.54	11.63	23.43	23.43	23.43	23.86	23.86	15.11
2	बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	2014–15	12.36	7.96	39.23	77.40	46.77	77.40	15.97	15.97	17.02
3	बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड	2014–15	89.06	70.53	268.56	3,483.77	3,085.05	3,483.77	2.56	2.56	2.29
4	बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड	2014–15	0.00	0.00	0.00	58.55	20.05	58.55	0.00	0.00	0.00
5	बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड	2014–15	41.21	26.78	58.18	38.58	38.58	38.58	106.82	106.82	69.41
6	बिहार राज्य बेवरेजेज निगम लिमिटेड	2014–15	93.44	61.82	3,504.29	111.69	111.69	111.69	83.66	83.66	55.35
7	स्काडा एग्रो बिजनेस कम्पनी लिमिटेड	2014–15	0.02	0.02	0.00	2.92	-1.74	1.13	1.77	0.68	-1.15
8	बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत सरचना विकास निगम लिमिटेड	2014–15	46.13	46.13	83.34	131.26	131.26	131.26	35.14	35.14	35.14
9	बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड	2014–15	124.09	80.93	145.08	468.35	468.35	468.35	26.50	26.50	17.28

क्रम सं0	सा0क्षे0उ0 का नाम	अन्तिमीकृत किये गये लेखों का वर्ष	लाभांश, ब्याज एवं कर के पूर्व शुद्ध लाभ/हानि	कर एवं लाभांश के बाद शुद्ध लाभ/हानि	आवर्त्त	निवेश[$]	अंशधारकों का कोष[$]	नियोजित पूँजी[#]	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल[$] (4/9) (आर0ओ0 सी0ई0)	निवेश पर प्रतिफल@ (4/7) (आर0ओ0 आई0)	अंश पूँजी पर प्रतिफल[#] (5/8) आर0ओ0 ई0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	2014–15	13.56	10.72	194.98	27.00	27.00	27.00	50.22	50.22	39.70
कुल (अ)			**425.46**	**308.43**	**4,305.29**	**4,422.95**	**3,950.44**	**4,421.16**	**9.62**	**9.62**	**7.81**
हानि वहन करने वाली कम्पनियाँ											
11	बिहार राज्य वित्तीय निगम	2014–15	-0.59	-17.66	5.03	453.34	-343.82	31.69	-1.86	-0.13	5.14
12	नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड	2014–15	-68.28	-269.79	2,229.24	4,523.12	2,015.04	3,511.99	-1.94	-1.51	-13.39
13	साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड	2014–15	-584.34	-747.55	2,764.48	2,336.15	-1,663.92	178.23	-327.86	-25.01	44.93
14	बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड	2014–15	-0.07	-0.09	0.00	1.15	-0.90	-0.75	9.33	-6.09	10.00
15	बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड	2014–15	-23.85	-23.85	0.00	62.18	-168.37	-113.83	20.95	-38.36	14.17
16	बिहार राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	2014–15	0.00	0.00	0.00	0.34	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00
कुल (ब)			**-677.13**	**-1,058.94**	**4,998.75**	**7,376.28**	**-161.94**	**3,607.36**	**-18.77**	**-9.18**	**–**[2]
ना लाभ ना हानि अर्जित/वहन करने वाली कम्पनियाँ											
17	बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड ♣	2014–15	0.00	0.00	0.00	1,554.93	1,475.00	1,554.93	0.00	0.00	0.00

[2] अंश पर प्रतिफल की गणना नही की गई क्योंकि संचित हानि प्रदत्त पूँजी से अधिक थी।

क्रम सं0	सा0क्षे0उ0 का नाम	अन्तिमीकृत किये गये लेखों का वर्ष	लाभांश, ब्याज एवं कर के पूर्व शुद्ध लाभ/हानि	कर एवं लाभांश के बाद शुद्ध लाभ/हानि	आवर्त्त	निवेश[c]	अंशधारकों का कोष[d]	नियोजित पूँजी[e]	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल[f] (4/9) (आर0ओ0 सी0ई0)	निवेश पर प्रतिफल@ (4/7) (आर0ओ0 आई0)	अंश पूँजी पर प्रतिफल[g] (5/8) आर0ओ0 ई0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	बिहार स्टेट पावर जेनेरेशन कम्पनी लिमिटेड	2014–15	0.00	0.00	0.00	978.78	344.00	978.78	0.00	0.00	0.00
कुल (स)			**0.00**	**0.00**	**0.00**	978.78	344.00	978.78	0.00	0.00	0.00
कुल (अ+ब+स)			**-251.67**	**-750.51**	**9,304.04**	**12,778.01**	**4,132.50**	**9,007.30**	**-2.79**	**-1.97**	**-18.16**
2015–16											
लाभ अर्जित करने वाली कम्पनियाँ											
1	बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड	2015–16	32.93	9.54	227.81	4,971.45	4,439.36	4,971.45	0.66	0.66	0.21
2	बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड	2015–16	0.00	0.00	0.00	382.63	80.61	382.63	0.00	0.00	0.00
3	बिहार राज्य भवन निर्माण नि0 लि0	2015–16	8.30	5.51	27.34	43.83	43.83	43.83	18.94	18.94	12.57
4	बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	2015–16	70.51	70.51	98.95	201.60	201.60	201.60	34.98	34.98	34.98
5	बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0	2015–16	107.71	70.26	122.62	531.75	531.75	531.75	19.88	19.88	13.21
6	बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	2015–16	6.16	4.91	150.34	31.90	31.90	31.90	19.31	19.31	15.39
कुल (अ)			**225.61**	**160.73**	**627.06**	**6,163.16**	**5,329.05**	**6,163.16**	**3.63**	**3.63**	**3.02**
हानि वहन करने वाली कम्पनियाँ											
7	बिहार राज्य वित्तीय निगम	2015–16	4.24	-14.73	4.30	470.18	-358.18	34.16	12.41	0.90	4.11
8	नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड	2015–16	155.44	-339.44	2,717.93	4,145.64	2,190.44	2,795.07	5.56	3.75	-15.50
9	साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड	2015–16	-624.85	-734.17	3,294.59	5,436.20	1,566.60	2,530.41	-24.69	-11.49	-46.86

क्रम सं0	सा0क्षे0उ0 का नाम	अन्तिमीकृत किये गये लेखों का वर्ष	लाभांश, ब्याज एवं कर के पूर्व शुद्ध लाभ/हानि	कर एवं लाभांश के बाद शुद्ध लाभ/हानि	आवर्त्त	निवेश[$]	अंशधारकों का कोष[¥]	नियोजित पूँजी[#]	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल[$] (4/9) (आर0ओ0 सी0ई0)	निवेश पर प्रतिफल@ (4/7) (आर0ओ0 आई0)	अंश पूँजी पर प्रतिफल[#] (5/8) आर0ओ0 ई0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड	2015–16	-0.16	-0.18	0.00	1.50	-0.90	-0.40	40.00	-10.67	20.00
11	बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड	2015–16	-0.75	-0.75	0.00	62.16	-169.22	-114.69	0.65	-1.21	0.44
कुल (ब)			**-466.08**	**-1,089.27**	**6,016.82**	**10,115.68**	**3,228.74**	**5,244.55**	**-8.89**	**-4.61**	**-33.74**
ना लाभ ना हानि अर्जित/वहन करने वाली कम्पनियाँ											
12	बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड ♣	2015–16	0.00	0.00	0.00	15,923.28	15,855.87	15,923.28	0.00	0.00	0.00
13	बिहार स्टेट पावर जेनेरेशन कम्पनी लिमिटेड	2015–16	0.00	0.00	0.00	5,649.45	2,426.44	5,649.45	0.00	0.00	0.00
कुल (स)			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,649.45**	**2,426.44**	**5,649.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
कुल (अ+ब+स)			**-242.47**	**-928.54**	**6,647.99**	**21,928.29**	**10,984.23**	**17,057.16**	**-1.42**	**-1.11**	**-8.45**
2016–17											
लाभ अर्जित करने वाली कम्पनियाँ											
1	बिहार स्टेट पावर ट्रॉसमिशन कम्पनी लिमिटेड	2016–17	41.66	1.53	285.66	6,988.27	6,144.06	6,988.27	0.60	0.60	0.02
2	बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड	2016–17	0.51	-2.09	0.77	1,123.70	294.92	1,121.62	0.05	0.05	-0.71
3	बिहार राज्य भवन निर्माण नि0 लि0	2016–17	28.58	18.63	39.21	62.39	62.39	62.39	71.71	71.71	29.86
4	बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	2016–17	22.96	22.96	52.50	224.55	224.55	224.55	10.22	10.22	10.22
कुल (अ)			**93.71**	**41.03**	**378.14**	**8,398.91**	**6,725.92**	**8,396.83**	**1.31**	**1.31**	**0.61**

क्रम सं0	सा0क्षे0उ0 का नाम	अन्तिमीकृत किये गये लेखों का वर्ष	लाभांश, ब्याज एवं कर के पूर्व शुद्ध लाभ/हानि	कर एवं लाभांश के बाद शुद्ध लाभ/हानि	आवर्त्त	निवेश€	अंशधारकों का कोष¥	नियोजित पूँजी#	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल$ (4/9) (आर0ओ0सी0ई0)	निवेश पर प्रतिफल@ (4/7) (आर0ओ0आई0)	अंश पूँजी पर प्रतिफलµ (5/8) आर0ओ0ई0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
हानि वहन करने वाली कम्पनियाँ											
5	बिहार राज्य वित्तीय निगम	2016–17	-0.23	-16.53	2.94	486.48	-374.57	34.07	-0.68	-0.05	4.41
6	बिहार स्टेट पावर जेनेरेशन कम्पनी लिमिटेड	2016–17	-1.82	-1.82	51.36	6,201.98	2,572.03	6,200.16	-0.03	-0.03	-0.07
7	नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड	2016–17	-358.91	-513.44	2,984.84	5,941.09	3,389.18	4,077.08	-8.80	-6.04	-15.15
8	साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड	2016–17	-637.78	-905.36	4,032.31	7,098.23	2,371.25	3,287.08	-19.40	-8.99	-38.18
कुल (ब)			**-998.74**	**-1,437.15**	**7,071.45**	**19,727.78**	**7,957.89**	**13,598.39**	**-28.91**	**-15.10**	**-18.06**
ना लाभ ना हानि अर्जित/वहन करने वाली कम्पनियाँ											
9	बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड ♣	2016–17	0.00	0.00	0.00	21,194.05	21,127.91	21,194.05	0.00	0.00	0.00
कुल (स)			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
कुल (अ+ब+स)			**-888.87**	**-1,396.12**	**7,449.59**	**28,126.69**	**14,683.81**	**21,995.22**	**-4.04**	**-3.16**	**-9.51**

€ निवेश = (प्रदत्त पूँजी + मुक्त संचय + दीर्घकालीन ऋण)।

¥ अंश धारक कोष = (प्रदत्त पूँजी + मुक्त संचय एवं अधिशेष – संचित हानि – स्थगित राजस्व व्यय)।

नियोजित पूँजी = अंश धारक कोष + दीर्घकालीन ऋण।

$ नियोजित पूँजी पर प्रतिफल = (लाभांश, ब्याज एवं कर के पूर्व शुद्ध लाभ/हानि)/नियोजित पूँजी।

@ निवेश पर प्रतिफल (आर0ओ0आई0) = (लाभांश, कर एवं ब्याज के पूर्व शुद्ध लाभ)/निवेश।

µ अंश पूँजी पर प्रतिफल (आर0ओ0ई0) = (कर के बाद शुद्ध लाभ – पूर्वाधिकार लाभांश)/अंशधारक कोष।

♣ आर0ओ0सी0ई0, आर0ओ0आई0 एवं आर0ओ0ई0 की गणना करते हुए बी0एस0पी0एच0सी0एल0 के आँकड़ो को ध्यान मे नही रखा गया है क्योंकि यह एक होल्डिंग कम्पनी है तथा इसमें नियोजित पूँजी को पहले ही इसकी सहायक कम्पनियो में ले लिया गया है।

परिशिष्ट –2.1.1
(कंडिका 2.1.12 में संदर्भित)
2012–13 से 2016–17 के दौरान बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड की मुख्य परियोजनाओं (प्रारम्भ, पूर्ण एवं प्रगतिशील) की विवरणी

(राशि: ₹ करोड़ में)

क्रम सं0	परियोजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की तिथि	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	कार्यों की संख्या	कुल व्यय (मार्च 2017 को)	परियोजना की स्थिति
1	कृषि महाविद्यालय, किशनगंज का निर्माण कार्य	14/11/2014	683.39	1	462.78	कार्य प्रगति पर
2	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मे उन्नयन	19/11/2013	656.87	192	521.38	पूर्ण : 181 कार्य प्रगति पर : 11
3	प्री–फेब्रिकेटेड गोदाम का निर्माण कार्य	10/01/2014	506.15	105	23.37	पूर्ण : 06 कार्य प्रगति पर : 99
4	परम्परागत गोदाम का निर्माण	03/04/2013	169.27	425	145.02	पूर्ण : 419 कार्य प्रगति पर : 6
5	परम्परागत गोदाम का निर्माण	17/05/2015	251.42		239.58	
6	रोहतास, मुंगेर, सुपौल एवं पूर्णिया जिलो मे प्री– फेब्रिकेटेड गोदामो का निर्माण कार्य	30/03/2015	119.02	8	32.71	पूर्ण : 2 कार्य प्रगति पर : 6
7	पटना, किशनगंज, पूर्वी चम्पारण एवं फारबिसगंज मे 560 बिस्तरो वाला अनुसूचित जाति आवासीय उच्च विद्यालय का निर्माण कार्य	25/09/2014	70.20	4	75.70	पूर्ण : 2 कार्य प्रगति पर : 2
8	दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन शिक्षा केन्द्र का निर्माण कार्य	06/08/2015	35.79	2	10.73	कार्य प्रगति पर
9	बिहार राज्य बीज निगम, कुदरा, कैमूर जिला के प्रांगण मे निर्माण कार्य	31/12/2013	34.68	1	34.18	कार्य प्रगति पर
10	बिहार राज्य बीज निगम, शेरघाटी, गया जिला के बीज प्रसस्करण इकाई का निर्माण कार्य	31/12/2013	16.97	1	15.15	पूर्ण
11	प्रेस क्लब भवन, बिहार का निर्माण कार्य	17/03/2015	27.76	34	18.49	पूर्ण : 30 कार्य प्रगति पर : 04

क्रम सं0	परियोजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की तिथि	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	कार्यों की संख्या	कुल व्यय (मार्च 2017 को)	परियोजना की स्थिति
12	बेगुसराय, मुगेर, छपरा, मधुबनी एवं सहरसा में रनवे एवं लाउन्ज का निर्माण एवं नवीकरण कार्य	20/01/2014	23.76	05	20.97	पूर्ण
13	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत पशु अस्पताल का निर्माण कार्य	22/12/2014	21.92	40	18.02	पूर्ण :30 कार्य प्रगति पर : 10
14	13वाँ वित्त आयोग के अंतर्गत पुरातात्विक स्थलों का सौंदर्यीकरण एवं सुरक्षा कार्य का निर्माण कार्य	14/08/2014	20.11	6	3.20	पूर्ण :1 कार्य प्रगति पर : 5
15	नालंदा, बक्सर, मुगेर, बेगुसराय, मधेपुरा, जहानाबाद, औरंगाबाद, सिवान एवं बेतिया में वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्र के भवन का निर्माण कार्य	24/09/2013	17.30	9	13.11	पूर्ण :8 कार्य प्रगति पर : 1
16	12वें पचवर्षीय योजना के अंतर्गत सात 50 बिस्तरों वाले बाल छात्रावास का निर्माण कार्य	19/01/2015	16.81	7	12.18	पूर्ण :7
17	किशनगंज, शिवहर, बेतिया, अरवल, कटिहार एवं शेखपुरा में जिला उद्योग केन्द्र के भवनों का निर्माण कार्य	04/09/2015	15.42	6	5.30	पूर्ण :3 कार्य प्रगति पर : 3
18	बाबू जगजीवन राम 100 बिस्तरों वाला छात्रावास परियोजना	21/01/2014	15.16	4	9.18	पूर्ण :3 कार्य प्रगति पर : 1
19	बिहार के विभिन्न जगहों पर बीज निगम के लिए 1000 एम0टी0 प्रत्येक के 13 गोदामों का निर्माण कार्य	31/12/2014	12.46	13	9.29	पूर्ण :11 कार्य प्रगति पर : 2
20	मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के अंतर्गत विभिन्न जिलों में स्टेडियम का निर्माण कार्य	22/05/2013	12.19	19	10.64	पूर्ण :17 कार्य प्रगति पर : 2
21	अन्य विविध कार्य	—	645.34	237	73.80	पूर्ण :135 कार्य प्रगति पर : 102
कुल			**3,371.99**	**1,119**	**1,754.78**	**पूर्ण 861 एवं कार्य प्रगति पर : 258**

परिशिष्ट –2.2.1
(कंडिका 2.2.13 में संदर्भित)
31 मार्च 2017 को बिहार राज्य शैक्षणिक आद्यारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा प्रारम्भ किये गये कार्य की वित्तीय विवरणी

(राशि: ₹ करोड में)

क्रम सं0	परियोजना	कार्यों की संख्या	इकाई लागत	कुल स्वीकृत लागत	प्राप्त राशि	व्यय	स्वीकृत लागत में व्यय की प्रतिशतता *(प्रतिशत में)*
1	(अ) उत्क्रमित माध्यमिक विधालय (2009–10) केन्द्रीय	323	0.58	187.73	131.7	127.74	68.04
	(ब) उत्क्रमित माध्यमिक विधालय (2010–11) केन्द्रीय	403	0.58	234.22	149.47	163.03	69.60
	(स) उत्क्रमित माध्यमिक विधालय (2009–10) राज्य	45	0.58	26.15	21.34	15.8	60.43
2	(अ) बालिका छात्रावास (2009–10)	80	1.41	113.07	113.07	72.80	64.38
	(ब) बालिका छात्रावास (2010–11)	113	1.37	154.48	58.73	116.30	75.28
3	(अ) मॉडल स्कूल (2009–10)	98	3.36	329.28	158.55	195.66	59.42
	(ब) मॉडल स्कूल (2010–11)	255	3.02	770.10	397.14	476.78	61.91
4	उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विधालय	357	1.16	412.34	14.04	190.32	46.16
5	उच्च माध्यमिक विधालय	993	1.16	1146.92	800.00	832.43	72.58
6	उच्चत्तर माध्यमिक विधालय	226	1.16	261.03	187.97	175.57	67.26
7	अल्पसंख्यक उच्च माध्यमिक विधालय	121	1.46	176.92	176.92	87.50	49.45
8	परीक्षा कक्ष	26	3.66	95.16	73.33	76.84	80.75
9	महाविधालय शौचालय	253	0.04	10.12	10.12	7.44	73.54
10	शिक्षा भवन	9	2.30	20.70	16.28	12.28	59.33
11	डिग्री कॉलेज	12	5.47	65.59	35.00	22.67	34.56
12	नवीकरण कार्य (कॉलेज भवन)	30	–	125.43	110.29	81.87	65.27
13	नवीकरण कार्य (माध्यमिक/एव0एस0एस0/भवन)	25	–	70.29	48.43	43.70	62.18
14	शिशु विकास परियोजना कार्यालय	33	1.14	38.59	31.81	22.77	58.99
15	विधालय मे सूचना एव संचार प्रौद्यागिकी	832	0.14	115.48	69.47	84.18	72.90
16	विश्व बैक परियोजना के अंतर्गत सूचना एव संचार प्रौद्योगिकी	1	–	52.00	43.24	4.60	8.85
17	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	26	–	487.52	462.39	393.79	45.04
18	प्राथमिक शिक्षक शिक्षण कॉलेज	22	–	265.89	31.75		
19	शिक्षक शिक्षण कॉलेज	6	–	72.51	1.50		
20	प्रखण्ड शिक्षक शिक्षण संस्थान	4	–	48.34	0.00		
21	प्रखण्ड संसाधन केन्द्र	185	–	115.86	81.39	4.08	3.52
22	विश्व बैक के लिए परिवालन लागत	1	–	43.24	12.52	0.93	2.14
23	आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यलाय	1	–	94.98	18.00	57.97	61.04
24	एम0पी0 लैड निधि ए0के0यू0 के लिए (पत्रकारिता एवं जन संचार)	1	–	11.11	5.03	0.00	0.00
25	बाल भवन किलकारी	1	–	3.02	2.85	2.77	91.78
26	चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, पटना	1	97.11	97.11	89.08	93.88	96.67

क्रम सं0	परियोजना	कार्यों की संख्या	इकाई लागत	कुल स्वीकृत लागत	प्राप्त राशि	व्यय	स्वीकृत लागत में व्यय की प्रतिशतता *(प्रतिशत में)*
27	समागार, सबौर, भागलपुर	1	0.69	0.69	0.69	0.46	66.13
28	आवासीय विद्यालय, थरहुट	6	13.75	82.50	50.00	60.48	73.31
29	आर0पी0 सिंह मुख्य द्वार	1	0.06	0.06	0.06	0.06	94.75
30	हॉकी ग्राउण्ड, शास्त्रीनगर	1	0.50	0.50	0.50	0.35	69.71
31	सिमुलतला आवासीय विद्यालय	1	5.53	5.53	4.70	4.86	87.90
32	राष्ट्रीय नेटवर्क ज्ञान से जुड़ाव	1	41.67	41.67	34.86	7.53	18.06
33	सैनिक विद्यालय, गोपालगंज	1	–	24.40	12.90	25.36	103.94
34	सैनिक विद्यालय, नालन्दा	1	–	40.99	40.99	37.81	92.25
35	कालीदास विद्यापति विज्ञान महाविद्यालय	1	0.40	0.40	0.40	0.35	86.57
36	बिहार हिन्दी ग्रथ अकादमी	1	4.45	4.45	3.94	3.58	80.43
37	डी0आई0ई0टी0 एव अन्य के लिए फर्नीचर क्रय	1	6.10	6.10	6.10	6.20	101.62
38	एल0एन0 मिश्रा महाविद्यालय महिला छात्रावास एवं बैठक हॉल एव आंतरिक चित्र	1	6.86	6.86	6.40	6.20	90.38
39	गुलजारबाग महिला महाविद्यालय	1	4.45	4.45	0.50	0.58	13.10
40	एस0आई0टी0 भवन का नवीकरण	1	–	0.82	0.79	0.62	74.98
41	बी0एस0ई0बी0 का सस्थागत विकास	1	–	4.93	1.55	1.48	29.94
42	निदेशक, डी0आई0ई0टी0–22, डी0आई0ई0टी0 एवं 4सी0टी0ई0	1	–	3.90	1.30	1.28	32.86
43	बापू स्मारक महिला उच्च विद्यालय का निर्माण	1	2.64	2.64	1.40	0.06	2.44
44	डी0आई0ई0टी0 एव सी0टी0ई0@बिक्रम, पटना एव तुर्की का नवीकरण	2	–	0.82	0.82	0.68	83.34
45	परीक्षा भवन (एस0एन0सिन्हा, बी0एन0मंडल, सरदार बल्लभ भाई पटेल)	3	4.57	13.72	5.00	6.67	48.64
46	उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय	201	0.01	72.38	1.00	0.00	0.00
47	दोहरी लेखा प्रणाली	1	–	1.50	1.50	0.00	0.00
48	राष्ट्रीय शिक्षा अभियान कार्यालय	1	2.92	2.92	2.92	2.06	70.65
49	एम0डी0एम0 कार्यालय का निर्माण	1	–	1.24	1.24	0.95	76.35
50	शैक्षिक अनुसधान एव प्रशिक्षण की राज्य परिषद्	1	–	1.27	0.56	0.54	42.27
51	कम्प्यूटर, ए0सी0 एवं अन्य फर्नीचर (एस0सी0ई0आर0टी0)	1	–	0.23	0.23	0.17	72.11
52	जी0एच0 बख्तियारपुर एवं एच0एस0 हसपुरा	2	–	2.31	1.16	0.82	35.59
53	राजेन्द्र प्रसाद उच्च विद्यालय, रूपौली एच0एस0 एवं एस0एच0एस0	3	–	5.33	487	3.14	58.89
54	नियोजन भवन की सजावट	1	–	1.12	0.92	0.77	69.07
55	एम0यू0 मे बी0एड0 भवन का निर्माण	1	–	3.60	3.60	0.00	0.00
56	कौशल विकास केन्द्र के अंतर्गत भवन का निर्माण	313	–	112.85	57.38	70.30	62.29

क्रम सं0	परियोजना	कार्यों की संख्या	इकाई लागत	कुल स्वीकृत लागत	प्राप्त राशि	व्यय	स्वीकृत लागत में व्यय की प्रतिशतता *(प्रतिशत में)*
57	बी0एस0ई0बी0 (परीक्षा भवन एवं अन्य कार्य)	10	—	86.57	74.57	3.90	4.5
58	जी0जी0एस0 जयन्ती के अवसर पर विभिन्न विद्यालयों का मरम्मत	34	—	6.53	5.57	6.10	93.46
59	बालिका उच्च विद्यालय, पालीगंज का निर्माण	1	—	1.23	1.23	0.00	0.00
60	एस0सी0ई0आर0टी0 के परिसर में सम्मेलन सह अतिथि कक्ष एवं नेहरू छात्रावास और शैक्षणिक भवन का नवीकरण	1	—	6.92	6.92	0.00	0.00
कुल		**5,082**		**6,196.61**	**3,687.98**	**3,617.06**	**58.37**

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

www.ag.bih.nic.in

बिहार सरकार - वर्ष 2018 का प्रतिवेदन संख्या -1